

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XIV, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No. 13, Monday, December 14, 2015/ Agrahayana 23, 1937 (Saka)**

S U B J E C T	P A G E S
 ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No. 201	9-19
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 202 to 220	20-93
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	94-571

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE

572-583

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 213th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 200th Report of the Committee on 'Development of Tourism, National Highways and Water Transport in Kerala and Cochin Shipyard Ltd.', pertaining to the Ministry of Tourism

Dr. Mahesh Sharma

584

- (ii) Visit of Minister of External Affairs to Islamabad and recent developments relating to ties between India and Pakistan

Shrimati Sushma Swaraj

617-639

**MOTION RE: 24TH REPORT OF BUSINESS
ADVISORY COMMITTEE**

585

SUBMISSIONS BY MEMBERS

- (i) Re: Alleged withdrawal of invitation to the Kerala Chief Minister to attend the unveiling ceremony of statue of a former State Chief Minister 586-592
- (ii) Re: Postponement of UPSC examination due to situation arising out of recent heavy rains in Tamil Nadu 593-594
- (iii) Re: Demolition of 500 jhuggies around Shakurbasti Railway Station in Delhi 595-596
- (iv) Re: Need to fill up vacancies in Central University of Allahabad 603-606

MATTERS UNDER RULE 377		640-661
(i)	Need to increase the powers of District Vigilance & Monitoring Committee	
	Shri Kamakhya Prasad Tasa	640
(ii)	Need to provide clean drinking water in all the villages in Kairana parliamentary constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Hukum Singh	641
(iii)	Need to include people belonging to Mallah, Hajjam, Tatwa, Lohar and Barhai castes of Bihar in the list of Scheduled Castes	
	Shrimati Rama Devi	642
(iv)	Need to provide rail services between Mundeshwari Dham (Bihar) and Dildarnagar (Uttar Pradesh) and on Pahleja- Rohtas-Nauhatta-Robertsganj section	
	Shri Chhedi Paswan	643
(v)	Need to provide free treatment to AIDS patients in the country	
	Dr. Kirit P. Solanki	644
(vi)	Need to construct a bridge on river Ramganga near Baragaon Arjunpur in Hardoi parliamentary constituency, Uttar Pradesh	
	Dr. Anshul Verma	645
(vii)	Need to make budgetary provision in ensuring Railway Budget for construction of railway line between Sitapur and Bahraich in Uttar Pradesh	
	Shri Rajesh Verma	646

- (viii) Need to curb the malpractices in audit of accounts in primary and pre-secondary schools under mid-day meal and other schemes in Uttar Pradesh
- Shri Rajendra Agrawal
- 647
- (ix) Need to provide relief to the people of Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan having shortage of drinking water
- Col. Sonaram Choudhary
- 648-649
- (x) Need to construct a bridge between Thakraha block and Bettiah in Valmikinagar parliamentary constituency, Bihar
- Shri Satish Chandra Dubey
- 650
- (xi) Need to link Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme with farm sector and also take measures to mitigate the sufferings of the farmers
- Dr. Subhash Ramrao Bhamre
- 651
- (xii) Need to run EMU train service on Giridih - Kowad - Kodarma - Ranchi route and run a superfast Garib rath train from Dhanbad to Delhi besides augmenting railway services in Hazaribagh station
- Shri Ravindra Kumar Ray
- 652
- (xiii) Need to check increasing pollution level in the country particularly in Uttar Pradesh
- Shrimati Krishna Raj
- 653
- (xiv) Need to expedite gauge conversion of railway line on Ahmedabad-Himmatnagar-Udaipur and Modasa-Shamlaji sections
- Shri D.S. Rathod
- 654

- (xv) Need to set up a computerized Railway Reservation Centre and provide stoppages of Guruvayoor and Trichy Express trains at Maduramtakam Town in Tamil Nadu
- Shrimati K. Maragatham 655
- (xvi) Need to release the Central share for marketing incentive with regard to the comprehensive Handloom Development Scheme for Tamil Nadu
- Shrimati V. Sathyabama 656
- (xvii) Need to revise the existing guidelines of Prime Minister Gram Sadak Yojana (PMGSY)
- Shri Balbhadra Majhi 657
- (xviii) Need to check the menace of bonded labour in the country
- Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 658
- (xix) Need to accord National Project status to Dr. B.R. Ambedkar Pranhita-Chevella Sujala Sravanthi Irrigation Project in Telangana
- Shri A.P. Jithender Reddy 659
- (xx) Need to ensure adequate and timely release of grant for special schools located in Kerala and also enhance the honorarium of teaching and non-teaching staff of such schools
- Shri M.B. Rajesh 660
- (xxi) Regarding deepening and widening of entrance channel at Kadmat Island in Lakshadweep
- Mohammed Faizal 661

ATOMIC ENERGY (AMENDMENT) BILL, 2015	662-724
Motion to Consider	662
Dr. Jitendra Singh	662-665, 712-721
Shri Prahlad Singh Patel	666-668
Prof. Saugata Roy	669-673
Shri Tathagata Satpathy	674-678
Shri Vinayak Bhaurao Raut	679-682
Shri Jayadev Galla	683-686
Shri Konda Vishweshwar Reddy	687-689
Shri M.B. Rajesh	690-693
Shri Y.V. Subba Reddy	694-696
Shri Chintaman Navasha Wanga	697-698
Shri P.R. Sundaram	699-702
Shri Rajesh Ranjan	703-704
Shri Bhagwant Mann	705-706
Dr. Arun Kumar	707
Shri Dushyant Chautala	708-709
Shri Gopal Shetty	710-711
Clauses 2, 3 and 1	722-723
Motion to Pass	723-724

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS
(GENERAL) (SECOND BATCH) – 2015-16**

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) – 2012-13	725-736
Shri V. Elumalai	730-736

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	737
Member-wise Index to Unstarred Questions	738-743

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	744
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	745

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 14, 2015/Agrahayana 23, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Kodikunnil Suresh, Jai Prakash Narayan Yadav, Jyotiraditya M. Scindia, Ravneet Singh, Bhagwant Mann, N.K. Premachandran, K.C. Venugopal, M.I. Shanavas and Smt. P.K. Sreemathi Teacher on different issues.

The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The matter can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, the issue is very important.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No adjournment motion.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, nothing now. It is afterwards. In 'Zero Hour' you can raise it, लेकिन स्थगन प्रस्ताव नहीं।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, I know it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, not now.

11.01 ½ hours**ORAL ANSWER TO QUESTION**

HON. SPEAKER: Question Hour. Question no 201, Shri Dushyant Chautala.

... (Interruptions)

(Q. 201)

श्री दुष्यंत चौटाला: महोदया, जो जवाब सरकार द्वारा दिया गया है, उस जवाब के तहत जब हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं ... (व्यवधान) तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि “Although entry of Indian institutions of higher education in global ranking surveys like the QS and the THE portray a positive and optimistic trend...”

माननीय अध्यक्ष : स्थगन नहीं होना है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में बोलिए। I will allow you in ‘Zero Hour’ but not now.

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हम टॉप सौ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो चाइना की चार, जापान की पांच, साउथ कोरिया की तीन, सिंगापुर की दो और ताईवान की एक है, मगर भारत की एक भी नहीं है। ... (व्यवधान)

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I told you that I would allow you in ‘Zero Hour’. I have disallowed the Adjournment Motion. You can go.

... (Interruptions)

11.03 hours

(At this stage, Shri Bhagwant Mann, Shri Rajeev Satav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

श्री दुष्यंत चौटाला: टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की बात करें तो भारत की दो यूनिवर्सिटीज हैं। ... (व्यवधान) यूजीसी ने वाइस चांसलर की अप्वाइंटमेंट का एक क्राइटेरिया सेट किया है। ... (व्यवधान) उस क्राइटेरिया

के तहत दस साल का प्रोफेसर लेवल का टीचिंग एक्सपीरिएंस होना चाहिए या दस साल का एक्सपीरिएंस एक रेपुटेडेट रिसर्च या एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गनाइजेशन का होना चाहिए। ... (व्यवधान)

महोदया, यह 123 करोड़ की आबादी का देश है। ... (व्यवधान) इसके अन्दर हर बच्चे के पास पढ़ने का अधिकार है। ... (व्यवधान) यूजीसी क्राइटेरिया सेट करती है, पर हमारे यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, उनके अन्दर कहीं भी इस क्राइटेरिया को पूरी तौर पर मान्य नहीं किया जाता है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्या आज किसी मंत्री का रिश्तेदार होना वाइस चांसलर की पोस्ट पर बैठने के लिए आटिमिस्टिक है? ... (व्यवधान) आज यूजीसी का जो माध्यम है, जिसके तहत वीसीज की नियुक्ति होती है और हमारे इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। ... (व्यवधान) जब वे अच्छी तरह से चलेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ... (व्यवधान) क्या सरकार इन अप्वाइंटमेंट्स की तरफ भी देखने का काम करेगी? ... (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : महोदया, सर्वप्रथम तो आदरणीय सांसद जी ने ओ.एस. रैंकिंग की बात की, रैंकिंग का नाम क्यू.एस. है, ओ.एस. नहीं है। ... (व्यवधान)

दूसरा, जितनी भी अप्वाइंटमेंट्स होती हैं, उन्हें महामहिम राष्ट्रपति जी के सुपुर्द किया जाता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विजिटर हैं। ... (व्यवधान) वह सर्च कमेटी, जितने भी यूजीसी द्वारा स्थापित मापदंड हैं, उनके आधार पर नाम महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी सर्च कम सिलेक्ट कमेटी के दिए हुए नामों में से एक नाम को चिन्हित करते हैं। ... (व्यवधान) सर्वप्रथम सदन में मैं यह कहना चाहूँगी कि इस प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। ... (व्यवधान)

जहां तक स्टेट यूनिवर्सिटीज का सवाल है, तो यह प्रदेश की सरकारों के अंतर्धीन है और संवैधानिक दृष्टि से प्रदेश की सरकारें भी, क्योंकि प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में गवर्नर्स का विजिटर के रूप में मुख्यतः अधिकार होता है, इसलिए ऐसी ही प्रक्रिया प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में भी अपनाई जाती है। ... (व्यवधान)

जहां तक इंटरनैशनल रैंकिंग्स का सवाल है, मैं पहले भी सदन में बोल चुकी हूँ और आज भी बोलती हूँ कि इंटरनैशनल रैंकिंग्स में दो-तीन ऐसे मापदंड हैं जो भारतीय इंस्टीट्यूशन्स के विपरीत जाते हैं। ... (व्यवधान) सर्वप्रथम यह कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में अंग्रेजी में किए हुए रिसर्च को ही प्राथमिकता मिलती है, प्रादेशिक भाषाओं में की गई रिसर्च, टिप्पणी या एकेडेमिक एक्टिविटीज़ को महत्व नहीं मिलता। ... (व्यवधान) भारत में संवैधानिक दृष्टि से 125 स्थापित भाषाएं हैं, 1500 डायलैक्ट्स हैं। ऐसे विविध देश की अन्य भाषाओं में हो रही रिसर्च को इंटरनैशनली नहीं आंका जाता है। ... (व्यवधान)

मैं आदरणीय सांसद के सामने एक और विषय प्रस्तुत करना चाहूंगी कि एक इंस्टीट्यूट को रैंक करने के लिए इंटरनैशनली जो मापदंड लिया जाता है, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कितने छात्र विदेशी हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है।... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वे मुख्यतः हिन्दुस्तान के छात्रों के लिए, हिन्दुस्तान के नागरिकों के लिए बनाई गई हैं।... (व्यवधान) इसीलिए कभी-कभी हमारे इंस्टीट्यूशन को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ... (व्यवधान) भारत की संसद के माध्यम से हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो इनक्लूसिव नेचर है, जिसके माध्यम से जो छात्र गरीब तबके से हैं, आदिवासी तबके से हैं या जो दलित बच्चे हैं, उनकी इनक्लूसिविटी जो हमारे विश्वविद्यालयों में पार्लियामेंट द्वारा सैंक्शन्ड हैं, उसे भी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में मापा नहीं जाता। ... (व्यवधान) हमने बार-बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ से चर्चा की कि इस प्रकार के भेदभाव से हम उभरना चाहते हैं।... (व्यवधान) लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नागरिकों के पास व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से इंस्टीट्यूट को चुनने का अधिकार और सशक्त हो, इसलिए नैशनल रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क भी हमने राष्ट्र को समर्पित किया है जिसमें राष्ट्रभर के इंस्टीट्यूट्स अपने आपको रैगुलेटर के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें परसैप्शन के साथ-साथ एकेडेमी और रिसर्च की संभावनाओं को भी देखते हुए एक नैशनल रैंकिंग की श्रेणी बनाई जाएगी और अगले एकेडेमिक वर्ष से पहले हिन्दुस्तान के माता-पिता और छात्रों के पास यह रैंकिंग उपलब्ध होगी।... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि भारत में लैंग्वेजेस बहुत हैं। ... (व्यवधान) मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि चाइना जहां मैनडरिन लैंग्वेज है, वहां की भी चार यूनिवर्सिटीज़ टॉप हन्ड्रेड में आती हैं। ... (व्यवधान) हमारा देश उनसे बहुत समृद्ध है और बहुत से युवा साथी हमारे देश को छोड़कर विदेशों में अपने शोध करते हैं।... (व्यवधान)

मैं दूसरे सप्लीमेंट्री के तौर पर कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा ईशू है। ... (व्यवधान) आज बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैम्पसेज खुल गए जिन्हें यूजीसी मान्यता नहीं देती, वे भी ऑफ कैम्पसेज में लोगों को डिग्री देने का काम करते हैं। ... (व्यवधान) आज उसका नतीजा है कि एम.ए. किया हुआ बच्चा भी पियन की नौकरी के लिए लाइन में खड़ा होता है।... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 226 पियन की पोस्ट्स निकलीं। गौरतलब है कि 284 पी.एच.डी. किए हुए लोगों ने पियन की जॉब के लिए एप्लाई किया। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे सवाल में करिकुलम एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था।... (व्यवधान) उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया।... (व्यवधान) क्या भारत सरकार और एच.आर.डी मिनिस्ट्री आने वाले समय में हमारे

देश में यूनिवर्सिटी लैवल पर करिकुलम को महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देने का काम करेगी या सारा जोर यूजीसी के अधिकारियों पर छोड़कर किसी तरह से एजुकेशन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब तक बच्चे का करिकुलम एक माध्यम से तय नहीं होगा, मुझे भी अमरीका में पढ़ने का मौका मिला।...(व्यवधान) हमारा करिकुलम सैट होता था जिसके माध्यम से तीन महीने में हमें कोर्स खत्म करना पड़ता था।...(व्यवधान) लेकिन हमारे देश में साल शुरू हो जाता है, छः महीने तक बच्चों को किताबें प्रैसक्राइब नहीं होतीं। क्या एच.आर.डी. मिनस्ट्री करिकुलम बनाने में योगदान देगी और उसे इम्प्लीमेंट करके बच्चों की डिग्री को पूरा करवाने में भी अपना योगदान देगी?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : महोदया, पहले मैं आदरणीय सांसद से बोलना चाहूंगी कि वे चाइना की लैंग्वेज कमप्लैक्सिटी को भारत से साथ कम्पेयर न करें क्योंकि चाइना में डायलैक्ट्स के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैनडरिन के भी प्रॉवेंसेज की दृष्टि से कुछ डायलैक्ट चेंज की वजह से, लेकिन सामान्यतः वहां मैनडरिन बहुत प्रचलित है। चूंकि आदरणीय सांसद चीन के साथ कम्पेरिजन कर रहे हैं ... (व्यवधान) इसलिए मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि चीनी गवर्नमेंट ने भी जब अपने लिए नेशनल रैंकिंग बनाई तो इससे उनके इंस्टीट्यूशन को इंटरनेशनल रैंकिंग को ऊंचा करने में बहुत सहायता मिली। ... (व्यवधान) मैं आशावादी हूँ, जिस प्रकार से हम इंटरनेशनल एजेंसी के साथ इंगेज कर रहे हैं और डोमेस्टिकली रैंकिंग को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, हमारी इंस्टीट्यूशन भी इंटरनेशनल रैंकिंग में आएंगी, ... (व्यवधान) यह कहना है कि हमारे इंस्टीट्यूशन 200 की रैंकिंग में नहीं हैं ऐसा कहना गलत होगा, इंडियन इन्स्टीट्यूट ने टॉप 200 में 60 साल में पहली बार 2 इंस्टीट्यूट ने जगह बनाई है। ... (व्यवधान) पिछली सरकार ने अगर नेशनल रैंकिंग पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो ज्यादा इंस्टीट्यूशन टॉप 200 में जगह बनाते।

महोदया, जहां तक कैरिकुलम का सवाल है, ... (व्यवधान) आदरणीय सांसद इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी हैं। ... (व्यवधान) मैं बार-बार कहती हूँ कि ऑटोनॉमी सलेक्टिव नहीं हो सकते, रेग्युलेटर का काम मॉडल कैरिकुलम को देना है जो रेग्युलेटर दे चुका है। ... (व्यवधान) मंत्रालय की मर्यादा यह है कि रेग्युलेटर और यूनिवर्सिटी के आड़े न आए। ... (व्यवधान) मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऑटोनॉमी का सम्मान करें, विजडा की कन्फ्रेंस में महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष सभी सेंट्रल इन्स्टीट्यूशन से निवेदन किया है कि वे अपने कैरिकुलम को अपडेट करें। ... (व्यवधान) पिछले साल एआईसीटी और यूजीसी के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में एडजंक्ट फैकल्टी का प्रावधान किया है जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट आकर हमारे

इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। ... (व्यवधान) 'ज्ञान' नाम से एक नई स्कीम को लॉच किया गया है जिसके अंतर्गत अब तक विश्व भर से करीब 400 अंतर्राष्ट्रीय एक्लेमेड एकेडमिशिएन हिन्दुस्तान में आकर करीब 60 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे ... (व्यवधान) प्रदेश सरकारों की मदद से प्रदेश की इंस्टीट्यूशन को भी चिह्नित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको शून्यकाल में उठाने का समय दूंगी, कृपया आप अपनी सीट पर चले जाइए।

... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा दी है इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी की बात नहीं है बल्कि छोटी-छोटी क्लासों में प्री-प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर हमारे बच्चों को सिखाया जाता है ... (व्यवधान)।

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;

They are also taught that the Pussy cat went to London to see the Queen. छोटे-छोटे बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति में राइम याद करते हैं, मंत्री महोदया यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी की बात करती हैं। ... (व्यवधान) इंडियन यूनिवर्सिटीज 15-20 वर्ष पीछे हैं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज का जहां तक सवाल है उसमें टॉप 100 में हमारा नम्बर नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटी जैसे हावर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने यहां कैरिकुलम स्टडी ग्रुप बनाए हैं ... (व्यवधान) 15-20 वर्षों के बाद किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होंगी, कैसा सिलेबस चाहिए, कैसा कैरिकुलम चाहिए, उसके हिसाब से वह आज तय कर लेते हैं ... (व्यवधान) जबकि अपने यहां यूनिवर्सिटी 15-20 वर्ष पीछे हैं ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के डॉयरेक्शन यूनिवर्सिटीज को दी गई हैं? ... (व्यवधान) अगर कोई यूनिवर्सिटीज उसके हिसाब से काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ मंत्रालय क्या एक्शन लेगी?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी: महोदया, यूजीसी ने 89 कोर्स में और 18 स्पेशलाइज्ड सबजेक्ट में मोडल कैरिकुलम बनाए हैं, इसके लिए आठ क्षेत्रीय मीटिंग की गई हैं, ... (व्यवधान) जिसमें देश भर के 1700 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, वाइस-चांसलर, प्रोफेसर, टीचर्स और उच्च शिक्षा से जुड़े लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं। यह मॉडल कैरिकुलम इस समय यूजीसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ... (व्यवधान) जहां तक कैरिकुलम को अपडेट करने की बात है, अगर कोई यूनिवर्सिटी कैरिकुलम को अपडेट नहीं करता है ... (व्यवधान) तो उसे दंडित करने की व्यवस्था है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम नेशनल रैकिंग

बना रहे हैं उसमें टीचिंग लर्निंग मॉड्यूलस भी एक इंटीग्रल पार्ट है जिसके ऊपर उस इंस्टीट्यूशन को देश का नागरिक रैंक करेगा। ... (व्यवधान) एक इंस्टीट्यूशन के लिए यह फर्क की बात होगी कि उसके नए टीचिंग मॉड्यूल को सराहा जाए।

जैसे कि आदरणीय सांसद ने कहा और यह चिंता बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनली देखा गया है कि सब्जैक्ट से रिलेटिड मैनपावर प्लानिंग भी होती है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी की सोच से प्रेरित होकर इम्प्रिंट नाम के एक कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दृष्टि से दस बेंचमाक्स रखे हैं, जिसके आधार पर न सिर्फ करिकुलम डेवलप होगा, बल्कि साथ ही मैनपावर प्लानिंग और हिन्दुस्तान को किन-किन माइलस्टोन्स पर आगामी दस-पन्द्रह वर्षों तक पहुंचना है, इसे भी निर्धारित किया जायेगा। लेकिन इम्प्रिंट नाम के इस कार्यक्रम में हम मात्र अपने देश के रिसर्चर्स, ऐकडमिश्न्स और साइंटिस्ट को ही नहीं रख रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोआपरेशन के माध्यम से नयी नॉलेज को भी समाविष्ट कर रहे हैं।

PROF. SUGATA BOSE: Madam Speaker, I disagree with the reply given by the hon. Minister that the absence of Indian Universities in the top 100 of global ranks is a matter of perception rather than a matter of substance. ... (*Interruptions*) However, since as you can see that the House is not in order, I find it difficult to ask a supplementary on this extremely important matter. ... (*Interruptions*) So, I do apologize.... (*Interruptions*) Thank you. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : Madam Speaker, it is quite enlightening that the Member finds strength enough to voice his disagreement, but not strength in his voice enough to pose a question. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI V. SATHYABAMA : Thank you, Madam Speaker. ... (*Interruptions*) The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalavi Amma*, has requested the Government to postpone the UPSC exam to help aspiring students from the flood-ravaged Tamil Nadu who are affected by the recent flood disaster in Tamil Nadu. ... (*Interruptions*)

Our Chief Minister, *Amma*, has taken many effective steps to make Tamil Nadu the educational hub in India. ... (*Interruptions*) Tamil Nadu produces top-quality engineers and doctors in large numbers every year. ... (*Interruptions*) This

is a great human resource wealth. ... (*Interruptions*) But many well-qualified engineering graduates from India are seeking jobs in foreign countries and thereby causing a huge brain-drain.... (*Interruptions*)

What are the steps taken by the Government to reduce brain-drain and make use of their services to impart quality education to youth of next generation in India? ... (*Interruptions*) Thank you, Madam. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI : Madam Speaker, I will restrain myself to the last part of the question in conjunction with the Member's desire expressed to ensure that our youngsters who are gaining new knowledge stay back in the country and serve the country. ... (*Interruptions*) But I must add here that the observation made by the previous Member must be addressed. ... (*Interruptions*) He made an accusation that : "I think that ranking the top 100 is an issue of perception". ... (*Interruptions*) I strongly believe that this august House should in no way mar the success and at least the journey of our domestic national institutions or for that matter State institutions. ... (*Interruptions*) Hence, to say that : "If you do not make it to top 100 internationally, then you are not serving the cause of this nation domestically" I think is a great disservice to the journey many institutions have undertaken in our country, which include premier institutions at the State level. ... (*Interruptions*)

In so far as the hon. Member's question goes as to how many youngsters can be retained back in our country so that they can serve in building a new and a resurgent nation, I must say that I believe that recently some students from IIT rejected an offer to be a part of an international firm and leave the country so that they can stay back in India and contribute to the 'Make in India' campaign, which has been propagated and promoted by the hon. Prime Minister. ... (*Interruptions*) I should say here that under the aegis of the HRD Ministry we have started the 'Unnat Bharat Abhiyan' in which while the student is within an institution learning, we can connect them to villages so that they can be a part of the development process while they are getting educated in the institutions. ...

(Interruptions) I am sure that this connect that the student has to the villages in our country while they are studying is a relationship that will endure for life. ...

(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग रोज हल्ला करना चाहते हैं। आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। मैंने कहा है कि शून्य काल में आपको सबको मैं बोलने का मौका दूंगी।

...*(व्यवधान)*

HON. SPEAKER: I will allow all of you.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: No, this will not do, every day, giving some sort of notice and then disrupting the House.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11.20 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: The House shall now take up Papers to be laid on the Table.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ: -

- (1) नेशनल शिडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल शिडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3474/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table a copy of the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 666(E) in Gazette of India dated 27th August, 2015 under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

[Placed in Library, See No. LT 3475/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to lay on the Table copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

- (1) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3476/16/15]

(2) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3477/16/15]

(3) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3478/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): On behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2014-2015.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Spices Board India, Cochin, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Spices Board India, Cochin, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3479/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the EEPC India (formerly Engineering Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3480/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Marine Products Export Development Authority, Kochi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3481/16/15]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3482/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3483/16/15]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3484/16/15]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the India Trade Promotion Organisation, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3485/16/15]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3486/16/15]

(9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the STCL Limited, Bengaluru, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3487/16/15]

(b) (i) Review by the Government of the working of the STC Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the STC Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3488/16/15]

(c) (i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 3489/16/15]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2014-2015.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shellac and Forest Products Export Promotion Council (formerly Shellac Export Promotion Council), Kolkata, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3490/16/15]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sahitya Akademi, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sahitya Akademi, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3491/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Authority Punjab, Mohali, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Authority Punjab, Mohali, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3492/16/15]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA Rajya Mission Authority) Arunachal Pradesh, Itanagar, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA Rajya Mission Authority) Arunachal Pradesh, Itanagar, for the year 2013-2014.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 3493/16/15]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Goa, Alto Porvorim, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Goa, Alto Porvorim, for the year 2013-2014.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 3494/16/15]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam Mahila Samata Soceity, Guwahati for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam Mahila Samata Soceity, Guwahati for the year 2013-2014.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 3495/16/15]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009:-

(i) S.O. 2301(E) published in Gazette of India dated 11th September, 2015, granting extension of relaxation under Section 23(2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 to the State of Uttarakhand.

(ii) S.O. 918(E) published in Gazette of India dated 1st April, 2015, granting extension of relaxation under Section 23(2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 to the State of West Bengal.

(iii) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 755(E) in Gazette of India dated 5th October, 2015.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (i) of (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 3496/16/15]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Goa Sarva Shiksha Abhiyan, Goa, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Goa Sarva Shiksha Abhiyan, Goa, for the year 2013-2014.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 3497/16/15]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Haryana Sarva Shiksha Abhiyan, Panchkula, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Haryana Sarva Shiksha Abhiyan, Panchkula, for the year 2013-2014.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 3498/16/15]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Sikkim, Gangtok, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Sikkim, Gangtok, for the year 2013-2014.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 3499/16/15]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) : मैं श्री विष्णु देव राय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क)(एक) मेकॉन लिमिटेड, राँची के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) मेकॉन लिमिटेड, राँची का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3500/16/15]

- (ख)(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3501/16/15]

- (ग)(एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3502/16/15]

- (घ)(एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3503/16/15]

- (ड.)(एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3504/16/15]

(च)(एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3505/16/15]

(छ)(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3506/16/15]

(ज)(एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3507/16/15]

(झ)(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3508/16/15]

(ञ)(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 3509/16/15]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) खान और खनिज (जिला खनिज प्रतिष्ठान में अभिदाय) नियम, 2015 जो 17 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा.का.नि. 781(अ) जो 14 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ आंध्र प्रदेश खनिज विकास लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

- (तीन) सा.का.नि. 633(अ) जो 14 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित एक शासी निकाय और कार्यपालिका समिति के साथ राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के नाम से एक न्यास की स्थापना की गई है।

[Placed in Library, See No. LT 3510/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1)(एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3511/16/15]

- (2)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3512/16/15]

- (3)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3513/16/15]

- (4)(एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गाँधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3514/16/15]

- (5) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलागुरागी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलागुरागी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कलागुरागी के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3515/16/15]

- (6) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगौड के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3516/16/15]

(7) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के रूप में मानित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालय के विभागों और संस्थाओं में सभी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आज्ञापक प्रत्यायन) विनियम, 2014, जो 29 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 37-3/लीगल/एआईसीटीई/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3517/16/15]

- (9) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3518/16/15]

- (10) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (वेस्टर्न रीजन), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3519/16/15]

- (11) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3520/16/15]

- (13) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3521/16/15]

- (14) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान राँची, राँची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान राँची, राँची के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3522/16/15]

12.02 hours**STATEMENTS BY MINISTERS**

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 213th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 200th Report of the Committee on `Development of Tourism, National Highways and Water Transport in Kerala and Cochin Shipyard Ltd.', pertaining to the Ministry of Tourism*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (DR. MAHESH SHARMA): Madam Speaker, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 213th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 200th Report of the Committee on `Development of Tourism, National Highways and Water Transport in Kerala and Cochin Shipyard Ltd.', pertaining to the Ministry of Tourism.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3524/16/15

12.02 ½ hours**MOTION RE: 24TH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा 11 दिसंबर, 2015 में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 24वें प्रतिवेदन से सहमत है।

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Twenty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 11th December, 2015.”

The motion was adopted.

12.03 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i)Re:Alleged withdrawal of invitation to the Kerala Chief Minister to attend the unveiling ceremony of statue of a former State Chief Minister

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, thank you for giving me opportunity to speak on a most important issue. I am here to raise an agonizing issue which seriously affected the emotions of the people of Kerala and the entire nation due to a severe breach of political morality. A function was scheduled in Kollam District of Kerala of unveiling the statue of Late R. Shankar, former Chief Minister of Kerala, by the Prime Minister on a request from SNDP, a social organization, through Oommen Chandy, hon. Chief Minister. This is the letter written by the hon. Chief Minister to the Prime Minister of India in December 2014 inviting him to unveil the statue of R. Shankar as per the request of SNDP. Hon. Chief Minister wrote a letter to the Prime Minister inviting him for this function.

As per the actual schedule of the programme, the hon. Prime Minister was to unveil the statue and the hon. Chief Minister was to preside over the function but due to some unfair political move by the Ruling Party at the Centre the Chief Minister was dramatically excluded from the dais plan of the Prime Minister's programme. ... (*Interruptions*)

The entire State is really shocked by hearing this. The entire State has been agitating since yesterday. The function is scheduled for tomorrow. As I said earlier, Shri R. Shankar is a former Chief Minister of Kerala and a former Pradesh Congress Committee President. He is a former General Secretary of SNDP Yogam which was founded by none other than Mahaguru Shree Narayana Guru Devan who spent his lifetime for the down-trodden people. ... (*Interruptions*)

The function is organized by SNDP. As per their demand, the hon. Chief Minister of Kerala had sent a letter to the hon. Prime Minister to participate and unveil the statue. They got the consent of the Prime Minister after a long time.

Accordingly, the Organising Committee had announced and circulated the programme schedule in which the Prime Minister was to unveil the statue and the Chief Minister was to preside over the function. Unfortunately, just two days earlier, day before yesterday, Shri Vellappally Natesan, the General Secretary of SNDP asked the Chief Minister not to attend the function. I have got press clippings. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रेस क्लिपिंग नहीं।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : He told the media that he could not disclose the reason for excluding the Chief Minister. This has to be noted. ... (*Interruptions*)

Regardless of politics, the entire Kerala community is very much shocked by this incident that has faced so much criticism especially due to the political immorality of the organisers and the BJP stakeholders on the decision.

This is the first visit of the Prime Minister to the State after he took over as Prime Minister. Already 19 months are over. This is the first visit of the Prime Minister to the State of Kerala. Everything has been arranged as per the protocol of the PM visit by the State Protocol Department. Also, the Protocol Department had sent its dais plan to the PMO for approval. I have got a copy of the State Protocol Department's letter dated December 9, 2015. As per the requirement from the SNDP Yogam organisers, the State Protocol Department sent a minute to minute programme to the PMO. That minute to minute programme shows that the Chief Minister is presiding over the function. This is the position on 9th December; on 12th December, the PMO returned it. ... (*Interruptions*) You know who decides the PM's programme finally. The PMO decides it. The PMO has given this. ... (*Interruptions*) I am ready to lay all these documents on the Table of the House. ... (*Interruptions*) On 12th, day before yesterday, the PMO had sent the final programme. Here, in the dais plan, there is no place for the Chief Minister of Kerala. Thus, it is very clear who is behind it. It is very clear who is behind excluding the Chief Minister from this function. It is very clear that the PMO and

the hon. Prime Minister's hand are in this for excluding the Chief Minister from attending the programme in honour of Shri R. Shankar. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please conclude now. You have raised the matter.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: I have one more point. ... (*Interruptions*)

At present, the BJP and SNDP claim that it is a private function. This is the dais plan as I have said. ... (*Interruptions*) It was never intended to be a private function because it was the unveiling of the statue of former Chief Minister. They had earlier invited the Chief Minister earlier along with the sitting MP, the sitting MLA and the Corporation's Mayor. All of them were there in this. As per protocol, all of them were there. ... (*Interruptions*) Therefore, this is not a private function but suddenly for the political interest of the BJP the event was converted into a private function. ... (*Interruptions*) It is very sad. The Chief Minister is the custodian of the people. The position has a constitutional value also. He represents the entire people of Kerala. Humiliating the CM means humiliating the people of Kerala also and the people of the nation as well.

Our Prime Minister has a political and constitutional commitment not to do that. This is against the cooperative federalism. On the emergence of such a shameful controversy, we expected a comment from the Prime Minister but the Prime Minister like always keeps unjustifiable silence. No clarification has come from the PM's side. It is painful to see that the constitutional position has been used for political vendetta... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You have completed your submission. Now Rajnath Singhji to speak. Now you hear him. You have raised the matter and he is answering now. Please take your seat now.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सभी को इसी विषय पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। He has raised the matter. It is enough.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Rajnathji, please wait for a minute.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सभी को इसी विषय पर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL: The people has the right to hear the Prime Minister's voice and not the Home Minister's voice... (*Interruptions*). We are demanding a reply from the Prime Minister because the PMO has approved the final plan... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Everybody will not be allowed. You can associate yourself with him. Karunakaranji, you know it better. All of you can associate by giving your names.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor, Shri Jose K. Mani, Shri P. Karunakaran, Shri P.K. Biju, Shriimati P.K. Shreemathi Teacher, Adv. Joice George, and Shri Innocent are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

... (*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, अभी सदन के माननीय सदस्य श्री वेणुगोपाल जी ने केरल में होने वाली हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा जिस तरीके से केरल में हो रही है, it is a case of insult to the people of Kerala. मैं कहना चाहता हूँ कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, यह आरोप पूरी तरह से निराधार है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए। आप जो कर रहे हैं, वह सही नहीं है।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You please hear him. This is not fair. Nothing would go on record except the statement of the Home Minister.

... (Interruptions)... *

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि एस.एन.डी.पी. एक सोशल आर्गेनाइजेशन है अथवा इसे सोशियो कल्चरल आर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। यह केरल की एक आर्गेनाइजेशन है। केरल की इस आर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री जी को वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री आर. शंकर जी की स्टेचू को अनवेलिंग के लिए आमंत्रित किया था। यह बात सच है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी कन्सेंट दी थी। सम्भवतः उस आर्गेनाइजेशन ने इसके पहले केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी जी को भी आमंत्रित किया था लेकिन एस.एन.डी.पी. आर्गेनाइजेशन के अंदर ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बुलाने के लिए संभवतः कोई विवाद खड़ा हो गया और उस आर्गेनाइजेशन ने एक यूनानीमस रेज्योलूशन किया कि इस कार्यक्रम में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी जी को नहीं आना चाहिए।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let him complete.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Venugopalji, you have said whatever you wanted to say. Now you please listen to him. Nothing will go on record.

... (Interruptions)... *

श्री राजनाथ सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए। इस बात की सूचना उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री ओमानचांडी जी को दी। यह कार्यक्रम एक सोशल आर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम था और उनके आमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाना और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री आर. शंकर जी की स्टेचू को अनवेल करने की कन्सेंट दी थी। वह आर्गेनाइजेशन किसको आमंत्रित करता है, किसे आमंत्रित नहीं करता है यह पूरी तरह से फैसला लेने का अधिकार यदि किसी को है तो उस सोशल आर्गेनाइजेशन एस.एन.डी.पी. का है।... (व्यवधान) इस आर्गेनाइजेशन के निर्णय से प्रधानमंत्री या किसी अन्य व्यक्ति का कोई लेना-देना नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार किसी के साथ, किसी भी राज्य के साथ कंफ्रंटेशन नहीं चाहती है बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद इस देश में को-ओपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंदन करने के लिए जो भी अधिकतम कदम उठाए जा सकते

* Not recorded.

हैं, हमारी सरकार को-ओपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंदन करने के लिए उठा रही है इसलिए जो भी आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और निराधार हैं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam Speaker, Shri K.C.Venugopal has given some State plan and some sitting order on the issue of the invite. The hon. Home Minister has said that this was a decision of the SNDP and they decided not to invite the hon. Chief Minister. But one fact is that ... (*Interruptions*) there is a letter written by the Chief Minister... (*Interruptions*) there is a letter which has come from the Chief Minister of Kerala and I would like to place it on record on behalf of the hon. Home Minister.

The subject is – the VVIP visit of Shri Narendra Modi, hon. Prime Minister of India from 14.12.15 to 15.12.15, unavailability of the hon. Chief Minister, regarding.

The hon. Chief Minister of Kerala has conveyed the decision to the undersigned that he will not be attending the function – unveiling of the statue of Shri R. Shankar, former CM of Kerala, scheduled to be held on SN college, Kollam on 15 December, 2015 and that the Chief Minister is not available is a letter sent by the Chief Minister to the Prime Minister's Office stating that he is not available.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam Speaker, we are walking out.

12.17 hours

(At this stage, Shri Jyotiraditya Scindia and some other hon. Members left the House.)

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The statement made by Shri Venugopal is absolutely incorrect. There is no intervention of the office of the Prime Minister. This is a private invitation which has been suggested by the hon. Home Minister and this private invitation was from the General Secretary of SNDP to the hon. Chief Minister. So, the Government has no role whatsoever and there is no role of

the Prime Minister's Office. There is no role of the Prime Minister's Office in this, again I repeat... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, the hon. Prime Minister should not go to the function... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : किसी अन्य माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

(*Interruptions*)... *

PROF. SAUGATA ROY : Madam, we are walking out.

12.18 hours

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members left the House.)

* Not recorded.

12.18 ½ hours**(ii)Re:Postponement of UPSC examination due to situation arising out of recent heavy rains in Tamil Nadu**

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Madam Speaker, thank you for permitting me to raise an important matter concerning the future of many IAS aspirants from Tamil Nadu. As per the UPSC examination schedule, Civil Services main examination for this year is going to be held from 18th to 23rd December, 2015 throughout India. Chennai is the only centre for candidates appearing for the IAS main examination from Tamil Nadu. Since heavy rains have ravaged Chennai and the surroundings, the candidates may not be able to reach Chennai for taking the examination starting next week.

In this connection, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, hon. Amma, has written a letter to the hon. Prime Minister of India on 12.12.2015 requesting the hon. Prime Minister to take it up with the UPSC to postpone the examination by at least two months to enable the students from Tamil Nadu to appear in the examination with adequate preparation and on a level playing field with the counterparts elsewhere in the country.

Hence, I would like to request the Government to instruct the UPSC to postpone the Civil Services Examination by at least two months as has been requested by our hon. Chief Minister Amma.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, the hon. Minister is here. It is a serious matter and Civil Services Examination is a very important examination. Therefore, let the hon. Minister reply on this. I would like to request you to respond to the letter of the hon. Chief Minister requesting the Government to postpone the Civil Services Examination. What is the reaction of the Government to the letter of the hon. Chief Minister to the hon. Prime Minister to postpone the Civil Services Examination?

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैंने उस पत्र को अभी तक देखा नहीं है और उस पत्र को देखने के बाद, जो भी न्यायसंगत और उचित होगा, वह सरकार करेगी।

12.20 hours

(iii)Re: Demolition of 500 jhuggies around Shakurbasti Railway Station in Delhi

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान जी, थोड़े शब्दों में बोलिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): धन्यवाद मैडम, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया।

मैडम, मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के मामले देश के किसी न किसी हिस्से से सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप रेलवे के बारे में जो बोलना चाहते हैं, वह बोलिए। पुरानी बातें और पूरा इतिहास मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैडम, जो शकूरबस्ती में 500 झुग्गियों को अमानवीय तरीके से गिराया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितनी देर वैकल्पिक प्रबन्ध नहीं होता, उतनी देर आप उसको इस तरह से गिरा नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली ने रेलवे मंत्री जी को तीन पत्र भी लिखे कि आप ऐसा न करें, इन झुग्गियों को डिमॉलिश न करें, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपील को ठुकराया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। इस तरीके जो बुलडोजर चले और उस हड़बड़ी में एक बच्ची की मौत की भी दुखदायक खबर सामने आई है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि वह रेलवे की प्रॉपर्टी है, उसमें दिल्ली सरकार से बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे पूछने या इजाजत लेने की कोई जहमत नहीं उठाई गयी। मैं सरकार से यह चाहता हूँ, रेलवे मंत्री जी यहां मौजूद हैं, अगर वह इस पर बयान दें, इस पर विस्तृत बयान दें, ब्यौरा दें कि क्यों 500 झुग्गी वालों को इस तरह बुलडोजर चलाकर तंग किया गया। माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी यहां बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वह इस पर जवाब दें।...(व्यवधान) मैडम, वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, मकान बने नहीं और झुग्गियां तोड़नी शुरू हो गयीं। यह गरीबों पर अत्याचार है।...(व्यवधान) इसके बारे में मैं रेलवे मंत्रालय से जवाब चाहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश रंजन, श्री पी.के.बिजू, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर, श्री धर्मेन्द्र यादव एवं श्री जय प्रकाश नारायण यादव को श्री भगवंत मान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब सभी नहीं बोलेंगे, बैठिए।

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Madam Speaker, the soft encroachments adjoining the cement siding Shakurbasti Railway Station area were removed on 12.12.2015 in the presence of Delhi Police personnel by Delhi Division of Northern Railway. The detailed facts furnished by the Divisional Railway Manger are as under.

These encroachments have become a source of impediment in the development of new passenger terminal and other infrastructural facilities at Shakurbasti. Recently, the National Green Tribunal has fined the Northern Railway for not maintaining cleanliness on and around the track. Such encroachments are the main source of garbage and open defecation, etc. Encroachments are safety hazards for train operation as well as for encroachers.

These were comprising purely temporary structures with plastic *panni*, *tirpals*, etc. Notices were served to encroachers for vacation of the Railway land by 14.03.2015 and 30.09.2015. The Delhi Police advised on 10.12. 2015 that police assistance will be provided on 12.12.2015 to vacate the land before 12.12.2015. Despite repeated notices, encroachers did not vacate the land and earlier their removal could not be materialized due to the non-availability of the required Police Force. The encroachments on 12.12.2015 were removed when the Delhi Police gave go ahead at 1150 hours and the whole exercise was completed peacefully without any coercion. There was no midnight operated as reported.

As per the report from the Northern Railway, the child alleged to have died during the encroachment removal drive, had expired much before the

encroachment removal had commenced as confirmed from the Delhi Police records.... (*Interruptions*)

I will invite the Chief Minister of Delhi for discussion, maybe today itself, on how public land could be cleared for utilisation of important public purposes and resource-less persons displaced from public land could be alternatively accommodated with a humanitarian approach. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, बैठ जाइए। कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। बैठिए।

...(व्यवधान)... *

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Madam Speaker, four fishermen from Ramanathapuram are missing in the sea near the border from 28th November, 2015. This is a tragic event which is part of the ongoing sufferings faced by the Indian fishermen for the past four decades and more.

Every time the Sri Lankan Navy has been harassing and attacking our fishermen. The poor fishermen from Tamil Nadu are losing their properties, their catches and even their lives on many occasions. The recent mysterious missing of four fishermen, namely Shri Muniyasamy, Shri Antony, Shri Sudalai Mani and Shri Zahir, has caused great concern. Shockingly, the body of Shri Zahir is reported to have been found nearby the Sri Lankan coast. Unfortunately, our Navy and Coast Guard have not taken up the search operations effectively to trace and rescue the missing fishermen.

I would like to remind the Centre the series of letters written by our respected leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, to take concrete measures to put an end to the sufferings of Indian fishermen at the hands of the unfriendly Armed Forces and the authorities of Sri Lanka.

* Not recorded.

Only our State Government is extending financial assistance to get back the lives and the livelihood of our fishermen. Even now, 62 fishing boats from Rameswaram and nine boats from Karaikal along with 37 Tamil fishermen have been taken away by the Sri Lankan Navy.

At this juncture, I would request the Union Government to come forward to extend financial assistance for their rescue and rehabilitation. It must intensify regular search operations and bring relief to the families of these poor fishermen while finding a lasting solution by retrieving Katchatheevu.

Hence, I urge upon the Government to pay heed to the request of hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, and treat this as an urgent national issue.

Regarding this fishermen issue, I have already given notice under Rule 193. I also urge upon the Chair to have an exclusive discussion on the fishermen issue under Rule 193. Thank you.

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार के सामने एक जरूरी बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। आज पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में सी.एन.जी. उच्च क्षमताधारक ईंधन है, जिससे यह काफी फायदे वाला ईंधन है। यह ईंधन हवा से और धूल से भी हल्का है, साथ ही साथ यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक नहीं है और आरोग्यकारक है। सी.एन.जी. ईंधन से बहुत कम मात्रा में कार्बनऑक्साइड निकलता है, जिससे वाहन के ल्यूब्रिकेट ऑयल, स्पार्क प्लग, ड्रम वॉल्व, पिस्टन और अन्य पुर्जों का जीवन बढ़ता है। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक फायदा भी होता है। इस वजह से देश में कई इलाकों में सी.एन.जी. पम्प स्टेशंस लगाए गए हैं। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र कच्छ जिले में एक भी सी.एन.जी. पम्प स्टेशन नहीं है। कच्छ में विश्व स्तरीय पर्यटन धाम हैं। वहां पर हर साल लोग अपने वाहनों से आते हैं। लेकिन कच्छ में सी.एन.जी. वितरण की कोई सुविधा न होने से आने वाले अनेक पर्यटकों और वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्रालय से मांग है कि कच्छ जिले में जल्द से जल्द सी.एन.जी. पम्प स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सम्पूर्ण देश गम्भीर ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। देश की सभी महत्वकांक्षी योजनाएं चाहे स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, जिसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री जी का बड़ा सपना है श्रेष्ठ और समृद्ध भारत का, वह सपना

तब ही साकार हो पाएगा, जब हम ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करेंगे। हिमालय का क्षेत्र असीमित ऊर्जा का केन्द्र है। मैं यह सोचता हूँ कि जहां यह असीमित केन्द्र है, उसे चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो या देश की प्रगति की दृष्टि से हो, वहां की गैर परम्परागत ऊर्जा का दोहन किया जाए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आधार पर इस बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। वहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से यदि वह ऊर्जा उत्पादित होती है तो न केवल वहां से पलायन रुकेगा, बल्कि देश समृद्ध होगा। हमारा देश पूरी दुनिया में आर्थिक प्रगति की दृष्टि से आगे जाएगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय नीति बनाई जाए और उत्तराखंड सहित पूरी हिमालयान बेल्ट में आने वाले राज्यों को उसका एक केन्द्र बनाया जाए, जो देश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री निशिकांत दुबे, भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मार्य को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदया, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में हमेशा अकाल पड़ता है। यहां रोजगार के साधन भी बहुत कम हैं। यहां की आबादी करीब 40 लाख की है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि पांट ट्रेनें मंडोर एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली, जोधपुर-सूर्यनगरी, जोधपुर-बांद्रा, जोधपुर-जयपुर इंटरसिटी, भगत की कोठी-दिल्ली-सुजानगढ़ और जोधपुर-हावड़ा बाड़मेर तक जानी चाहिए। दूसरी मेरी मांग है कि मेरे एरिया में साउथ के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि गुवाहाटी एक्सप्रेस, यशवंतपुरा एक्सप्रेस, जोधपुर-बांद्रा समदणी मौकल से जालौर वीक में एक बार जाती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हफ्ते में दो या तीन बार किया जाना चाहिए। मेरी आखिरी मांग है कि बालाणी एक्सप्रेस जो जोधपुर से आगे जैसलमेर और बाड़मेर जाती है। बालाणी एक्सप्रेस में गरीबों के लिए कोचिस की कमी है। हमारे यहां बाड़मेर स्टेशन पर बहुत सारी जगह पड़ी है। अगर वहां लोकोशेड बना दिया जाए और दूसरा निर्माण किया जाए तो उससे दो काम होंगे, एक तो जोधपुर पर जो लोड है, वह बहुत कम हो जाएगा साथ ही साथ वहां तक ट्रेनें भी जा पाएंगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, there is a very important roadway, especially the Vijayawada-Ranchi corridor which is a very prospective roadway, which is essential for the development of the border districts of Odisha, especially the Southern and Western districts of Odisha. We

have been repeatedly asking the Central Government, especially the Road Transport and Highways Ministry for the upgradation of that national highway. The Vijayawada-Ranchi corridor bisects Odisha. As this road runs through the left-wing extremism affected areas, its improvement will not only boost the socio-economic conditions of tribal areas but also will help in effective administration.

While reviewing the progress of the work under this corridor, it was observed that one tender was received in March, 2015 and two tenders were received in the first week of June, 2015 pertaining to the national highway 326, namely, Tandikona to Amlabhata, Koraput Laxmipur-Rayagada, Jeypore-Kota-Malkangiri covering a total length of 186.75 kilometres are yet to be finalized, as a result, the work in this stretch is badly delayed. As all these roads are on the Koraput-Bolangir-Kalahandi region and are extremely important for the completion of the corridor, I would request, through you, Madam, the Government's intervention for an early finalization of the tenders so that work can commence without further delay.

HON. SPEAKER: Shri Nishikant Dubey is allowed to associate himself with the concern expressed by Shri Bhartruhari Mahtab in 'Zero Hour' today.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र की एक अत्यंत पुरानी रेल परियोजना ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन की गति, इसकी आवश्यकता और तात्कालीन समाधान के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग स्थानीय रेल व्यवस्था के अभाव में अपना गुजर-बसर काफी कठिनाइयों से कर रहे हैं। जिन्हें यदि दिल्ली या भोपाल, जो कि सर्वाधिक आवश्यकता के केन्द्र हैं, वहां तक की यात्रा करने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रीवा रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है। सीधी से उसकी दूरी 90 किलोमीटर और सिंगरौली से उसकी दूरी दो सौ किलोमीटर है। अगर दिल्ली की यात्रा चिकित्सा या कार्यालयी कार्य प्रयोजन से करनी पड़ती है तो हमें उसके लिए एक दिन पहले निकलना पड़ता है। वहां से आनंदविहार के लिए आने वाली ट्रेन संख्या 12427 और 12428 आठ से बारह घंटे तक कम से कम लेट चलती है, जिसके कारण हम नियत समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां सेम ट्रेक पर चलनी वाली ट्रेन नियत समय पर पहुंचती हैं। वैसे तो मैं

रेल मंत्रालय और केन्द्र सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस योजना पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया है और इसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज ध्यानाकर्षण करने का कारण यह है कि रीवा से आनंदविहार चलने वाली ट्रेन को नीयत समय पर चलाने का कष्ट करें और इसके विलम्ब होने के कारणों की एक बार जांच करवाएं। जो हमारी रेलवे परियोजना है, ललितपुर-सिंगरौली वाली, उसको सिंगरौली के छोर से भी प्रारंभ करने का कष्ट करें, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को जल्द से जल्द रेलवे का सुख प्राप्त हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदया, मैं राजस्थान राज्य से आता हूँ जो कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए अग्रणी माना जाता है। मैं आपका ध्यान राजस्थान पंचायतों के पुनर्गठन के बाद नई बनी ग्राम पंचायतों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि सभी ग्राम पंचायतों में बजट की कमी के कारण मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। राजस्थान प्रदेश में 723 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। ग्राम पंचायतों में अटल सेवा के अंदर सभी मूलभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रति ग्राम पंचायत 50 लाख रुपये की धनराशि अनुमानित की गई हैं। नई ग्राम पंचायतों के लिए 361 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को राजस्थान सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। पहले पंचायतें लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी हुआ करती थी। अब संविधान संशोधन के बाद उसको इंस्टिट्यूशन ऑफ सैल्फ गवर्मेंट का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसके अधिकार भी कंस्टिट्यूशन के 11वें शिड्यूल में दिए गए हैं। पंचायतें एक इंस्टिट्यूशन ऑफ सैल्फ गवर्मेंट की तरह काम करें, इसलिए मेरा सदन के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश की ग्राम पंचायत व्यवस्था को विशेषकर नई पंचायतों को सुचारु रूप से चलाने के लिए राजस्थान सरकार को 361 करोड़ रुपये की धनराशि की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री देवजी एम. पटेल एवं श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री पी.पी.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Madam Speaker, I would like to raise a very important issue which holds great sentimental value for the people of my State Andhra Pradesh.

Madam, it is a well-known fact that the official and native language of my State Andhra Pradesh is Telugu. It is more than 2,000 years old and one of the

most prominent languages in India. It is the only language which has the official language status in more than one State and it is spoken by a significant number of people in many States and Union Territories like Andaman and Nicobar Islands, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, and also by some Sri Lankan gypsy people. Telugu ranks third by the number of native speakers in India and it is the 13th most spoken language in the whole world. Due to its significance and illustrious history that has been associated with this language, the Government of India has given it the status of Classical Language to Telugu in the year 2008.

But with the Classical Language status, there are certain benefits which are given. For the Classical Language, two major international awards for scholars of eminence in Classical Indian Languages are awarded annually and also a Centre of Excellence for Studies in Classical Languages is set up. Then, the University Grants Commission also can be requested to create a certain number of Professional Chairs for Classical Languages for scholars of eminence in Classical Indian Languages. These are some of the benefits which are given to any Classical Language. Even though Telugu language has been given the status of Classical Language, none of these benefits has come to Telugu language.

So, I would request the Central Government to set up an institute for the exclusive study of Telugu in the State of Andhra Pradesh as greater work on the language can take place if it is present in the State where the language originated and also to speed up in including more number of Central Universities where the Professional Chairs for Telugu can be created.

I would also like to request the Government of India to increase the number of Central Awards from the existing two to five annually for the scholars of eminence in Telugu language. This would be of great help to our language and to our culture. I hope the Central Government would take efforts to fulfill these demands early.

12.39 hours**SUBMISSIONS BY MEMBERSContd.****(iv)Re: Need to fill up vacancies in Central University of Allahabad**

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार और विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ और अहसास भी कराना चाहता हूँ कि देश के कुछ प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि सन् 1887 में स्थापित हुआ था। पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाने वाला यह विश्वविद्यालय है, जिसके बारे में हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे। देश का कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, जिस स्थान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले लोगों ने सुशोभित न किया हो। मुझे जानकारी है, अहसास है, क्योंकि मैं वहां का छात्र रहा हूँ कि 70, 80 एवं 90 के दशक से लगातार इलाहाबाद के लोगों ने उम्मीद लगायी थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए और वह सन् 2005 में जाकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बना।

जब वर्ष 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो लोगों को उम्मीदें थीं कि शायद इस यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर होगा, अभी जहाँ पर यूनिवर्सिटी खड़ी है, उससे कई गुणा बेहतर स्थिति में खड़ी होगी। आपको अफसोस होगा इस बात को जानकर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद उसकी क्या दुर्दशा हुई। माननीय मंत्री जी अभी आपके राज्य मंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई, मैंने उनको अवगत भी कराया और आपको भी मैं इस सदन व अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज की तारीख में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस अफसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर सोलह पद, जो ऊपर के टॉप पद हैं, वे पूरी तरह से खाली हैं और वे अस्थायी लोगों द्वारा चार्ज पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए तकरीबन ग्रुप ए में 38, ग्रुप बी में 14, ग्रुप सी में 238 पद अभी रिक्त पड़े हैं।

महोदया, अगर विश्वविद्यालय की फैकल्टी की बात करेंगे, प्रोफेसर्स की बात करेंगे तो कुल स्वीकृत 852 पदों में से 534 पद इस समय खाली है। अगर हम एक-दो विभागों का उदाहरण देंगे तो राजनीतिक विभाग के 27 पदों में से 15 पद खाली है। संस्कृत विभाग के 28 पदों में से 22 पद खाली हैं। इस तरह से एक नहीं, कई तरह की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर अराजकताएं हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर इस समय वर्तमान में जो वहाँ की छात्र संघ की अध्यक्ष हैं, ... *में समझता हूँ कि

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गठन के बाद वह पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर इस कदर अपमानजनक व्यवहार हो रहा है।...(व्यवधान)

महोदया, आप महिला हैं, आपके राज में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदया, आप एक मिनट सुनिए। आपके राज में भी अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा?... (व्यवधान) मंत्री जी, हम आपको भी सुनेंगे।... (व्यवधान) इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वुमेन एडवाइजरी बोर्ड... (व्यवधान) एक मिनट महिलाओं की बात सुन लीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सुन रही हूँ।

श्री धर्मेन्द्र यादव: आप लोग सुन लीजिए, चिन्ता मत कीजिए।... (व्यवधान) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वुमेन एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष... * हैं। उन्होंने वाइस चांसलर साहब को पत्र लिखा है, वह पत्र उन्होंने इसलिए लिखा है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को वहाँ के रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस दिया गया है। नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने एक माननीय सदस्य, वे अपने सदन के ही सदस्य हैं, उन्होंने उनका कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होने दिया, इसलिए उनको नोटिस दे दिया गया। उसके बाद जो महिला एडवाइजरी बोर्ड है।

माननीय अध्यक्ष : एक समय में इतनी सारी समस्याएं हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदया, एक मिनट सुन लीजिए। अगर... * की बात आप नहीं सुनेंगी तो कोई नहीं सुनेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: आप लोग सुन लीजिए, हम लोग मंत्री जी का जवाब भी सुनेंगे।... (व्यवधान)

महोदया, उन्होंने कहा कि तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि 19 नवम्बर की रात में वहाँ उपस्थित छात्राओं को बुरी तरह अपमानित करने की स्थिति पैदा की गई। माननीय मंत्री जी यह मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की वुमेन एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष... * ने वाइस चांसलर साहब को पत्र लिखा है।

माननीय अध्यक्ष : उनका नाम नहीं जाएगा। किसी का नाम नहीं जाएगा। केवल अध्यक्ष, इतना ही ठीक है।

आप बोलिए। शून्यकाल में इतना सारा भाषण नहीं देते हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव: महोदया, सुन लीजिए, यह महिलाओं की बात है। ठीक है, मान लिया शून्यकाल है। ये लोग इतने दिन से चलने नहीं दे रहे थे।

महोदया, वहाँ की महिला एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष ने कहा है कि छात्र संघ की अध्यक्ष ... * के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी होने से, लेकिन सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद न वहाँ कोई हॉस्टल बना है, न वहाँ कोई आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन हुआ, बल्कि आए दिन नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन घाटालों की जाँच समितियों की रिपोर्ट नहीं आ रही हैं। अगर रिपोर्ट भी आती होगी तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महोदया, मैं कोई राजनीतिक भाषा के लिए नहीं, मेरा उस विश्वविद्यालय के साथ दिली लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है। मैं समझता हूँ कि जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, उसका अपने शिक्षण संस्थान और माँ संस्था के साथ यही रिश्ता होना चाहिए, जो मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे अपील करूँगा कि सुधारिए, मैं कोई आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूँ कि इन चीजों को, इन परिस्थितियों का, इन तथ्यों का संज्ञान लीजिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गौरवशाली परम्परा है और जो इलाहाबाद के लोगों को उम्मीद है, उस गौरवशाली परम्परा को पुनः बहाल कीजिए। यह हमारी आपसे अपील है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : वे तुरन्त संज्ञान ले रही हैं।

श्री अजय मिश्रा टेनी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : महोदया, मैं आदरणीय सांसद के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितनी भी चुनौतियाँ हैं, जो एक निरन्तर प्रक्रिया की वजह से आज उनके मुख से इस सदन में प्रस्फुटित हुई हैं, उसमें बदलाव लाने की, सुधार लाने की सम्भावना और इच्छा और यह संकल्प उन्होंने हमारी सरकार में देखा है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय का नियम ऐसा है कि जब तक स्थायी रूप से वाइस चांसलर न हों, तब तक कानून यह कहता है कि इंचार्ज वी.सी. वहाँ पर स्थापित किये जायें। कानून की मर्यादा में रहकर यह प्रक्रिया, यह ढाँचा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्मुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर

* Not recorded.

को चिन्हित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी हमें आदेश देंगे, विधिवत् वाइस चांसलर की स्थापना होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स को किसके सुपुर्द करना है अथवा किसको वह जिम्मेदारी देनी है, वह उस वाइस चांसलर के अधिकार के अन्तर्गत आएगा।

जहां तक कि महिला छात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है तो मैं आदरणीय सांसद से कहना चाहूंगी कि कुछ छात्र एम.एच.आर.डी. के कार्यालय के बाहर कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 सप्ताह पहले किसी विषय को लेकर आये थे। बार-बार घोषणाओं में सुना गया कि ऋचा सिंह जी भी वहां पधारी हैं। मैंने स्वयं सार्वजनिक तौर पर, उस वक्त मीडिया के बन्धु भी उपस्थित थे, लाइव कैमरा के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुआ था, बार-बार गुहार लगाई कि छात्रों के मध्य में अगर ऋचा सिंह जी हैं तो वे आयें, मुझसे वार्तालाप करें। वे वहां नहीं थीं। घोषणाएं थीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे वहां पर नहीं थीं। वाइस चांसलर जी के स्थापित होने के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, उन्हें भरा जायेगा। जितनी भी चुनौतियां विश्वविद्यालय के सामने हैं, उन्हें एड्रेस किया जायेगा। यह भी सही है कि डिपार्टमेंटवाइज़ जो वेकेंसीज़ का उल्लेख सांसद महोदय कर रहे हैं, वे वेकेंसीज़ मात्र एक साल में उत्पन्न नहीं हुई हैं। यह धरोहर है, जो पिछली सरकार से हमें प्राप्त हुई हैं।... (व्यवधान) हमें पूर्ण विश्वास है, मेरा सांसद जी से आग्रह है कि उन्होंने जो विश्वास हममें प्रकट किया है (व्यवधान) हम सुधार ही रहे हैं। आप महिला की बात कर रहे हैं तो महिला की बात भी तो सुन लीजिए, बैठ जाइये। आप आक्रोशित मत होइये, क्योंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इसलिए जब महिला बोल रही है तो सुनने का साहस भी रखिये।

मेरा विश्वास है कि जो विश्वास उन्होंने हममें व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और 60 साल में जो विश्वविद्यालय का उत्थान नहीं हुआ, वह इस सरकार के नेतृत्व में निश्चित रूप से होगा।

माननीय अध्यक्ष : यह पहली बार हो रहा है कि आप शून्य काल में मामला उठा रहे हो और तीन-तीन मंत्री जवाब दे रहे हैं।

डॉ. संजय जायसवाल।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे गन्ना किसानों की समस्या को उठाने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी फिर गन्ने की पेराई का सीजन शुरू हो गया है। तीन सालों से हम देख रहे हैं कि किसानों को मुआवजा 6-6 महीने तक नहीं मिलता है और ऐसा समय है कि कभी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और उसके चलते भी नहीं मिलता है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है

कि जो इथेनाल का प्रोडक्शन है, उसको अगर बढ़ाया जाये तो उसके चलते गन्ना किसानों को भी मुआवजा मिल सकता है और शुगर फैक्टरीज़ भी जो घाटे में चल रही हैं, वे नहीं रहेंगी। मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने चीनी से सिल्क को या दूसरी चीजों को बदलने का मौका दिया, जिसके चलते शुगर फैक्टरियों का कुछ घाटा निपटा है। हम लोग क़ूड ऑयल के लिए विदेश में पैसा भेजते हैं, अगर वही हम टैक्स में कुछ रिलीफ इथेनाल के लिए दे दें तो हमारी सरकार में इथेनाल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, एक तो वह एनवायर्नमेंट फ्रेंडली भी है, दूसरे किसानों को समय पर पैसा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।

आपने मुझे यह प्रश्न उठाने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्री नाना पटोले, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुण्डे, श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री केशव प्रसाद मौर्य को डॉ. संजय जायसवाल के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राघव लखनपाल - उपस्थित नहीं।

श्री राहुल शिवाले।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदया, रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर विकलांगों को एस.टी.डी., पी.सी.ओ. बूथ एलाट किये गये थे। देश के अन्य स्टेशनों के अतिरिक्त इनमें मुम्बई सब-अर्बन रेलवे स्टेशनों पर सर्वाधिक बूथ दिये गये थे। मोबाइल सेवा का अत्यधिक प्रचार-प्रसार होने के कारण इन बूथों पर इक्का-दुक्का लोग ही इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे इन बूथों पर कार्य करने वाले विकलांगों की आमदनी एकदम कम हो गई है। इन बूथों पर इनको और कोई भी अन्य स्टॉल लगाने की आज्ञा नहीं है। इन विकलांगों को कोई और आमदनी नहीं है, ये अन्यत्र कहीं कार्य कर नहीं सकते, जिससे इनको अपने परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो गया है। यदि इन बूथों पर इनको कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स और अन्य तुरंत जरूरत की वस्तुएं बेचने का आदेश पारित किया जाए, तो इनकी आमदनी बढ़ेगी और इन विकलांगों को कुछ राहत मिलेगी।

इस विषय पर मैंने 25 फरवरी, 2015 को नियम 377 के अधीन सभा में विकलांगों की इस कठिनाई का मामला उठाया था और माननीय रेलवे मंत्री को इस आशय का एक पत्र 7 मई को लिखा था, परन्तु इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है।

महोदया, आपके माध्यम से मेरा माननीय रेल मंत्री से एक बार फिर अनुरोध है कि देश भर के रेलवे स्टेशनों पर, विशेषकर मुम्बई सबअर्बन रेलवे स्टेशनों पर जहां इन बूथों की संख्या सबसे अधिक है, इन

विकलांगों को एलॉट बूथों पर स्नैक्स, कोल्ड ड्रिक्स और अन्य वस्तुओं की बिक्री की इजाजत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दें, जिससे इनकी वित्तीय दशा में सुधार हो सके और इनके परिवार का जीवनयापन सुगम हो सके।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विक्रम उर्सेंडी (कांकर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला उत्तर बस्तर कांकर के अंतर्गत निर्माणाधीन दल्ली राजहरा से रावघाट रेलवे लाइन हेतु वहां के कृषकों की भूमि रेलवे विभाग अधिगृहीत की गई है। करीब 464 कृषक हैं, जिनको दक्षिण पूर्व मंडल रेलवे बिलासपुर द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2011 को एक अधिसूचना जारी कर उनसे कहा गया कि भूमि अधिगृहीत कृषकों के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में पे-बैंड 1 में 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1800 के साथ, जिसमें भूमि के एकमात्र मालिक अथवा पुत्र, पुत्री, पत्नी जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हों, इसके साथ पढ़ने एवं लिखने की क्षमता वाले परिवार पर भी विचार कर नौकरी देने को कहा गया था। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष और जिन वर्गों की आयु में छूट है, उन्हें छूट प्रदान कर नौकरी में लेने हेतु निर्णय लेने की बात कही गई। कृषकों द्वारा नौकरी हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर 16 मई, 2011 तक महाप्रबंधक कार्यालय, दक्षिण पूर्व मंडल रेलवे बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जमा किया गया, परन्तु अभी तक प्रभावित किसानों को रेलवे विभाग द्वारा नौकरी नहीं दी गई और न ही संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई की गई। इसके कारण सभी प्रभावित कृषक 26 अक्टूबर, 2015 से भानुप्रतापपुर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अगर शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है।

महोदया, करीब 464 कृषक डेढ़ माह से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे हैं। उसमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के किसान हैं। उनको अभी तक मुआवजा कम मिला है, साथ ही साथ जो नौकरी देने की बात कही गई, उस पर रेलवे विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय रेलवे मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिन गरीब परिवारों को नौकरी देने की बात कही गई, उनको नौकरी दे। इसके साथ ही इस प्रकरण का गंभीरता से निराकरण करे। इस मामले में मैंने 27 अप्रैल को भी एक अतारांकित प्रश्न पूछा था, लेकिन जानकारी एकत्रित की जा रही है, कहकर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अभी तक जानकारी अप्राप्त है। इस मामले में

गंभीरतापूर्वक निराकरण होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस मामले में निराकरण चाहता हूँ। आपने समय दिया इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति वहाँ के सड़क तंत्र पर निर्भर करती है। हमारे सड़क और परिवहन मंत्री जी के दफ्तर में एक कोटेशन पढ़ा था कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि उन्होंने सड़क तंत्र मजबूत कर रखा है, बल्कि वहाँ सड़क तंत्र मजबूत है, इसलिए अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में आता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्रामों की हमारी एक संस्था बिट्स पिलानी ने सर्वेक्षण टीम के द्वारा सर्वे करवाया, तो पता लगा कि लगभग सौ के करीब ब्लॉक्स ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या 350 से भी अधिक है। यहाँ तक कि ग्रामीणों के लिए पक्की सड़क सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। आवागमन की बात छोड़िए, उनको अपने कृषि उत्पादकों को बेचने के लिए जब बाजार जाना पड़ता है, विद्यालय या अस्पताल जाना पड़ता है, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कम से कम राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़ा जाए। यह प्राथमिकता जब हम प्रधानमंत्री सड़क योजना में कर रहे हैं तो मेरा वंचित संसदीय क्षेत्र आपसे गुहार लगाता है। मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहती हूँ कि मेरे राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ा जाए और सड़क तंत्र को विकसित किया जाए, धन्यवाद।

श्री हरिनारायन राजभर (घोसी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में लगभग 300 जिले आते हैं, जैसे - बलिया, आजमगढ़, बनारस, देवरिया, मऊ, इत्यादि, ये जिले सभी स्तर से पिछड़े हुए हैं। वहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। किसानों की प्राकृतिक आपदाओं से निवारण हेतु कोई उपाय नहीं है। कल-कारखाने और औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त योजना का अभाव है। क्या भारत सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वहाँ सुधार हेतु और वहाँ के विकास हेतु कोई योजना बनायी गयी है?

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री शरदी त्रिपाठी को श्री हरिनारायन राजभर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री के. सुरेश उपस्थित नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, दिनांक 1 जनवरी, 2014 को हापुड़ में गढ़ को जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर ऊपरगामी सेतु बनाये जाने का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निगम सेतु द्वारा प्रारंभ किया गया जो अत्यंत धीमी गति से चलने के कारण लगभग 2 वर्ष बीत जाने बाद भी, अभी तक

अधूरा पड़ा है। लगभग चार माह पूर्व रेलवे लाइन के ऊपरी हिस्से का कार्य रेलवे के ठेकेदार मैसर्स बी.एम. कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया। ठेकेदार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के मार्ग को बैरिकेडिंग लगा कर बंद कर दिया गया। मेरे द्वारा उसमें हस्तक्षेप किये जाने के परिणामस्वरूप इस मार्ग पर पुनः आवगमन शुरू हो पाया। अब पुनः 2 दिसम्बर, 2015 को ठेकेदार द्वारा इस मार्ग को बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था किये, बैरिकेडिंग लगाकर पूर्णरूप से बंद कर दिया गया। यह लाइन हापुड़ नगर के मध्य से निकलती है तथा मार्ग के दोनों तरफ आधी-आधी आबादी रहती है। नगर के प्रमुख सकूल सरकारी अस्पताल तथा सब्जी मंडी जैसी आवश्यक सुविधायें लाइन के एक तरफ हैं एवं जिला मुख्यालय, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा लाइन के दूसरी तरफ हैं। बुजुर्ग, असहाय, छात्र-छात्राओं एवं छोटे-छोटे बच्चों आदि के लिए कोई भी पैदल अथवा दुपहिया वाहन के आने-जाने के किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण से लोग बहुत परेशान हैं। हालत यह है कि आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पांच किलोमीटर का सफर अत्यंत संकरे, असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण मार्ग से तय करना पड़ता है। इस रेलवे फाटक पर सेतु का निर्माण सड़क के दोनों ओर बनी हुयी पटरियों पर वाहनों को चलते रहने की व्यवस्था के बावजूद किया जा सकता है, परन्तु रेलवे के ठेकेदार ने दुराग्रहपूर्वक हापुड़ नगर का यह मार्ग बंद कर दिया है। जिले का प्रशासन भी हाथ उठा कर खड़ा है और पूरे शहर के अंदर ऐसी दुरावस्था हो गयी है कि शाम छः-साढ़े छः बजे के बाद कोई उस मार्ग से जा ही नहीं सकता है, वहां से छोटा बच्चा भी निकल नहीं सकता है, वहां पांच किलोमीटर का रास्ता पार करना असंभव है, वहां की स्थिति ऐसी हो गयी है। वहां पर दो पुल बने हैं, दिल्ली में मेट्रो बना है, छोटा रास्ता खोल कर इसको बनाया जा सकता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, रेल मंत्रालय से खास कर अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करें और हापुड़ नगर में इस रेलवे फाटक के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से बंद किये गये, इस फाटक को तुरंत खुलवाया जाये तथा इस मामले की जांच करवाकर ठेकेदार के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री शरदी त्रिपाठी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माउली, मारवाड़, रेल खंड के आमान परिवर्तन के संबंध में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। यह रेल खंड ब्रिटिश सरकार के समय में बना था और इसके महत्व को तत्कालीन राज्य ने भी समझा था। आज उसमें परिवर्तन नहीं होने की वजह से उस क्षेत्र की जनता को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। आज भी इसका बहुत महत्व है।

इस रेल खंड के ऊपर, वहां निकलने वाला खनिज और बाहर जो व्यापारी व्यापार करते हैं, उनके सामने आवागमन की बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। अगर उस रेल खंड का आमामान परिवर्तन किया जाता है तो राजस्थान का एक और जिला मुख्यालय राजसमन्द ब्रॉडगेज से जुड़ जायेगा और उसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र में विकास के नये आयाम खड़े होंगे।

अतः मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में जो छावनी है, उसके लिए भी बॉर्डर तक जाने का सबसे छोटा, सुगम और कम समय लेने वाला वह रेल लाइन है। उसके महत्व को मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके आमामान परिवर्तन में सहयोग प्रदान करायें।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13.00 hours

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, दूरदर्शन के माध्यम से हमारे देश में जो सीरियल्स का प्रसारण हो रहा है, आज टी.वी. हर घर की पहुंच बन गया है। गरीब परिवारों, झुग्गी-झोंपड़ियों में भी टी.वी. होता है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के झोंके हमारी संस्कृति को झकझोर रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता से ओत-प्रोत सीरियल्स की संख्या काफी बढ़ गई है। उन सीरियल्स के माध्यम से जो कथानक और प्रस्तुतीकरण समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह काफी आपत्तिजनक एवं सामाजिक ताने-बाने को बिखेरने वाला होता है। जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर उन सीरियल्स को देख रहे होते हैं, वहां बच्चे, उनके मां-बाप, दादा-दादी और भाई-बहन भी होते हैं, तो कई दृश्य ऐसे आते हैं जिसमें पूरा परिवार असहजता और शर्मिंदगी का अनुभव करने लगता है। परिवार के किसी न किसी सदस्य को उठकर उस सीरियल को बदलने का कष्ट उठाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अच्छे और सामाजिक, पारिवारिक विषयों को लेकर सीरियल्स का निर्माण करने वाले निर्माताओं को प्रोत्साहित करने की पहल सरकार द्वारा की जाए। इस तरह के जो सीरियल बनाए जाते हैं, उन्हें दूरदर्शन के माध्यम से समाज के सामने लाने से पहले निरीक्षण करने के लिए आपत्तिजनक कथानक, दृश्यों को हटाने की पहल सरकार द्वारा की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डा. सत्यपाल सिंह और श्रीमती रीती पाठक को डा.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं बाँका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। बाँका, भागलपुर, मुंगेर गंगा किनारे बसा हुआ है। केन्द्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि गंगा के पानी को अमृत करेंगे। यह संकल्प कब पूरा होगा, यह तो भगवान जाने, लेकिन हम सवाल उठाना चाहते हैं कि सुल्तानगंज जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, उतरायण गंगा जहां से आगे बढ़ती है, वहां करोड़ों आस्था रखने वाले भाई-बहन 107 किलोमीटर पांव पैदल यात्रा करके कटोरिया, तारापुर, बेलहर, चांदन होते हुए देवघर, झारखंड जाते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध पांव पैदल यात्रा है। लोग वहां जलाभिषेक करने का काम करते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सुल्तानगंज गंगा घाट की साफ-सफाई, सीढ़ी का निर्माण, बंदरगाह का निर्माण और सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक जो पांव पैदल यात्रा है, उसे राष्ट्रीय पर्यटक मेला घोषित किया जाए। साथ ही भागलपुर, मुंगेर और सुल्तानगंज घाट का रख-रखाव और सफाई उचित ढंग से करने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं। तभी हम निर्मल भारत, स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं। इसे पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। जो गंगा मैली है, इन चीजों को जोड़ते हुए उसे बेहतर बनाने के लिए निर्मल भारत की कल्पना को पूरा किया जाए। सुल्तानगंज घाट की साफ-सफाई के साथ इसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए। हम यह मांग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): Madam, I would like to draw the attention of the House, through you, to a terrible situation of serious nature which has gripped Assam very fast.

The land has already been grabbed by the Bangladeshi nationals in various parts of Assam. Already a huge chunk of land belonging to the Vaisnavite Socio-Cultural Centres, which are called Satras, which was established by the great saint Shri Sankardeva, has been grabbed by these Bangladeshi nationals. These Satras were established by Shri Sankardeva 550 years before.

Madam, more than 100 acres of land belonging to 26 such Vaisnavite Centres has already been grabbed in a very planned manner by these foreign nationals. The hon. High Court of Guwahati has given notice to the Assam Government to vacate the land from the clutches of the Bangladeshis urgently. The Assam Revenue Minister, Shri Bhumidhar Barman too agreed that a lot of

lands of Satras have been grabbed by the Bangladeshis. But Madam, unfortunately, yesterday the Assam Chief Minister in his Press Conference challenged the High Court that no land belonging to these Satras has been snatched by the Bangladeshis.

Assam Chief Minister has gone too far by saying that he would resign if there is a single Bangladeshi in Satra's land. I feel that it is the failure of constitutional machinery of the Government of Assam. The Assam Government has failed to discharge its duties properly. When the hon. High Court of Assam agreed on it and gave a notice to the Government of Assam to clear the land, why does the Chief Minister of Assam say that there is no Bangladeshi in Satra's land? There is already a lot of disturbance in Assam regarding this land encroached by Bangladeshis.

Madam, through you, I appeal to the hon. Central Government to step in the issue and direct the Chief Minister to clear the Satra's land from the clutches of Bangladeshis. Thank you.

HON. SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra and Sunil Kumar Mondal are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Bijoya Chakravarty.

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे मेरे क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में बहु-प्रतीक्षित रेलवे लाइन रामगंज मंडी, भोपाल के लिए रेल बजट 2015-16 में करीब 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से केवल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान पूंजी मद में किया गया है तथा 200 करोड़ रुपये का प्रावधान ईबीआर मद में किया गया है। इसके व्यय की अनुमति मंत्रालय स्तर से नहीं दी गई है। इसके कारण पूंजी मद के 50 करोड़ रुपये का कार्य ही वर्तमान में प्रचलित है। मेरे लोक सभा क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश के अंतर्गत अंतर्राज्यीय राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य परिवहन कार्यों के लिए उक्त रेल मार्ग की मांग काफी समय से रही है जो सामरिक दृष्टि से जयपुर, जबलपुर आर्डिनैस फैक्ट्रियों के मध्य होने से भी महत्वपूर्ण है। रामगंज मंडी, भोपाल रेलवे लाइन प्रारंभ होने से क्षेत्र के लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों को रेल यातायात की सुविधा का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी लाभ मिलेगा। साथ ही क्षेत्रवासियों की आकांक्षा के अनुरूप

रामगंज मंडी, भोपाल रेलवे लाइन के बजट में प्रावधान व कार्य योजना के अनुरूप शीघ्र कार्य किए जाएं तथा पर्याप्त आवंटन व शेष राशि भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में पूरा देश डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 125वीं जयन्ती मना रहा है। इसी के तहत डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सम्मान में संसद में संविधान पर दो दिन की चर्चा भी रखी गई थी। डा. अम्बेडकर जी का व्यक्तित्व ऐसा है जिसका सारे देशवासी सम्मान करते हैं। डा. अम्बेडकर जी द्वारा 25 दिसम्बर, 1954 को थाइलैंड से भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति भारत में लाई गई थी। वर्तमान में यह मूर्ति मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवरोड कैंटोन बोर्ड में है और यह क्षेत्र बुद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। प्रति वर्ष 25 दिसम्बर को लाखों की संख्या में डा. अम्बेडकर जी के चाहने वाले तथा भगवान बुद्ध के भक्त इसी बुद्ध विहार में दर्शन एवं प्रार्थना के लिए आते हैं। यह जगह देवरोड कैंटोन बोर्ड में होने से रक्षा नियंत्रण क्षेत्र में आती है। इसलिए वहां सुविधा का अभाव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से देवरोड स्थित बुद्ध विहार को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल शेवाले, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Thank you, Madam Speaker. Since 1997 the Railway Board has been conducting surveys for railway route from Jolarpettai to Hosur via Krishnagiri, but no result has come out.

In the year 1997 a survey was conducted and its report was submitted to Railway Board during the month of August 2001 with an anticipated cost of Rs.226.42 crore for a length of 104.20 kilometre. Subsequently, during the year 2004-05, the Board updated the survey from Jolarpettai to Hosur via Krishnagiri with a link from Krishnagiri to Dharmapuri with a cost of Rs.410.71 crore for a length of 159.20 kilometre. Further, during the year 2008, they updated the survey with the take off point from Tiruppattur to Hosur for a length of 101 km. with a cost of Rs.558.24 crore.

Madam, they again updated the survey from Jolarpettai to Hosur via Krishnagiri and the report was submitted on 31.01.2011 to the Railway Board with a cost of Rs.687.92 crore. Every time the Railway Board has conducted surveys only. But till date no action has been taken on that.

In 2015-16 Budget, an anticipated amount of Rs.6.75 lakh has been sanctioned for engineering cum traffic survey for a new line of 45 kilometre between Tiruppattur and Krishnagiri.

Madam, the survey between Tiruppattur and Krishnagiri is a mere waste of public money if it does not include Hosur (via) Krishnagiri. It has been a long pending dream of Krishnagiri's people to travel in train. So, I urge upon the Railway Minister, through you, Madam, that he may select the route from Tiruppattur via Krishnagiri to Hosur.

MS. MEHBOOBA MUFTI (ANANTNAG): Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I would like to have the attention of hon. HRD Minister. Two years back, the University Grants Commission issued notices to all the Universities in the country to reserve two seats for the State of Jammu & Kashmir, which is in addition to the migrant quota already available to our State. जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अलावा किसी यूनिवर्सिटीज ने इसे फॉलो नहीं किया है। एचआरडी मिनिस्टर इसमें इंटरविन करें और बाकी यूनिवर्सिटीज से भी जवाब मांगे कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्रीमती वीणा देवी (मुंगेर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत मोतिहारी-ढाका-शिवहर पथ राज्य उच्च पथ 54 के अंतर्गत आता है। जिसमें लगभग 8 वर्ष पूर्व मोतिहारी से शिवहर पथ का निर्माण हुआ था। किन्तु इसी पथ के देवापुर से सिंगाही तक जिसकी लम्बाई 3.50 किमी. है अभी तक अधूरा है। यह अधूरा रोड बागमती नदी के किनारे से मिट्टी एवं सोलिंग सड़क सालों भर जर्जर स्थिति में रहता है। वर्षा के दिनों में यह सड़क प्रायः अवरूद्ध रहता है। इस अधूरे रोड का 800 मीटर लम्बाई पूर्वी चम्पारण जिला में जबकि शेष 2.5 किमी. से अधिक शिवहर जिला के क्षेत्र में आता है। विदित हो कि यह इलाका नक्सल प्रभावित है तथा यह पूर्वी चम्पारण एवं शिवहर जिला को जोड़ने वाला लाइफ लाइन सड़क है। इस रोड के निर्माण में एक आर.सी.सी. पुल के निर्माण की भी आवश्यकता है। मैंने अपने पिछले कार्यकाल से ही इस रोड के निर्माण की बात राज्य सरकार के समक्ष उठाते रही हूँ, परंतु राज्य सरकार का रवैया हमेशा उदासीन रहा है। अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अपने स्तर से जनता के व्यापक हित में से मेरे शिवहर क्षेत्रांतर्गत राज्य उच्च पथ-54 मोतिहारी-ढाका-शिवहर पथ के शेष बचे हुए सड़क देवापुर से सिंगाई रोड के निर्माण कराने की कार्यवाही की जाए।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:15 pm.

13.13 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes
past Fourteen of the Clock*

14.15 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Fifteen Minutes
past Fourteen of the Clock.*

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, hon. Minister of External Affairs.

STATEMENTS BY MINISTERS ...Contd
**(ii) Visit of Minister of External Affairs to Islamabad and recent
developments relating to ties between India and Pakistan***

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अफ़गानिस्तान से संबंधित 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए हाल ही में इस्लामाबाद गयी थी। उस यात्रा के दौरान भारत-पाकिस्तान संबंधों के विषय में हुए घटनाक्रम पर मैं इस पुनीत सदन और माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्मेलन 'हार्ट आफ एशिया' - इस्ताबुल प्रक्रिया का पांचवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन था, जो 8-9 दिसंबर, 2015 को इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षा और संपर्क को बढ़ाना था। यह सम्मेलन अफ़गानिस्तान में स्थिरता तथा विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और उसके भविष्य के प्रति हमारी आस्था को पुनः दोहराने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना। 'हार्ट ऑफ एशिया' अफ़गानिस्तान पर राजनीतिक विचार विमर्श और क्षेत्रीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रक्रिया है। भारत ने 'हार्ट ऑफ एशिया' में प्रारम्भ से ही एक सक्रिय भूमिका निभायी है। इस सम्मेलन में अफ़गानिस्तान के निकटवर्ती तथा विस्तारित पड़ोसी मित्र राष्ट्र, उसका समर्थन करने वाले अन्य राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं और एक संगठित, लोकतांत्रिक, स्वतंत्र, मजबूत तथा प्रगतिशील अफ़गानिस्तान के लिए राजनीतिक विचार-विमर्श करते हैं और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस्लामाबाद की मेरी इस यात्रा में भारत की अफ़गानिस्तान के प्रति इसी मजबूत प्रतिबद्धता को फिर दर्शाया गया। इस सम्मेलन में मैंने अपने वक्तव्य में अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारत तक पूर्ण एवं सीधे ट्रांजिट मार्ग खोलने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के परिपेक्ष्य में मैंने दक्षिण एशिया में शांति एवं विकास के लिए आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ मिलकर काम करने की पैरवी भी की।

* Placed in Library, See No. LT 3523/16/15.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि इस्लामाबाद की अपनी इस यात्रा के दौरान मैंने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान के अपने समकक्ष श्री सरताज अज़ीज़ के साथ भी विचार-विमर्श किया। इन बैठकों के उपरांत पाकिस्तान के साथ एक समग्र द्विपक्षीय वार्ता, यानी कम्प्रीहैन्सिव बायलैटरल डायलॉग शुरू करने के सरकार के निर्णय की घोषणा 9 दिसंबर, 2015 को इस्लामाबाद में एक संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से की गयी। यह निर्णय दोनों देशों के बीच हाल ही के घटनाक्रमों और वार्ताओं, विशेषकर 6 दिसंबर, 2015 को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हुई रचनात्मक बातचीत के उपरांत लिया गया। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की ये बैठक, 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरूप हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित है, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ को मई, 2014 में भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे प्रधान मंत्री जी ने अन्य सार्क देशों के नेताओं के साथ आमंत्रित किया था। यह निमंत्रण पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। साथ ही यह दक्षिण एशिया में पारस्परिक एकता के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति एवं विकास की हमारी सोच के अनुरूप था। प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ की नई दिल्ली यात्रा के दौरान दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच हुई इस प्रथम बैठक में हमने भारत-पाकिस्तान संबंधों पर अपने विचारों और आतंकवाद तथा हिंसा पर हमारी चिंताओं से पाकिस्तानी पक्ष को अवगत कराया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच मई, 2014 में लिए गए निर्णय के अनुरूप निर्धारित बैठकें नहीं हो सकीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने जुलाई, 2015 में ऊफ़ा में मुलाकात की और इस बात पर सहमत हुए कि शांति सुनिश्चित करने और विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दोनों देशों की है। उन्होंने सभी प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना की और दक्षिण एशिया में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति भी व्यक्त की। इसी उद्देश्य से दोनों देशों ने आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। दोनों ने यह भी इंगित किया कि दोनों देश सभी बकाया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ऊफ़ा सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने हमारे प्रधान मंत्री जी को वर्ष 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित किया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊफा में प्रस्तावित दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और डी.जी.एम.ओ. की प्रस्तावित बैठकें नहीं हो सकीं, इसके कारण हम सभी को पता है। हालांकि, ऊफा में हुई सहमति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच बैठक हुई और कई मानवीय पहलुओं को भी लागू किया गया। इस पृष्ठभूमि में जब हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ के साथ 30 नवम्बर को पेरिस में COP-21 शिखर वार्ता के दौरान मिले तो इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। इसके पीछे यह भावना थी कि हम दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूरी हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने तथा इसे एक प्रगतिशील क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हमारे साझा सपने के मार्ग में एक अड़चन है। साथ ही यह भी बिलकुल स्पष्ट था कि हमारे बीच संबंधों को विकसित करने के मार्ग में मुख्य बाधाओं, विशेषकर आतंकवाद से प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से निपटने की भी आवश्यकता है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह सदन भी इस भावना से पूरी तरह सहमत होगा।

पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने निर्णय लिया कि दोबारा एन.एस.ए. स्तर की बातचीत शुरू की जाए। उसी के अनुसार दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 6 दिसम्बर, 2015 को बैंकॉक में मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण तथा रचनात्मक माहौल में हुई। यह चर्चा शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, नियंत्रण रेखा पर अमन-चैन तथा जम्मू और कश्मीर पर केंद्रित थी। जम्मू और कश्मीर वह राज्य है जो आतंकवाद और नियंत्रण रेखा के उल्लंघन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है।

"हार्ट ऑफ एशिया" सम्मेलन के लिए मेरी इस्लामाबाद यात्रा सुरक्षा, आतंकवाद इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सकारात्मक बातचीत के दो दिनों बाद हुई और इस्लामाबाद में मेरी प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ तथा श्री सरताज अज़ीज के साथ बैठकें इसी सकारात्मक प्रगति की पृष्ठभूमि में आयोजित की गईं। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की भर्त्सना की और इसे खत्म करने के लिए आपसी सहयोग करने का संकल्प लिया। साथ ही हमने मुम्बई आतंकी हमले से संबंधित न्यायिक कार्रवाई में पाकिस्तान द्वारा तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। पाकिस्तान द्वारा भारतीय पक्ष को इसे शीघ्र अंजाम तक पहुंचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में आश्वस्त किया गया।

इसी के अनुसार पाकिस्तान के साथ एक नए शीर्षक "समग्र द्विपक्षीय वार्ता" यानी "कम्प्रिहेंसिव बायलेट्रल डायलोग" के अंतर्गत बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के विदेश सचिवों को इस नई वार्ता की रूपरेखा और सारणी तय करने का कार्य सौंपा गया है।

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगी कि यह सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस संबंध में किसी भी प्रकार के खतरे से निबटने के लिए सरकार कूटनीतिक प्रयोगों सहित वे सभी कदम उठाएगी जो आवश्यक हों। साथ ही हमारी सरकार पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों के प्रति वचनबद्ध है ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए जो प्रयास इस सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के समय शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के दो उद्देश्य हैं - चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। व्यापार और संपर्क द्वारा, लोगों के बीच आपसी संपर्क द्वारा और मानवीय पक्षों पर नई पहलों के द्वारा समूचे क्षेत्र का कल्याण हो सकता है और इससे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ सकता है। हम यह आशा करते हैं कि इस नवीन वार्ता से हमारे समूचे क्षेत्र में शांति और विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस नई पहल को पूरे सदन का समर्थन हासिल होगा। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, please allow me. ... (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, please. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, questions.

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, please allow me. ... (*Interruptions*) I have given a notice on this issue. I will just ask a clarification. I know that under Rule 372 no questions can be asked at this stage.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes.

PROF. SAUGATA ROY: I just want to seek a very brief clarification.

HON. DEPUTY SPEAKER: No.

PROF. SAUGATA ROY: No questions. I will not ask any questions. It is a very important matter.

HON. DEPUTY SPEAKER: We can have a discussion on this issue.

PROF. SAUGATA ROY: I have been giving notices for the last seven days on this issue. Now, the Minister makes a *suo motu* statement. Kindly allow us to ask some clarifications. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please take your seat.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Already you have stated that as per Rule 372 one cannot put a question at this stage, but I am suggesting that you can give a notice and we can take up discussion under Rule 193 with regard to this issue. Hence, we can take up some detailed discussion on this issue if Members feel that this would be better.

... (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM : Sir, please allow us as the Minister is here.

PROF. SAUGATA ROY: Sir, 5-6 days later she is giving a statement. ... (*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सौगत बाबू, आप मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मानती हूँ कि नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछें और मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: That is not the question. Do not put it on me.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूँ कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अगर माननीय सदस्य सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, in view of the readiness of the hon. Minister to respond, I have a suggestion to make. We cannot have a deviation from the rules. But at the same time we can allow half an hour's discussion and also response by the Minister.

PROF. SAUGATA ROY: Half an hour discussion cannot be taken up in response to a statement. It can be only with regard to a question.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You cannot have both. You raise the issue, she will respond, let us close it in half an hour and move on to the Bills. Otherwise, you have to give a notice and then go for a discussion. Either way, we have no problem.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जो हाफ एन ऑवर डिस्कशन कहा है, शायद माननीय सदस्य उसे हाफ एन ऑवर का नोटिस समझ रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि क्लैरीफिकेशंस के लिए आधा घंटा रख लीजिए और आधे घंटे में इसे समाप्त कर लीजिए।

श्री एम. वैकैय्या नायडू : मैं यही कहना चाहता था। That can be a solution, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: In that case, we can take up discussion for half an hour.

PROF. SAUGATA ROY: Mr. Deputy Speaker, Sir, I am very grateful to you, the hon. External Affairs Minister and the Parliamentary Affairs Minister for allowing to seek a few clarifications on the very important statement.

The Minister visited Islamabad on 8th and 9th December. Why did it take her five days after that to come to Parliament? That too she came to Lok Sabha after laying a statement in Rajya Sabha at 11 o'clock. Why has Lok Sabha been kept in the dark on such an important matter?

The Minister has said that there was a talk of NSAs scheduled in September 2015, that was cancelled because the Pak people met the Hurriyat people. Now, what has happened between September and December that the Prime Minister, NSA, Foreign Minister again started talking with them? What has happened in this period? Have the border infiltrations reduced, have Pakistani intelligence activities reduced, or have the firing incidents on the border reduced that suddenly from September to December we have a flip-flop and the Government has started talking?

My next question is with regard to what NSAs talked. The Minister stated that the NSAs discussed everything including terrorism and Jammu and Kashmir. What is there to discuss about Jammu and Kashmir? It is an integral part of India. Why are you discussing Jammu and Kashmir again? That has been the position of India all along.

We dwelt on the need for Pakistan to expedite the Mumbai terrorist attacks trial. The country would be interested to know what Pakistan has assured. It happened in 2008 and we are in 2015. When will the trial be concluded in Pakistan?

Lastly, we also want good relations with Pakistan, but not at the cost of our territorial integrity, not when we are being shelled along the border, not when the Pakistani intelligence agencies are increasing their activities including the ISI.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to seek a clarification on the statement made by the hon. Minister for External Affairs about her recent visit to Pakistan.

From the statement I am happy to note that hon. Minister met both the Prime Minister and the External Affairs Minister of Pakistan. After the discussion,

in the Joint Statement made on 9-12-2015 it was stated that the Government took a decision to begin Comprehensive Bilateral Dialogue with Pakistan.

My question to the hon. Minister is whether the hon. Minister discussed the issue of continuous infiltration of Pakistanis into our territory in Jammu and Kashmir and other places; and if so, what are the concrete measures that the Government of India is taking to stop such infiltrations.

Secondly, I may know from the hon. Minister whether the hon. Minister would also visit other neighbouring countries to take such measures as are necessary to bring normalcy in our relations with those countries. The other question is will the same war footing efforts be made to bring safety to our Indian fishermen on the Tamil Nadu coast?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Respected Deputy-Speaker, Sir, it is really gratifying to hear the External Affairs Minister reading out a statement after a successful visit to Pakistan but as has been said and is being discussed in the media in India and also in Pakistan there has been a flip-flop of relationship between both the countries.

After the gruesome attack in Mumbai, we had stopped our relationship asking the Pakistan Government to take action against the perpetrators of terrorist activities in Mumbai. Repeatedly, Pakistan had said they were stateless actors, they were not from that State but we have been repeatedly saying that they have been trained in Pakistan; they have been provided all sorts of logistic support from Pakistan; and those people are also being protected by the establishment of Pakistan; what action has been taken?

In this statement at least I can understand a mere assurance has been given to us that action will be taken against them, one can presume as per the law that is prevalent in that country but are we not all aware that since last so many years what Pakistan has been saying but not keeping their word?

At one point of time, the then Head of Government or Head of State of Pakistan had come here, paid a visit to Agra and subsequently went back. This had

happened after the Kargil war when our Prime Minister had gone there in a bus trip and extended a hand of friendship but we were stabbed in the back.

Today, with the present dispensation here in Delhi, with the NDA Government under the leadership of Shri Narendra Modi, two meetings have already taken place. First, the Prime Ministers of India and Pakistan met in Ufa in July, 2015 and the second meeting was in Paris during the Climate Change Summit on the 30th November. We were actually eager to know from the Prime Minister himself – of course, with the collective responsibility, the External Affairs Minister has come out and given us the narration – what happened in between. But we are yet to know what major development has taken place in between – before the Ufa meeting and after the Paris Summit – that we have become so confident that things can progress.

There are perpetrators of crime who have done grievous, heinous crime in this country, who were exported from Pakistan, who repeatedly shed blood on our borders. We would like to understand whether anything concrete has happened after that meeting that occurred in Bangkok.

श्री मोहम्मद सलीम: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं तो पहले उसका स्वागत करता हूँ। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध-सुधार के साथ-साथ आपने यह कहा कि जितने पड़ोसी देश हैं, उनसे अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अच्छे संबंधों की कोशिश करते रहेंगे। आपने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सदन भी आपके साथ होगा। इस क्षेत्र में स्टैबिलिटी हो, पीस हो, लोगों के बीच और पड़ोसी देशों के बीच में अच्छे संबंध हों, हम उसके पक्ष में हैं और इस बात के पक्षधर हैं।

हम यह भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशनस में रोलर कोस्टर जैसा चलता है, यह मेटाफर ठीक नहीं है, रोलर कोस्टर जब नीचे आता है तो बहुत हंगामे के साथ तेजी से आता है और जब चढ़ाई होती है तो दिक्कत से होती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि चढ़ाई बहुत खामोशी से ऊंचाई तक हो गयी और जब नीचे आता है तो मीडिया में युद्ध की घोषणा हो जाती है। हमारे यहां गुरुदासपुर में, उधमपुर में जब टेररिस्ट्स अटैक्स हुए, उससे पहले हुरियत वाला मामला भी आया, हम हमेशा यह कहते हैं कि हम बातचीत बन्द कर देंगे। यह इसी सरकार की बात नहीं है, पिछली सरकार में भी हमने देखा कि हम बातचीत बन्द कर देते हैं, जबकि हम यह समझते हैं कि हमारी हर समस्या गोली से नहीं, बोली से ही हल होगी और इसके लिए हमें वार्ता चलानी चाहिए, संवाद करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सुरक्षा का मामला अच्छे सम्बन्ध के साथ जुड़ा हुआ है।...(व्यवधान) अभी मुझे यह कहना है कि जब हम वार्ता बन्द करते हैं, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि हमारे देश में और उस देश में भी ऐसे लोग हैं, जो हंगामे की सूरत पालना चाहते हैं, पनपने देना चाहते हैं, हो सकता है कि वहां ज्यादा हों, यहां कम हों, लेकिन हम हमेशा ऐसे बह जाते हैं।...(व्यवधान) आपने जो यह नई शुरुआत की है, तो पार्लियामेंट को यह एश्योर करना चाहिए कि जो नॉन-स्टेट एक्टर्स हों, स्टेट एक्टर्स हों या क्रॉस-बॉर्डर फायरिंग्स हों या एक्ट ऑफ टेरर हो, लेकिन आपने जो कम्प्रेहेंसिव डायलॉग शुरू की है,...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MOHAMMAD SALIM: Sir, please allow me as it is an important issue. I am coming to the question. We have to put a very long lasting effort. यह सब एक दिन में हल नहीं होने वाला है। हम बैंकाक में बैठक कर सकते हैं, हम पेरिस में और ऊफा में कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मुद्दे खुद गिनाए हैं आखिरी पैराग्राफ में, मैं समय की कमी के कारण उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कम्प्रेहेंसिव डायलॉग या पहले जो कम्पोजिट डायलॉग थी, उसको आप नए सिरे से शुरू कर रही हैं।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि उसमें पाकिस्तान यह कहता है कि कश्मीर ही हमारा मुद्दा है और हम समझते हैं कि कश्मीर भी मुद्दा है, लेकिन अन्य मुद्दे जैसे पड़ोस का सम्पर्क, ट्रेड का मामला है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: What is your question?

श्री मोहम्मद सलीम: सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि जब हमने पिछली बार वार्ता बन्द की और उसके बाद जब यह वार्ता शुरू की, क्या कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए? विश्व में कहीं भी डिप्लोमेसी में बैठक किसी थर्ड कंट्री में नहीं होती है, हमारा कांफ्रेंस की पहली शर्त यह होती है कि नई दिल्ली में हो या इस्लामाबाद

में हो, फिर हमने बैंकाक में बैठक क्यों की? क्या हम इसे दिल्ली में नहीं कर सकते थे? यह एक समस्या रहेगी कि क्या इसे हम अपने तरीके से, अन्दरूनी तरीके से कर रहे हैं या किसी बाहरी दबाव से कर रहे हैं? हम इतनी तेज रफ्तार से कर रहे हैं, पन्द्रह दिन के अंदर, दस दिन के अंदर इतनी तेजी हुई। यही ठीक है कि बैंक में सब चलता रहता है, वह काम करना पड़ता है, लेकिन आपने जनता को साथ नहीं लिया।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Vinayak Raut, you put your question and do not give a speech.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी श्रीमती सुषमा स्वराज जी का अभिनन्दन करता हूँ कि भारत में शान्ति निर्माण हो,...(व्यवधान) इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, मुझे भरोसा है कि उसमें वह सफल हो जाएंगी, लेकिन एक शक है, खास करके भारत के साथ पाकिस्तान का जिस तरीके का रवैया पिछले कई वर्षों से रहा है- मुह में राम, बगल में छुरी। ऐसा उनका बर्ताव रहा है। भविष्य में पाकिस्तान पर कितना भरोसा रखें और उनके ऊपर भरोसा रखने के बाद हिन्दुस्तान में पकिस्तान की तरफ से आतंकवादी कार्रवाई न हो, इसके लिए भारत को एलर्ट रहना पड़ेगा। जैसा अभी हेडली ने बताया है कि नसरत जहां एक सुसाइड बॉम्बर थी, उसने प्रूव करके दिखाया है। भारत में जब शान्ति निर्माण हो जाएगी, तब तक पाकिस्तान पर पूरी तरह से विश्वास न रखें और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो कार्रवाई होती है, पूरी तरीके से उसका निपटारा करना चाहिए।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, I thank you. On behalf of our Telugu Desam Party, we welcome the discussion that the Government has been having with their counterparts in Pakistan. I think it is very good to see that the stalemate has been broken as it had to happen at some point of time, earlier the better.

I want to know one thing from the Minister. Are we confident that Pakistan's long held policy of plausible deniability is ending or do they continue to follow the same path? If so, how do we get rid of the trust-deficit between the two countries?

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को और विदेश मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ उन्होंने भारत-पाक वार्ता शुरू की है। मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगा इसलिए मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाए, क्योंकि हमारा सूबा सरहद पर है। इसलिए पाकिस्तान बनने का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को झेलना पड़ा है। आज़ाद भारत में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ इसलिए मैं कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा। मंत्री जी बताएं कि क्या वहां उनकी इस बात पर भी चर्चा हुई है कि समुद्री रास्ते से 300 से ज्यादा आइटम्स बाहर जाती हैं, लेकिन पंजाब की सीमा पर जो अटारी बॉर्डर है, वहां से 137 आइटम्स को ही क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया है? माननीय वाजपेयी साहब के समय भी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती हुई थी, आज भी हो रही है। मैं समझता हूँ कि सारा देश इसका स्वागत कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय जब वाजपेयी साहब ने समझौता किया था तो 671 मिलियन यू.एस. डालर्स का व्यापार बढ़ा था। अभी एक इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तीन बिलियन यू.एस. डालर्स का सड़क के रास्ते व्यापार हो सकता है, लेकिन समुद्री लॉबी नहीं होने देती। क्या मंत्री जी ने इस पर भी कोई बातचीत की है? हमारे मंदिर और गुरुद्वारे साहिबान वहां पर हैं, उनकी सेवा-सम्भाल के लिए क्या मंत्री जी ने वहां की हुकूमत से कोई बातचीत की है? फैंसिंग के बाहर हमारी जमीन है, पाकिस्तान की हमारे इधर है, जैसे बांग्लादेश के साथ अभी सीमा के बारे में अहम समझौता किया गया है, क्या वैसा समझौता पाकिस्तान के साथ भी किया जाएगा? गुरु नानक देव साहिब की कर्मभूमि करतारपुर साहिब, उसके लिए हम चाहते हैं कि आसानी से हमारा डेरा बाबा नानक से आवागमन हो। क्या मंत्री जी ने अपनी वार्ता में यह इश्यू भी उठाया है?

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं वैलकम करना चाहती हूँ विदेश मंत्री जी के पाकिस्तान जाने का। जैसा इन्होंने कहा कि जब भी हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू-कश्मीर का होता है। जम्मू-कश्मीर का ही नहीं होता है, बल्कि हर हफ्ते या हर महीने हमारे सिक्योरिटी फोर्सिज़ के गरीब लोग, चाहे सी.आर.पी.एफ. में हों, बी.एस.एफ. में हों या आर्मी में हों, जब उनकी वहां से लाशें यहां आती हैं, वह पूरे मुल्क का नुकसान होता है। हम यहां उन्हें श्रद्धांजलि देकर और टी.वी. पर डिबेट करके कह देते हैं कि बस हो गया, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जी ने जो यह कदम उठाया है, यह बहुत सही है। वाजपेयी जी ने भी इस तरह की शुरुआत की थी। मुझे याद है जिस दिन वह लाहौर बस लेकर गए थे, उस दिन रात को कोटदारा में सात हिन्दू लड़कों को मार दिया गया, लेकिन वाजपेयी जी के कदम नहीं रुके। वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन तब भी उनके कदम नहीं रुके और उसके बावजूद उन्होंने मुशरफ़ साहब को

बातचीत के लिए यहां बुलाया। संसद पर हमला हुआ, उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ सीज़फायर हुआ। वाजपेयी जी समझते थे कि हमें अपना देश और अपना जम्मू-कश्मीर बचाना है इसलिए अगर हमें एक कदम ज्यादा चलना पड़े, तो कोई गलत बात नहीं है। जम्मू-कश्मीर की टेरीटोरियल की बात हमेशा होती है कि वह खराब नहीं होनी चाहिए। वहां जो बच्चे या औरतें रहती हैं, उनकी जिंदगी को भी ओन कीजिए, उसे अपनाइए, खाली कश्मीर की जमीन आपकी नहीं है, जिसकी आप फिक्र करते हैं। जो लोग वहां दुख झेल रहे हैं, उनकी भी फिक्र कीजिए, जैसे वाजपेयी जी ने की थी। सन् 2000 से लेकर 2008 तक जो सीज़फायर हुआ, बॉर्डर पर कोई गोली नहीं चली।

मुझे खुशी है कि सुषमा जी वहां गई और उन्होंने बात की। जैसे हमारे पंजाब के कुलीग वाघा बॉर्डर से हो रहे बिजनेस की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि जब फायरिंग होती है, तब भी वहां से वाघा बॉर्डर पर प्याज़ आना बंद नहीं होता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में लोग अगर मर भी जाएं, तो भी वाघा बॉर्डर का बिजनेस नहीं रुकता है। क्रिकेट रुकता है, लेकिन बाघा बॉर्डर का बिजनेस नहीं रुकता है। वाजपेयी जी के समय में स्पेड वर्क हुआ था मुजफ्फराबाद रोड खुलने का, उसके बाद यू.पी.ए. सरकार में खुला। वहां भी आइटम्स पर रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा पाकिस्तान से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पाकिस्तान से आप जितने फोन कश्मीर करना चाहो, कर सकते हो, लेकिन यहां से वहां फोन नहीं कर सकते। इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। इन चीजों पर हम आगे नहीं बढ़ सके। मेरा विदेश मंत्री जी से यह जानना है कि क्या इन सबके बारे में भी कोई बात हुई है, ताकि हम जम्मू-सियालकोट या जो ऑलरेडी सड़क मार्ग खुले हैं, उससे ज्यादा कारोबार कर सकें, लोगों की आवाजाही ज्यादा हो, ताकि हमारे लोग देखें कि पर्दे के पीछे क्या है, वहां क्या है और हमारे यहां क्या है?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, this is a clumsy climb-down but I welcome it. This is a procedural breakthrough but not a substantive breakthrough.

I would like to know from the hon. Minister on certain questions. Will this comprehensive bilateral dialogue be uninterrupted? Has the Government given an assurance that the Prime Minister will visit Islamabad during the SAARC Conference? Will India get the most favoured nation status? What steps have been taken to release the fishermen and exchange of prisoners? Will the Government relax the issues of visas? Whether the LoC trade or the old barter system would be finished? Will you agree with Sir Greek as maps are being drawn? For Siachen, will the Government be able to overrule its own Army? Is this Government really serious about Afghanistan? Afghanistan is going to be a grave challenge to us. After spending trillions of dollars, we still see that the Government is not in control. Are India and Pakistan going to sit down and talk about how stable Afghanistan can be made because it is in our interest that Afghanistan remains stable? Taliban is going to come back for sure over there. All experts are saying this. These are not my words. So, what steps are taken in that regard? These are my specific pointed questions to the hon. Minister.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Sir, I welcome this move by the Government of India. Sir, definitely, we have to have peace with neighboring countries. As our former Prime Minister, Shri Atal Behari Vajpayee said, we can change our friends but we cannot change our neighbours. So, we have to have peace with our neighbouring countries. But I would like to know from the hon. Minister as to whether the Government of India, without compromising our territorial integrity, is going to have any negotiation with Pakistan or not?

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं एक बात अवश्य जानना चाहूँगा कि इस देश ने बहुत कुछ खोया है और पाकिस्तान की हरकत में कोई

तब्दीली नहीं आयी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ओक्योपाइड कश्मीर जो कि टेरेरिज्म की नर्सरी है, उस पर सरकार ने सख्त तरीके से अपना पक्ष रखा है या नहीं?

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I welcome the dialogues which have been opened with Pakistan. But we have been continuously seeing that on the one side, dialogues start and on the other side, Pakistan starts attacking us. This has always been happening. Can the Minister for External Affairs, when she had visited that country and had a dialogue with them, tell the House whether she got an assurance from that country or the leaders of that country that they are going to stop such activities? Even in my constituency, Mahabubnagar, I have seen many CRP soldiers being shot dead there and their dead bodies being brought there. Every fortnight, there is a cross fire from there. Keeping all these in view, how can we really have peace with them? This has to be determined. Now also, I have a doubt that on the one hand, our Minister for External Affairs had gone to Pakistan and had a dialogue with them but on the other hand, what planning is going on there? Our country has to be alert on that issue and not be at ease thinking that our Minister for External Affairs had gone there and everything will be all right. I have my doubt in that aspect. So, some action has to be rally taken and security should be enhanced.

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): We would like to congratulate our Minister for External Affairs for representing our country with great dignity at the Multi Lateral Meeting and also at the Bilateral Meeting with Pakistan.

I have a very specific clarification to ask. In the Statement that she has given to the House, the Minister for External Affairs had expressed her hope that in times to come, Pakistan will allow us transit to Afghanistan. Now, we know that, eversince the Chinese President visit in April, 2015, there have been discussions of a road that the Chinese will build through Pakistan.

At first, it was suggested that it would be a western road, through the Khyber Pakhtunkhwa province and Balochistan. But we later heard that there would also be an eastern alignment through Punjab up to Lahore.

Has the Minister of External Affairs raised this matter or has she given instructions to the Foreign Secretary to raise this matter with Pakistan so that our vital interests are protected?

We support you, of course, because we realize that we have to solve our problems with our neighbours in order to realize our legitimate ambitions to play a bigger role on the global stage. Thank you.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आधे घंटे के समय में ही मेरे 13 सांसद साथियों ने अपने-अपने क्लैरिफिकेशंस और स्पष्टीकरण रखे हैं, जिनका उत्तर मैं देना चाहूंगी। सौगत दा ने क्लैरिफिकेशन शुरू करते हुए बहुत बुनियादी सवाल उठाया कि 9 तारीख को रात को मैं यहां आ गई थी तो मैं पांच दिन तक यहां स्टेटमेंट लेकर क्यों नहीं आई? उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड स्टेट करना चाहूंगी कि मैं 9 तारीख को रात को 12 बजे पहुंची थी, मैंने 10 तारीख को आ कर कहा कि मैं 11 तारीख को स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। शुक्रवार को स्टेटमेंट के लिए मैं नोटिस देने आई थी। लेकिन राज्य सभा की बी.ए.सी. की हुई और उसमें उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां क्लैरिफिकेशंस का प्रावधान है, और हम सेम डे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। उस दिन शुक्रवार था और क्योंकि आधा दिन ही होता है, 11 से 12 बजे तक वहां ज़ीरो ऑवर होता है और 12 ये 01 बजे तक वहां क्वेश्चन ऑवर होता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में हाफ डे होता है, क्यों प्राइवेट मेंबर्स बिल शुरू हो जाता है तो हम चाहेंगे कि विदेश मंत्री सोमवार को ही स्टेटमेंट दें। ... (व्यवधान) मेरे लिए दोनों सदन बराबर का महत्व रखते हैं, कोई लोक सभा कमज़ोर है या राज्य सभा ऊपर है, या लोक सभा नीचे है, राज्य सभा ऊपर है ऐसा नहीं है। यह बात वहां कह गई और मुझसे स्पेशली सचिवालय ने यह कहा कि आप सोमवार को स्टेटमेंट दीजिए। जब सोमवार की बात आई तो कहा गया कि राज्य सभा में 11 बजे ही ज़ीरो ऑवर शुरू हो जाता है, आप 11 बजे ही स्टेटमेंट दे दीजिए। अब 11 बजे स्टेटमेंट होगा और उसके बाद क्लैरिफिकेशन होने हैं, तो मैं यहां दो बजे ही आ सकी थी। इसीलिए मैंने दो बजे का समय रखा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ छुपाना चाहती थी। मैं तो 10 तारीख को स्टेटमेंट तैयार कर चुकी थी, 11 तारीख को नोटिस देने आई थी। 11 तारीख को मैं यहां नोटिस देना चाहती थी, और चाहती थी कि शुक्रवार को ही यह मामला दोनों सदनों में निबट जाए। लेकिन जब मुझे यह कहा गया कि आप सोमवार

को स्टेटमेंट दीजिए, तब मैंने सोमवार को दिया। इसमें कुछ छुपाने लायक नहीं था, जिसके लिए मैं स्वयं और तीन दिन मांगती।

दूसरी बात उन्होंने कही कि इस बीच में क्या बदला? ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। लेकिन सितंबर में जब यह तय हुआ था कि ऊफा में, ऊफा के बाद एनएसए की मीटिंग होगी, वह मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, वह भी आप जानते हैं। वह मीटिंग नहीं हो पाई और चूंकि हम लोग कहते थे कि **terror and talks cannot go together**. ऊफा में यह तय हुआ था कि **let us first address the terror**. अगर **terror and talks cannot go together** तो आइए पहले आतंकवाद पर ही बात करें। आतंकवाद पर कौन बात करे तो आतंकवाद पर एनएसए बात करें। लेकिन जो मीटिंग दिल्ली में होनी थी, वह यहां पर नहीं हो पाई, इसलिए यह बात आगे बढ़ी। फिर पेरिस में दोबारा मिले, तब उन्होंने कहा कि ऊफा में जो सहमति बनी वह आगे नहीं बढ़ पाई तो क्या अब दोबारा बातचीत का माहौल बनाएं? बनाओ, कैसे बनाओ कि वह एनएसए लैवल टॉक्स पड़ी हैं अभी, वह होनी जरूरी है। तब यह हुआ कि एनएसए टॉक्स पहले हो जाएं। अगर नौ तारीख को मुझे जाना है तो छह तारीख को वे टॉक्स हो जाएं तो इसलिए ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। लेकिन जो चीज़ तय हुई थी कि पहले एनएसए लैवल टॉक्स होंगी, उसके बाद डायलॉग की बात होगी, वह एनएसए लैवल टॉक्स मेरे इस्लामाबाद जाने से दो दिन पहले हुई, इसलिए हमारी बातचीत बाद में इस्लामाबाद में हुई है।

तीसरा, आपने कहा कि मैंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी, वह तो हमारा अटूट अंग है। तो मैं बता दूँ कि आप एक साथ सेंटेंस को पढ़िए कि सेंटेंस क्या है। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ रही हूँ क्योंकि आपके पास वही है। **The meeting was held in Bangkok. Discussions between the two NSAs in that meeting were held in a candid, cordial and constructive atmosphere. They focused on peace and security, terrorism, tranquility along the Line of Control and Jammu and Kashmir.** आगे देखिए, सिर्फ हाइफन है, **the State which has been most directly impacted by terrorism and violation of LOC.** उपाध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पर बात हुई। जम्मू कश्मीर में एलओसी के वॉयलेशन पर बात हुई। क्यों हुई यह भी बता देती हूँ। क्योंकि बात एनएसए लैवल की थी।

एनएसए लेवल में कभी मैन्डेट यह नहीं था कि आप जम्मू-कश्मीर के पॉलिटिकल स्टेट्स पर बात कर सकते हैं। अगर आप ऊफा का स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें बहुत साफ है, “NSAs will talk on all issues related to terrorism.” अब चूँकि टेरेरिज्म से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जम्मू-कश्मीर है, इसलिए जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद पर भी चर्चा हुई, पॉलिटिकल स्टेट्स पर चर्चा नहीं हुई। आपके तीन सवाल थे, तीनों का जवाब मैंने दे दिया। वेणुगोपाल जी ने बात को थोड़ा डिफरेंट करके कहा। वेणुगोपाल जी ने कहा कि क्या मैं बाकी नेबरिंग कंट्रीज में भी जाऊंगी? मैं उनकी चिंता समझती हूँ, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स के बारे में और हमारे लोग, जो श्रीलंकन नेवी द्वारा, फिशरमैन जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उसके बारे में उनकी चिंता है। लेकिन मैंने इसमें ही लिखा है कि केवल पाकिस्तान नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के सहयोग के लिए मैं बात करूंगी। केवल उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, श्रीलंका में स्वयं गई। श्रीलंका के विदेश मंत्री बनने के एक हफ्ते के भीतर वे भारत आए, उनके राष्ट्रपति आए और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हर तरह की बातचीत में, हर स्तर की बातचीत में हमने दोनों मुद्दे श्रीलंकन तमिल्स का हित और हमारे फिशरमैन, जो हमारे मछुआरे पकड़े जाते हैं, उनके बारे में बात की। मैं बिल्कुल विजिट करूंगी। मेरा तो जेसीएम अभी श्रीलंका से तैयार पड़ा है, उसके लिए मैं श्रीलंका जाऊंगी। आप बिल्कुल निश्चित रहें। श्रीलंका के साथ भी हम अपने हितों की बात करेंगे।

तीसरे वक्ता हमारे श्री भर्तृहरि महताब जी थे। मैं दो बातों का जवाब देना चाहूँगी, जो उन्होंने कहीं। एक तो उन्होंने कहा कि जैसे मीडिया कह रहा है फ्लिप फ्लॉप, भर्तृहरि जी मैं कहना चाहती हूँ कि फ्लिप फ्लॉप का मतलब अगर यह है कि बातचीत शुरू होती है, रुक जाती है, फिर शुरू होती है, फिर रुक जाती है तो यह सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि बातचीत का शुरू होना, रुकना या फिर शुरू होना, यह कूटनीति का हिस्सा है। इसलिए यह डॉयलाग बहुत बार चला है और बहुत बार रुका है। आपने कहा कि मुंबई के हमले के बाद से यह रुका पड़ा था। यह मुंबई हमले के बाद से रुका नहीं पड़ा था। मुंबई हमला वर्ष 2008 में हुआ था। उसके बाद वर्ष 2010 में थिम्पू में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनके प्रधानमंत्री के बीच मीटिंग हुई थी और वहाँ यह डॉयलाग फिर से शुरू हो गया था और तब इसका नाम resumed dialogue था। यह तब से रुका नहीं पड़ा था। यह वर्ष 2011 में आकर रुका, जब सरबजीत सिंह की हत्या पाकिस्तान जेल में हुई और सलाउद्दीन की हत्या भारत की जेल में हुई। इसलिए यह फ्लिप फ्लॉप नहीं है, यह कूटनीति का एक हिस्सा है। इसलिए हम इसे फ्लिप फ्लॉप न कहें। जहाँ तक आपका यह कहना है, आपने मुझे बधाई दी, मुझे एक चीज की खुशी है कि सारी की सारी बात में ओवैसी जैसे भाइयों ने थोड़ा सा राइडर लगा दिया clumsy climb down कहकर, लेकिन ओवरऑल सबने इसका

स्वागत किया है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, लेकिन भर्तृहरि जी, यह फ्लिप फ्लॉप नहीं है, यह मैं आपसे कहना चाहूँगी।

मोहम्मद सलीम जी ने भी स्वागत किया है, बल्कि उन्होंने तो सीधे-सीधे कहा कि मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन आपका एक प्रश्न आया। मैं वह-वह प्रश्न ले रही हूँ, जो दोहराए नहीं गए हैं। आपने कहा कि बैंकाक में हुआ, थर्ड पार्टी कंट्री हो गया। बैंकाक अगर थर्ड पार्टी कंट्री हो गया तो फिर ऊफा में जो बात हुई तो रूस भी पार्टी हो गया। पेरिस में बात हुई तो फ्रांस भी पार्टी हो गया। न्यूयार्क में यह बात होने वाली थी तो अमेरिका भी पार्टी हुआ।... (व्यवधान) यहाँ तो साइड लाइन्स भी नहीं थी। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि थर्ड पार्टी तब होता है, जब दो देशों के अलावा कोई तीसरा देश बातचीत में बैठता है।... (व्यवधान)

सलीम साहब, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। थर्ड कंट्री पार्टिसिपेशन यह देखकर होगा कि बातचीत में कौन-कौन बैठा, यह देखकर नहीं होगा कि बातचीत कहाँ हुई? बातचीत तो कहीं न कहीं पृथ्वी पर होगी ही, केवल दिल्ली और इस्लामाबाद में नहीं। जैसा मैंने कहा, डॉयलाग की शुरुआत की बात थिम्पू में हुई तो भूटान पार्टी हो गया। एक बार हवाना में हुई, मुशर्रफ साहब के साथ तो क्यूबा पार्टी हो गया। इसलिए मेरा यह कहना है कि थर्ड पार्टी कंट्री का पार्टिसिपेशन यह देखकर माना जाएगा कि क्या उस देश को हम लोगों ने मध्यस्थता स्वीकार करके बातचीत में बिठाया। कौन बैठा, इस पर थर्ड कंट्री आएगा, कहाँ बातचीत हुई, इस पर थर्ड कंट्री नहीं आएगा। इसलिए यह कहना कि बैंकाक में बातचीत हुई तो थर्ड कंट्री आया और यह जो आपने कहा कि तुरन्त ऊँचाई आ गई, यह इसीलिए आ गई कि मीडिया हाइप हो ही नहीं पाया। दिल्ली और इस्लामाबाद में जब बातचीत होती है तो कितना हाइप आता है, लेकिन बातचीत बैंकाक में हुई और कोई मीडिया से छिपकर नहीं हुई। हम लोगों ने कहा, उसके बाद भी स्टेटमेंट निकला कि बातचीत बहुत अच्छे वातावरण में हुई। गुपचुप कुछ नहीं हुआ।

15.00 hours

लेकिन महज़ बैंकाक में हो जाने के कारण वह थर्ड पार्टी कंट्री बन गया तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कह देना कि बैंकाक में बात हुई, इसलिए थर्ड कंट्री आ गया, यह नहीं है। बाकी जो आपका कहना है कि एक आश्वासन दो कि अनइंटरप्टेबल डॉयलॉग होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हम लोग यह चाहेंगे कि जो सबोटियर, जिनकी आपने चर्चा की, जो डॉयलॉग को किसी न किसी तरह से रोकना चाहते हैं, उनसे प्रोवोक न हों और डॉयलॉग से ही रास्ता निकलेगा और इसलिए इस डॉयलॉग से रास्ता निकालें, यही हमारा मत इसमें रहेगा।

चन्द्रमाजरा जी ने बात की और आपने हमसे पूछा कि क्या आपने इस पर बात की है, समुद्र के रास्ते से व्यापार हो, क्या आपने इस पर बात की है कि हमारे जो गुरुद्वारे हैं, उनकी सेवा हो। एक-एक बात

वहां अलग-अलग नहीं हुई, चन्दूमाजरा जी। लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी है कि हम लोगों ने जो पिलर्स टॉक्स के बनाये, जो पुराने कम्पोजिट डॉयलॉग में भी चले आ रहे हैं, उसमें हमने नये सिरे से रिलीजियस टूरिज्म डाला है और रिलीजियस टूरिज्म डालने का मतलब है, जो गुरुद्वारों की सेवाएं हैं, वे भी, हम उसमें कटासराज की बात भी करते हैं। हम उनके यहां आने पर अजमेर शरीफ साहब और निजामुद्दीन औलिया आने की भी बात करते हैं तो रिलीजियस टूरिज्म में यह बात आएगी।

इसी के साथ मैं महबूबा जी का जवाब दे दूँ कि आपने भी पूछा कि क्या यह बात हुई कि वाघा अटारी बोर्डर पर हमारा व्यापार बढ़ेगा। यह जो पिलर्स हैं, उसमें ट्रेड एंड ट्रांजिट एक बहुत बड़ा पिलर है और ट्रेड एंड ट्रांजिट में ये दोनों चीजें आएंगी। वाघा अटारी बोर्डर भी आएगा, कनेक्टिविटी भी आएगी। वे सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी तो जो पिलर्स हमारे हैं, जिसमें ओवेसी जी ने तो 4-5 पिलर्स गिना दिये, मैं कहना चाहूंगा, ओवेसी साहब, इसमें सरकारी भी है, इसमें सियाचिन भी है, इसमें वुल्लारग्राज भी है, इसमें तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट भी है तो ये सारी की सारी बातें, जितनी आपने पूछीं, वे सारी की सारी इसमें हैं। ट्रेड एंड ट्रांजिट भी है, जो महबूबा जी चाह रही हैं और चन्दूमाजरा जी, जो आप चाह रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म भी इसमें है। वहां यह बात नहीं हुई, वहां यह बात हुई कि दोनों जगह के विदेश सचिव बैठ करके एक सारणी बना लें, उसमें ये पिलर्स हैं और किस किस स्तर पर बात होगी, यह भी तय है।

अन्त में, यह भी मैं आपको बता दूँ कि टैरिज्म का भी हमने लेवल बढ़ा दिया है। अब टैरिज्म की जो टॉक होगी, वह एन.एस.ए. लेवल पर हुआ करेगी। टैरिज्म का स्तर एन.एस.ए. लेवल का होगा, बाकी जो सैक्रेटरीज़ के स्तर का होगा, जो अगली विदेश सचिव की वार्ता है, उन तीनों वार्ताओं में वार्ता के अन्दर ये सारे पिलर्स तय कर दिये जाएंगे। बाकी ज्यादातर साथियों ने चाहा है, चाहे वे विनायक जी हों, चाहे वे जयदेव जी हों, चाहे वे जितेन्द्र रेड्डी हों, चाहे वे राजामोहन रेड्डी हों, इन सब के, चारों के सवाल ट्रस्ट पर सम्बन्धित थे कि ऐसा क्या हो गया या आगे ऐसा सुनिश्चित होगा क्या? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बातचीत जब भी होती है, भरोसा करके ही होती है और मैं एक और आपको बता दूँ कि जब हमने यह तय कर लिया कि तीसरे देश की मध्यस्तता हम स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरी पार्टी की मध्यस्तता स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरे व्यक्ति की मध्यस्तता स्वीकार नहीं करेंगे तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। अगर किसी तीसरे की मध्यस्तता स्वीकार नहीं तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। इसीलिए जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा कि जो हमारे रिश्ते पूरे क्षेत्र में खराब हो रहे हैं, वे हमारे दोनों देशों की लगातार दूरी के कारण हो रहे हैं। सार्क उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा, जिस तरह से बाकी दूसरी ग्रुपिंग्स कर गईं। इसलिए इस दूरी को पाटना बहुत जरूरी है और मुझे यह खुशी है कि हमने यह काम सरकार में

आने के बाद नहीं, प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद नहीं, शपथ लेने से पहले सार्क के तमाम के तमाम नेताओं को यहां बुलाया, नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया। यह बातचीत उस समय से शुरू हुई, यह बातचीत ऊफा से शुरू नहीं हुई। मैं तो उस वार्ता की साक्षी हूँ। 26 मई को हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नवाज साहब आये। सारे नेता आये। एक बंगलादेश का रिप्रेजेंटेशन स्पीकर के लेवल पर हुआ, क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर उस समय जापान गई हुई थीं। वे नहीं आ सकी थीं, बाकी सब के सब लोग आये। नवाज साहब भी आये। अगले दिन बाइलेटरल मीटिंग सब के साथ हुई। वहीं यह तय हुआ कि जब नवाज साहब ने कहा, फॉरेन सैक्रेटरी लेवल टॉक शुरू करो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिल्कुल करो। लेकिन आप भी वाघा और अटारी बोर्डर पर व्यापार शुरू करिये। अब यह अलग बात है कि एफ.एस. लेवल टॉक्स के चार दिन पहले वह वार्ता रद्द करनी पड़ी, मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहती, वे सारे कारण आप लोग जानते हैं। लेकिन जिस समय अभी वे पी.एम. डेजिग्नेट थे, हमारी पार्टी ने और एन.डी.ए. ने मिलकर उनको नेता चुना था, अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, यह सम्बन्ध सुधारने का काम उन्होंने तब से शुरू कर दिया था और सारे सार्क नेताओं को निमन्त्रण दिया था। उसी चीज़ को उन्होंने ऊफा में आगे बढ़ाया। जब सार्क सम्मेलन के दौरान की हुई हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पाई तो उसी को उफा में बढ़ाया। जब उफा वाली बातचीत पूरी नहीं हुई, तो फिर उसे पेरिस में बढ़ाया, यानि जब-जब उन दोनों की मुलाकात हुई है, तो जिन-जिन चीज़ों पर सहमति हुई थी, मगर वह नहीं हो पायी तो उन्होंने वहीं से उसका सूत्र पकड़ा और उसे आगे ले गए। पेरिस में जब उन्होंने उसका सूत्र पकड़ा और बैंकॉक में मीटिंग हो गयी तो आप मुझे बताइए कि एन.एस.ए. लेवल की मीटिंग होने के बाद अगला रोडमैप क्या होता है और क्या होना चाहिए था? अगर यहां एन.एस.ए. लेवल की टॉक्स हो जाती, तो आप भी और हमारा मीडिया भी, मुझसे यही सवाल पूछता कि अब कॉम्पोज़िट डॉयलोग कब शुरू कर रहे हैं? यही एक कारण है कि इसका सब ने स्वागत किया। हर एक ने इसका स्वागत किया। एक ने भी आलोचना नहीं की। कुछ ने आशंकाएं जरूर प्रकट की हैं और वह अतीत के कारण से। पीछे जो होता रहा, उसके कारण आशंकाएं प्रकट की गयीं। लेकिन, जैसा मैंने कहा कि भरोसा करके ही बातचीत शुरू होगी, जब भी बातचीत शुरू होगी।

अब आलोचना करने वाले तो अजीब-अजीब आलोचना करते हैं। साड़ी का रंग हरा क्यों था? उर्दू में क्यों बोलीं?... (व्यवधान) अरे भई, मैं बुधवार को हरी साड़ी ही पहनती हूँ और उस दिन बुधवार था और मैंने हरी साड़ी पहनी थी।... (व्यवधान) हमारे यहां से किसी ने इसके बारे में नहीं बोला।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सुषमा जी, आपकी उर्दू नवाज़ शरीफ से अच्छी थी।... (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सौगत दा, इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने वहां उर्दू क्यों बोली? मैं उन आलोचना करने वाले लोगों को कहना चाहूंगी कि उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबां है। उर्दू केवल उनकी जुबां नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबां है। अगर मैं बैंकॉक में विश्व संस्कृत सम्मेलन में जाकर संस्कृत में भाषण देती हूँ, तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रू-ब-रू होती हूँ, तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी? यह मेरे मुल्क की भी जुबान है। इसलिए मैंने वहां उर्दू में बात की!...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please don't divert.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मरियम के साथ मेरी क्या बात हुई? मरियम तो उनकी बेटी हैं। मेरी उनकी वालिदा से भी बात हुई। वह भी वहां थीं। मैं वहां नवाज़ साहब की चार पीढ़ियों से मिली। नवाज़ साहब की वालिदा यानी उनकी मदर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, और बेटी के भी आगे दो बेटियां - मैं उनकी चार पीढ़ियों से एक साथ मिली, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें अहमियत रखती हैं, महत्व रखती हैं।

इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे माहौल में यह बातचीत शुरू हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध अच्छे होते हैं, तो फिर पूरे क्षेत्र में भी शांति बढ़ने की बात आगे आती है और शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि, जो मैंने अन्त में कहा था, कि मुझे सदन का समर्थन हासिल होगा, तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस आधे घंटे की चर्चा ने यह पुष्ट कर दिया कि पूरे सदन का समर्थन इस इनिशिएटिव को मिल रहा है, इस पहल को मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Sugata Bose, I allowed you as a special case. Please don't quote this in future as one more person from the same party has been allowed.

15.08 hours**MATTERS UNDER RULE 377 ***

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

**(i) Need to increase the powers of District
Vigilance & Monitoring Committee**

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): The Vigilance & Monitoring Committees (V&MCs) are constituted at State as well as District level to function as important instrument for effective monitoring and implementation of the programmes of the Ministry of Rural Development. One of the major objectives of the V&MCs is to provide crucial inputs to the Members of Parliament and elected representatives regarding implementation of schemes in an effective manner within the time frame so that public funds are put to optimal use and programme benefits flow to the rural poor in full measure. The Member of Parliament of the district is the Chairman of the District Vigilance & Monitoring Committee.

I would like to mention here that in every district there are always some projects/schemes on. Now V&MCs only have the power of preventive vigilance i.e., to point out irregularities and misappropriation of funds but V&MCs do not have the power to take action.

* Treated as laid on the Table.

If anyone is misusing the funds, while implementing any projects/schemes, Vigilance Committee may be authorised to take action against the accused and suspend him.

I request the Government to increase the power and accountability of District Vigilance & Monitoring Committee. Further District Vigilance & Monitoring Committee should have the direct link with Ministry so that the Committee could submit the report directly.

**(ii)Need to provide clean drinking water in all the villages in Kairana
Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.**

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना (उत्तर प्रदेश) में पेयजल का भारी संकट है। पौराणिक नदी यमुना, कृणा, हिंडन से लेकर सभी छोटी नदियाँ इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि उनका पानी पीना तो दूर, उनके तट पर खड़ा होना भी कठिन है। क्षेत्र में लगे चीनी मिल, पेपर मिल तथा अन्य सैकड़ों उद्योगों का प्रदूषित जल सीधे नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। भूजल भी पूर्णतः प्रदूषित हो चुका है। पेयजल हेतु जो इण्डिया मार्क-॥ नल लगाये गये हैं, उनका पानी पीने लायक नहीं रह गया है। क्षेत्र का एक गाँव भी ऐसा नहीं बचा है जहाँ प्रदूषित जल के कारण भयंकर संक्रामक रोग न फैले हों। विगत 3 महीनें में कैंसर, हृदय रोग, हेपेटाइटिस, उँगू से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक गाँव में पानी की टंकी स्थापित करके नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में मेरे द्वारा पत्रों के माध्यम से एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क करके टंकी स्थापित करने की मांग की गई है परंतु अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में पानी की टंकी स्थापित करवाकर शुद्ध पेयजल की प्रभावी व्यवस्था करायी जाये।

(iii) Need to include people belonging to Mallah, Hajjam, Tatwa, Lohar and Barhai castes of Bihar in the list of Scheduled Castes.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : मैं सरकार का ध्यान बिहार की अत्यंत पिछड़ी हुई जातियों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। बिहार में मल्लाह, हजाम, तातवां, लोहार एवं बढई जाति के लोग अति पिछड़ा श्रेणी में आते हैं जबकि इनकी आबादी में शुरू से ही ये जातियाँ सामाजिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार में शैक्षणिक रूप से उक्त जातियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी सरकार का नारा है- “सबका साथ-सबका विकास”। लोहार, मल्लाह, हजाम, तातवां एवं बढई जातियों के लोग भी केंद्र सरकार के भरोसे अपना संवैधानिक हक प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इनकी मांगें सर्वथा न्यायोचित हैं। वॉ से हो रही इनकी उपेक्षा को केंद्र सरकार इनका हक दिला सकती है जिससे समाज के अन्य वर्गों की तरह ये भी विकास कर सकें।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मल्लाह, हजाम, तातवां, लोहार एवं बढई जातियों को बिहार में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कराने की कार्यवाही की जाए जिससे वर्षों से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी इन जातियों का उत्थान हो सके।

(iv) Need to provide rail services between Mundeshwari Dham (Bihar) and Dildarnagar (Uttar Pradesh) and on Pahleja-Rohtas-Nauhatta-Robertsganj section.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : दिलदार नगर जंक्शन (उत्तर प्रदेश) से मुण्डेश्वरी धाम (कैमूर) बिहार तक रेल पथ का निर्माण लम्बे समय से प्रस्तावित है तथा बिहार के पहलेजा से तिलौथू, रोहतास तथा नौहट्टा होते हुए रोबटर्गज (उत्तर प्रदेश) का क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा, नक्सल प्रभावित एवं बड़ी जनसंख्या से आच्छादित है। परन्तु अभी तक इन दोनों योजनाओं के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

मुण्डेश्वरी धाम बिहार राज्य में मेरे संसदीय क्षेत्र के कैमूर जिला अन्तर्गत अवस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और पहलेजा से तिलौथू, रोहतास एवं नौहट्टा होते हुए रोबटर्गज (उत्तर प्रदेश) का क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा, नक्सल प्रभावित एवं बड़ी जनसंख्या से आच्छादित है। इन क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तार होने से क्षेत्र का तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। इस निर्माण कार्य से प्रभावी संपर्क रेल मार्ग के माध्यम से बड़ी आबादी की चिर-प्रतीक्षित अभिलाषा एवं आवागमन, व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि सुविधाओं से संबंधित लोगों की बुनयादी जरूरतें पूरी होंगी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारत के पिछड़े एवं अभावग्रस्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास हेतु रेल मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(v) Need to provide free treatment to AIDS patients in the country.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : हमारे देश में एच.आई.वी. एड्स के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके संदर्भ में मैं पहले भी एच.आई.वी. एड्स बिल लोक सभा में पेश कर चुका है। एच.आई.वी. अर्थात् ह्यूमन इम्युनोडिफिसियेंसी वायरस एक विषाणु है जो शरीर के इम्युन सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और व्यक्ति के शरीर में उसकी प्रतिरोधक क्षमता को दिनोंदिन कमजोर कर देता है। भारत की बात करें तो यहाँ एड्स के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा एच.आई.वी. एड्स के केस 1 लाख 31 हजार 87 महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरे नम्बर पर आंध्र प्रदेश है। अगर पिछले वर्षों से तुलना करें तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में वर्ष 2009-10 में यह 2 लाख 46 हजार 627 थी जबकि यह संख्या 2010-11 में बढ़कर 3 लाख 20 हजार 114 हो गई थी। इस साल अप्रैल से लेकर दिसम्बर तक 2 लाख 75 हजार 377 केस और आ चुके हैं। सही तरीके से देखभाल न करने के कारण यह बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसमें प्रथम और दूसरे चरण में मरीजों को ज्ञात ही नहीं हो पाता क्योंकि शरीर बाहर से तो काम करता है परंतु अंदर से कमजोर होता जाता है। जब तक मरीज को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि एड्स के प्रथम और दूसरे चरण के मरीजों के इलाज के लिए मुफ्त व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ ऐसे उपाय किये जाएं जिससे एड्स की आरंभिक अवस्था में उसका पता चल सके और ऐसे मरीजों का मुफ्त इलाज करके उनको बचाया जा सके।

(vi) Need to construct a bridge on river Ramganga near Baragaon Arjunpur in Hardoi Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रामगंगा नदी पर बड़ागाँव अर्जुनपुर के पास एक पुल निर्माण कराए जाने के लिए काफी समय से जनता द्वारा माँग की जा रही है। इस संबंध में मैं दिनांक 31.07.2014 को शून्यकाल में प्रश्न उठाकर तथा लिखित पत्राचार कर सरकार से आग्रह कर चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस स्थान पर आज़ादी के 65 साल से पैटून पुल का समय-समय पर आवागमन हेतु निर्माण कराया जाता है जो बाढ़ में प्रतिर्वा नदी में बह जाता है। बरसात खत्म होने के बाद पुनः पैटून पुल के ड्रम एकत्रित कर रास्ते का संचालन किया जाता है।

मुझे सरकार के संज्ञान में यह भी लाना है कि र्वा 1976 में कार्तिकी पूर्णिमा पर इसी स्थान पर नाव पलटने से 90 स्नानार्थियों को जान गँवानी पड़ी थी। र्वा 2012 में 23 जनवरी को इसी स्थान पर ट्रैक्टर-ट्रॉली फिसलने से हरियापुर-मड़ेया गांव के दो लोगों की डूबकर जान चली गई थी तथा एक दर्जन से अधिक स्नानार्थी घायल हुए थे। प्रतिर्वा इस स्थान पर कोई न कोई हादसा होता रहता है। यहाँ के किसान रास्ता बन्द होने के कारण 6 माह के लिए खेती की देखभाल नहीं कर पाते हैं। इस स्थान पर पुल निर्मित हो जाने से जनपद फर्रुखाबाद व जनपद कन्नौज का सीधे आने-जाने का रास्ता 10 किलोमीटर व 30 किलोमीटर क्रमशः ही रहता है, वैसे तो 50 से 75 किलोमीटर चक्कर की दूरी तय कर कन्नौज पहुंचते हैं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में सवायजपुर विधान सभा क्षेत्र आता है। इस विधान सभा में गंगा, रामगंगा, कुण्डा, नीलम, गम्भीरी 5 नदियाँ बहती हैं जिससे क्षेत्र भ्रमण एवं चुनावी दौरा करने में जनप्रतिनिधियों को काफी दिक्कत होती है। यह विधान सभा पुल-पुलियों, सडकों से वंचित है। इस पुल निर्माण हेतु पंचनद समिति द्वारा समय-समय पर धरना-प्रदर्शन कर शासन व प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। पंचनद समिति एवं वहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुल न बनने के कारण बच्चों की शादी करने में अड़चनें आती रहती हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि रामगंगा नदी पर बड़ागाँव अर्जुनपुर के मध्य पुल निर्माण हेतु इसी बजट सत्र में धन आवंटित कर पुल निर्माण कराए जाने की कृपा की जाए।

(vii) Need to make budgetary provision in ensuring Railway Budget for construction of railway line between Sitapur and Bahriach in Uttar Pradesh.

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सीतापुर (उत्तर प्रदेश) से बहराइच तक स्वीकृत नई रेल लाइन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। बहुत अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस रेल लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन नहीं किया गया है जबकि यह रेल लाइन उत्तर प्रदेश और नेपाल देश की सीमा को जोड़ेगी जिससे एक देश से दूसरे देश को जाने-आने में आसानी होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की बहुत आबादी है। आवागमन के साधन ठीक न होने के कारण इन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है और जनपद कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित विश्वस्तरीय बौद्ध स्थल तक बौद्ध भिक्षुओं तथा उनके अनुयायियों को आने-जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त रेल लाइन बन जाने से यह तराई का क्षेत्र विकसित होगा तथा माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा “सबका साथ-सबका विकास” सार्थक होगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस रेल लाइन के निर्माण हेतु आने वाले रेल बजट में धन आवंटित कर कार्य शुरू कराने की कृपा की जाए।

(viii) Need to curb the malpractices in audit of accounts in primary and pre-secondary schools under mid-day-meal and other schemes in Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को आवंटित धन, ड्रेस, मिड डे मील व अन्य खर्चों का ऑडिट किया जाना अनिवार्य है परंतु इस ऑडिट को शिक्षा विभाग के विभिन्न सदस्यों ने उगाही का एक प्रमुख साधन बना लिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के अनुसार न्याय पंचायत रिसोर्स परसन (एनपीआरसी) व ऑडिट टीम कथित आपसी सॉठ-गॉठ से प्रति ऑडिट 200 रूपए वसूल रहे हैं। न्याय पंचायत रिसोर्स परसन द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची विद्यालय के हेड मास्टर द्वारा ऑडिट टीम को दिये जाने पर ऑडिट टीम के अधिकारी बिना कुछ देखे आँखें बंद कर ऐसे विद्यालयों के रजिस्ट्रों पर अनियमितताओं को नजरअंदाज कर हस्ताक्षर कर देते हैं। ऑडिट क्लियरेंस मिलना लगभग असंभव हो गया है। ऑडिट क्लियरेंस के बिना विद्यालयों को आगामी खर्चों के लिए धन मिलना मुश्किल हो जाता है। इस कारण न्याय पंचायत रिसोर्स परसन द्वारा अधिकारियों की दलाली के तौर पर उगाही की कथित प्रक्रिया बदस्तूर जारी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही ऑडिट प्रक्रिया को सशक्त किये जाने संबंधी व्यवस्था करने का कट करे ताकि छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं का उचित एवं निपक्ष रूप से मूल्यांकन किया जा सके।

(ix) Need to provide relief to the people of Barmer and Jaisalmer districts of Rajasthan having shortage of drinking water

COL. SONARAM CHOUDHARY (BARMER): I represent Barmer-Jaisalmer districts of Rajasthan having geographical area of 56779 kms. with population of 3273660. Being part of famous world Thar Desert, it has been facing drought year after year so much so that it witnessed famines in 40 years during the last 60 years. This year too out of 17 Tehsils, there was not even a single drop of rain in 10 Tehsils. 85% of the area falls in Dark Zone and in the remaining area, water is available at 400 to 1000 feet beneath the ground and the available water is only 2000-3000 TDS. As per the observations of W.H.O., this water is unfit for drinking purposes. In the absence of safe drinking water, the consumption of this water causes ailments among the people.

In view of the above, Indira Gandhi Canal was extended upto border area of Jaisalmer and Narmada Canal reached Barmer in the year 1995. Due to these canals, mega Water Supply Schemes were finalized and our Hon'ble Prime Minister when he was Chief Minister of Gujarat extended immense cooperation for the implementation of Narmada Canal Schemes. Schemes on both the Canals were prepared during 2003-2008, However, during 2008-2013, these schemes did not get the boost for want of release of funds. At the fag end of the regime of the previous Government in Rajasthan, 3 schemes on Narmada Canal and 2 schemes on Indira Gandhi Canal were finalized at a cost of Rs. 3000 crores. If full funds are released for these new schemes in the coming 3-4 years, 85% of the population of Barmer – Jaisalmer would get the benefit of safe drinking water which would be a commendable initiative to fulfil the dreams of our Prime Minister.

In this connection, I met Union Minister for Rural Development alongwith the concerned Minister of Rajasthan Government to urge upon him for release of funds to the tune of Rs. 3000 crore for these 5 Schemes from NRDWP or any other Centrally Funded Scheme. Hon'ble Chief Minister of Rajasthan has also

written a DO letter to him in this regard. Madam Speaker, through your good offices, *I* most earnestly request the Hon'ble Prime Minister & Minister for Rural Development to release the required funds as *a* Special Package or help the State to get aid from World Bank so as to provide the much needed relief to the parched people of desert districts of Rajasthan suffering from the problem of shortage of drinking water.

(x) Need to construct a bridge between Thakraha block and Bettiah in Valmikinagar Parliamentary Constituency, Bihar.

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर) : ठकराहा ब्लॉक मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर (बिहार) में आता है। इसकी दूरी जिला मुख्यालय बेतिया से 25 किलोमीटर पड़ती है जबकि वर्तमान में जिला मुख्यालय जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ठकराहा से जिला मुख्यालय जाने के लिए उत्तर प्रदेश, गोपालगंज होते हुए बेतिया पहुँचते हैं जिसके कारण आम लोगों को समय के साथ-साथ धन की भी बर्बादी होती है, जिससे यहाँ के लोग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। ठकराहा को जिला मुख्यालय बेतिया से जोड़ने के लिए गण्डक नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल बनाया जाए। इससे उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों राज्यों के लाखों लोगों को फायदा होगा।

(xi) Need to link Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme with farm sector and also take measures to mitigate the sufferings of the farmers

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE (DHULE): Today, the farmers are compelled to commit suicides in the country. India is an agrarian economy. I would request the hon. Minister of Agriculture to bring a separate budget for agriculture so that farmers could get relief. It has been a popular demand of the farmers that they should get the price of their crops on the basis of input costs. Now, the pulses have been imported. The timing of the arrival of the imported pulses and the arrival of the crops of the farmers in the market would coincide, therefore, farmers would not get remunerative prices. The Crop Insurance Scheme has been in force for farmers for many years now. When it is time to pay the insurance amount to the farmers then the insurance companies work out the average of production arbitrarily and even do not give the amount in time. When some farmer commits suicide then several laws are applied. I would therefore, request the hon. Minister of Agriculture that when a farmer commits suicide for any reason then the dependants of the deceased should get the compensation or the assistance without any hassle. The MGNREGA scheme should be linked with farming and a farm labourer should get a 100 days job work under MGNREGA. This will help the farmer besides bolstering the GDP. For Maharashtra, the farmers have not been able to pay their loan due to natural calamities, therefore, their loan should be waived off hundred per cent.

(xii) Need to run EMU train service on Giridih-Kowad-Kodarma-Ranchi route and run a superfast Garib Rath train from Dhanbad to Delhi besides augmenting railway services in Hazaribagh Station

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : झारखण्ड-बिहार की सीमा पर अवस्थित कोडरमा से राँची हज़ारों की संख्या में दैनिक यात्री यात्रा करते हैं। यहाँ की जनता की आवश्यक मांग है कि गिरिडीह-कोवाड़-कोडरमा-राँची तक ई.एम.यू. अप/डाउन रेल सेवा प्रारंभ की जाए तथा इसे नई चालू लाइन गिरिडीह से जोड़ा जाए। इस गाड़ी के संचालन से सरकार को राजस्व का बहुत लाभ होगा।

गाड़ी संख्या 12365/12366 जन शताब्दी का हज़ारीबाग रोड ठहराव किया जाना चाहिए। इससे प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों को लाभ होगा।

हज़ारीबाग रोड स्टेशन पर 12 घण्टे कम्प्यूटर आरक्षण केंद्र खोला जाए। अभी वर्तमान में आधा दिन ही आरक्षण काउंटर खुलता है।

राँची राजधानी का ठहराव हज़ारीबाग रोड पर किया जाना चाहिए क्योंकि हज़ारीबाग रोड हज़ारीबाग एवं गिरिडीह जिले का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है।

धनबाद से दिल्ली तक एक सुपर फास्ट या गरीब रथ चलाई जानी चाहिए।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाने की कृपा करें।

(xiii) Need to check increasing pollution level in the country particularly in Uttar Pradesh.

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहांपुर) : देश में प्रदूषण एक विकराल समस्या का रूप धारण कर रहा है। मनुष्य के विकास के साथ-साथ आबादी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य हेतु स्वच्छ वातावरण का होना अति आवश्यक है परंतु मनुष्य ने अपनी सुविधानुसार प्रकृति से खिलवाड़ करना जारी रखा जिससे प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई।

एक ग्लोबल सर्वे एजेन्सी की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर सम्मिलित हैं। ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर आधारित हैं। यह सोचने का विषय है। प्रदूषण अनेक प्रकार की बिमारियों का जनक है। बुजुर्ग हों या बच्चे, इससे सभी वर्ग प्रभावित हैं। स्थिति यह है कि हर पाँचवाँ व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है।

देश में प्रदूषण का एक कारण सड़कों पर दौड़ते वाहनों से हवा में उड़ती धूल भी है। इस मामले में देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की सड़कों की स्थिति भी बहुत खराब है। जहाँ देखें धूल के गुबार उठते दिखाई पड़ते हैं। यातायात रूक-रूक कर चलता है जिससे उत्सर्जित धुएँ में दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। शहरों की स्थिति बहुत ही भयावह है। गाड़ियों से निकला धुआँ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस विकराल समस्या का समाधान निकाला जाए जिससे मानव जीवन को बचाया जा सके।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल यथोचित कदम उठाए जाने की तुरंत आवश्यकता है।

(xiv) Need to expedite gauge conversion of railway line on Ahmedabad-Himmatnagar-Udaipur and Modasa-Shamlaji sections.

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा) : मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) में निम्न कार्यों को कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है:-

1. अहमदाबाद-हिम्मतनगर से उदयपुर तक मीटरगेज रेलवे लाइन,
2. मोडासा-शामलाजी मीटरगेज रेल को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करने का काम चालू है। काम की प्रगति में देरी हो रही है।
3. गाँधीनगर-प्रांतिज एवं मोडासा-मेघराज से राजस्थान के बसवाड़ा रूट के लिए सर्वे बजट का प्रावधान किया गया है।

अतः मेरा माननीय रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि रेल विकास के उपरोक्त कार्यों को शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाए ताकि जनता को इनका लाभ यथाशीघ्र प्राप्त हो सके।

(xv) Need to set up a computerized Railway Reservation Centre and provide stoppages of Guruvayoor and Trichy Express trains at Madurantakam Town in Tamil Nadu

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Madurantakam Town is the headquarters of Madurantakam Taluk in Kanchipuram district of Tamil Nadu. Well known for the 1300 years old Yeri Katha Ramar Temple and the Madurantakam Lake, the Vedanthangal Bird Sanctuary is situated just 12 Kms from Madurantakam.

People of Madurantakam requires a computerized Railway Reservation office at Madurantakam Railway Station Further, it is a long pending demand of people of Madurantakam to have stoppageg of two daily morning trains i.e. MS Guruvayur Express (Train No. 16127) and Trichy Express (Train No. 16853) at Madurantakam. This will facilitate large number of people to reach Tiruchirapalli and other towns south of Madurantakam for their daily business and official works.

I urge the Government to create a computerized Railway Reservation office and to provide stoppage for MS Guruvayur Express (Train No. 16127) and Trichy Express (Train No. 16853) at Madurantakam Railway Station.

(xvi) Need to release the Central share for marketing incentive with regard to the comprehensive Handloom Development Scheme for Tamil Nadu

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): The Comprehensive Handloom Development Scheme of the National Handloom Development Programme is one of the Central Schemes implemented by the State Government. Under this scheme, the Government of Tamil Nadu have requested the Government of India to release the Central Share of marketing incentive of Rs. 40,85,66,445/- for the year 2014-15 which will help promote the sale of handloom products. Since, the central share is not released in time, it affects the marketing ability of the Societies.

Considering the plight of the Handloom Weavers Co-operative Societies, the State Government have already released the above Central share of marketing incentive to the Primary Handloom Weavers Co-operative Societies and the Tamil Nadu Handloom Weavers Co-operative Society Ltd., (Co-optex).

In the above circumstances, I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Union Minister of State for Textiles to kindly sanction and release the Central share of Marketing incentive for the year 2014-15 to Tamil Nadu at the earliest so as to enable the State Government to release the State share of marketing incentive of Rs. 44.53 crores under Comprehensive Handloom Development Scheme for 2015-2016.

(xvii) Need to revise the existing guidelines of Prime Minister Gram Sadak Yojana (PMGSY)

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR): Odisha is one of the states where road connectivity is still very poor. About 300 villages in my Parliamentary constituency in Nabarangpur are yet to be connected by all weather roads. It is a Tribal Sub-plan area.

As per the latest guidelines of the Government, 2nd (Second) phase of roads under PMGSY is being sanctioned for those states which have completed works under 1st (First) phase. This decision is without any logic. Because of this decision, states like Odisha, with less infrastructure are further deprived to go ahead and catch up with the developed states.

It is therefore requested that this restriction may please be withdrawn and new projects as per actual requirement of the States may be allowed.

(xviii) Need to check the menace of bonded labour in the country

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): I would like to draw the attention of the Government towards an important issue of bonded labour in India. Bonded labour as it stands is a blot on our society and it is shameful that it exists even today. Bonded labour is no less than slavery and hundreds of people in India are still being subjected to this practice. Academic studies show that Rice Mills, Rock Quarry, and Brick Kilns are the main industries where bonded labour thrives. Madam, it is really shocking and sad to see that the government till date has never made an extensive study to gauge the prevalence of bonded labour in this country in spite of academic studies painting an alarming picture. I would like to request the government to set up a hotline for bonded labour and also a special cell under the Ministry of Labour & Employment to carry out a nationwide survey to check this menace.

(xix) Need to accord National Project status to Dr. B.R. Ambedkar Pranhita-Chevella Sujala Sravanthi Irrigation Project in Telangana

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): The Pranhita-Chevella irrigation project is a life-line for seven backward and most drought-prone districts of Telangana. It seeks to divert 160 TMC of allocated water from River Pranhita, a major tributary of river Godavari, which would otherwise go unutilized. It has already been granted an in-principle clearance from the Central Water Commission (CWC) in April, 2010, and the Detailed Project Report is in an advanced stage of clearance in CWC. Currently, no project in Telangana has been declared as a National Project. This project will enable us to utilize the Godavari waters to address rural poverty and drinking water needs of the State.

Therefore, I strongly urge the Government to extend National Status to Dr. BR. Ambedkar Pranhita-Chevella Sujala Sravanthi Project with immediate effect as it satisfies all the necessary norms and criteria stipulated for consideration as a National Project.

(xx) Need to ensure adequate and timely release of grant for special schools located in Kerala and also enhance the honorarium of teaching and non-teaching staff of such schools

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of the Government towards the miserable condition of the special schools and their teaching and non-teaching staff. These special schools aim at the full development and participation of children with disabilities. The only support these schools receive is in the form of a small grant to meet the expenses of a nominal honorarium from the Ministry of Social Justice and Empowerment. However, there is inordinate delay in releasing this small grant. Many institutions in my constituency have not received this grant for the last two years. Further, the honorarium for the teaching and non teaching staff is insufficient. The recommendations of Central and State Pay Commissions have never benefitted them. It is a paradox that the equally qualified and specially trained are paid much less than the ordinary Government school staff. Hence, I urge upon the Government to ensure proper and timely release of the grant and a significant enhancement of honorarium to the teaching and non teaching staff of special schools.

**(xxi) Regarding deepening and widening of entrance channel
at Kadmat Island in Lakshadweep**

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Department of Andaman, Lakshadweep Harbour Works has submitted a proposal for deepening and widening of entrance channel at Kadmat Island (Western Side) during the previous year. Unfortunately, Infrastructure Committee on Ministry of Environment & Forests has rejected the proposal stating that no more structures/projects will be allowed on the western side. Lakshadweep administration has proposed this project at Kadmat Island, which is centrally located among the northern group of islands and due to the shallow entrance channel, the high speed craft which is used mainly for the inter-island connectivity, is not in a position to enter inside the channel and berth alongside in the Jetty. This project will enable the high speed craft to station at Kadmat Island. In turn it will help to overcome the navigational limitations of distance covered in a day towards northern island from capital. Moreover islanders depend on Rajiv Gandhi Speciality Hospital at Agatti Island which is run through PPP mode for expert treatment. Due to the navigational limitations of distance from Kavaratti island, most of the patients in the northern islands cannot travel through this High speed craft to Agatti Island. I strongly recommend this project so that patients could travel to Agatti Island to avail the treatment facility without much hassle.

15.09 hours**ATOMIC ENERGY (AMENDMENT) BILL, 2015**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Atomic Energy Act, 1962, be taken into consideration.”

Sir, with your permission, I would just like to make a few observations. आदरणीय सदस्यों के ध्यान में होगा कि जब से इस सरकार ने सत्ता संभाली है, प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले अठारह मास में एटॉमिक इनर्जी विभाग में और एटॉमिक इनर्जी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हुई है। वर्तमान में हमारे पास न केवल 21 रिएक्टर्स हैं, बल्कि बहुत जल्द छः और रिएक्टर्स उसमें जोड़ने की एक योजना है। इसके अतिरिक्त जहां-जहां भी प्रधानमंत्री जी की यात्रायें विदेश में रही हैं, एटॉमिक एनर्जी के संबंध में कोई न कोई नए एग्रीमेंट भी होते रहे, एमओयूज भी होते रहे। अभी दो ही दिन पहले शनिवार को जब जापान के प्रधानमंत्री भारत में आए थे, तो एक एमओयू फाइनलाइज किया गया, जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर एनर्जी और यूरेनियम के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में सहयोग रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी विदेश यात्रायें प्रधानमंत्री जी की हुई हैं या विदेशी नेताओं का यहां आना हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि शांतिपूर्वक लक्ष्यों के लिए है, उसको प्राथमिकता देते हुए, कहीं यूरेनियम का प्रावधान, कहीं दोनों देशों के बीच कोलैबरेशन के प्रावधान को लेकर कहीं न कहीं एग्रीमेंट किया है। इस परिस्थिति में हमारे ऊपर यह दायित्व आ जाता है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक्सपेंशन की योजनाएं बनाएं। Now the stage has come when we have to plan how best to expand our nuclear programme for two reasons. Firstly, we are already now in one of the frontline nations as far as the nuclear energy is concerned. Secondly, in the years to come, nuclear power in India is set to become one of the major sources of energy and also electricity. परन्तु इस प्रकार की

एक्सपेंशन की योजनाओं में जो बाधाएँ या अड़चने सामने आती थीं, उनका किस प्रकार से समाधान हो, इसको लेकर इस बिल और अमेंडमेंट को लाने का विचार हुआ है।

As you would recall, the Atomic Energy Act of India was enacted in 1962. Ever since then, for the last 50 years or so, there has been no amendment or no change. But now, as I submitted before you, with the rapid expansion of our nuclear programme, we have two main constraints coming forward. Firstly, we have just two Government-controlled corporations in the Department of Atomic Energy: the Nuclear Power Corporation of India Ltd. and the BHAVINI. The Act makes it binding on us that all the future reactors or future establishments have to be set up by these corporations. Secondly, the financial constraint on the part of these corporations also makes it difficult to proceed forward. Therefore, keeping these two considerations, जैसा मैंने अभी आपके समक्ष रखा कि जिस तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक्सपेंशन हो रही है, उसको किस तरह से संभव बनाया जाए, उसको लेकर दो विचार आए हैं। उनमें एक यह है कि we can have a provision of joint ventures with other Government establishments including PSUs. हम यह मानते हैं कि हम प्राइवेट संस्थाओं के साथ या प्राइवेट अदारों के साथ या प्राइवेट यूनिट्स के साथ, because of the reasons of confidentiality, we will not allow this. But, at least, we can have some joint ventures with the Government sector units. यह विचार इसलिए भी थोड़ा अर्जेन्सी पकड़ गया कि very recently, we had an offer from the Indian Oil Corporation and also the National Thermal Power Corporation, two of the Government sector units, who came forward to have joint ventures with our Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). But the Atomic Energy Act of 1962 debars us from entering into any kind of a joint venture. So, one of the amendments is pertaining to that.

The second is due to the fact that in the 1962 Act, the Government Company is defined as the one which has a share of not less than 51 per cent. When we enter into a joint venture, we might sometimes have a company which may not be having that much of a share because, as I submitted before you, it would be always a Government company or a Government sector unit. Therefore,

we have tried to bring in an amendment so as to make a provision that this will be 51 per cent jointly.

If I just read it before you it will be very clear. The purpose of the present amendment is to provide an enabling legal basis for the Nuclear Power Corporation of India Ltd. to form a joint venture with other Government units and PSUs for nuclear power generation. The need for this has arisen to meet the immediate requirement of equity infusion to augment country's nuclear power generation capacity. हमारे विचार में आर्थिक योजना बनाने के लिए या आर्थिक संसाधन उपयुक्त कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए यह सबसे सरल विकल्प है। The present constraint is that currently the Atomic Energy Act narrowly defines the category of companies eligible for licence to produce nuclear power. The definition of the Government company is: 'The one not less than 51 per cent of paid-up share in the capital held by the Central Government.' So, that is the constraint. NPCIL for that matter fits into that category. जो ऑलरेडी हमारी है। परन्तु जब हम ज्वाइंट वेन्चर में आयेंगे तो हमें यह दिक्कत आयेगी। इसलिए मुख्यतौर पर दो किस्म के अमेंडमेंट्स लाये जा रहे हैं। The solution, hon. Deputy Speaker, Sir, is that a proposal to modify the definition of Government company in the Atomic Act of 1962 in order to, (a) bring joint ventures with PSUs and other Government units under the definition of 'Government company' in the Atomic Energy Act mainly to have a joint venture, and (b) to extend the control of the Central Government over such joint ventures in which otherwise the Central Government is not a direct shareholder and, therefore, may not be able to exercise direct control in the normal course. ज्वाइंट वेन्चर्स को संभव बनाने के लिए ही ये सभी योजनायें बनाने का विचार आया है। अब हम यह प्रपोजल रख रहे हैं कि the Government company would mean not less than 51 per cent of the paid-up share capital is held by the Central Government same as earlier or the whole of the paid-up share capital is held by one or more of the companies specified under the same Clause and which by its Articles of Association empowers the Central Government to constitute its Board of Directors. इस प्रकार से 51 प्रतिशत वाला प्रावधान भी इसमें पूरा हो जायेगा और ज्वाइंट वेन्चर्स की

भी संभावना बन जायेगी। इसके अतिरिक्त एक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट जरूर रहेगी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार का अधिकार कम रहे, because of the reasons very well known to you. Therefore, the amendment consequent to Section 4 would enable the Central Government to licence the joint venture companies. It is because they also have to obtain the licence from the Government and we are not entering into any kind of a joint venture of a joint mechanism in the private company. It also enables the Central Government to take measures for safe operation of these nuclear plants and ensure disposal of nuclear material in the event a company licensed under the Act ceases to be a Government company. यदि उनमें से कोई भी कंपनी, कल ऐसी कोई भी संभावना उत्पन्न होती है, परिस्थिति ऐसी बनती है कि वह सरकारी अधिकार क्षेत्र में नहीं रहती है, तो उसका लाइसेंस विद्वा करने का, रद्द करने का भी अधिकार सरकार को रहेगा। साथ ही साथ आदरणीय सदस्यों के ध्यान में यह भी लाना उचित रहेगा कि ये मुख्य अमेंडमेंट्स लाने के उपरान्त, जो बाकी के प्रावधान हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर, सिविल न्यूक्लीयर लाइबिलिटीज का जो एक्ट वर्ष 2011 का है, उसके प्रावधान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम इसमें सफल रहते हैं, जो आज प्रयास किया जा रहा है तो आने वाले समय में एक यह भी विचार आयेगा कि there is a strong section of opinion in this country for the last few years which is proposing a comprehensive re-look and a comprehensive amendment to the Act as such which was enacted in 1962 which can be taken up later with the cognizance of the hon. Members of the House. But as of now, with your kind permission, I am moving this Bill for these two main amendments to the Atomic Energy Act, 1962.

Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Atomic Energy Act, 1962, be taken into consideration.”

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, 2015 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात यहां पर रख दी हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर सदन को बताना चाहता हूं कि जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल बिजली के लिए नहीं है, बल्कि रक्षा तकनीक, अस्त्र-शस्त्र, विकिरण प्रौद्योगिकी का विकास, बेहतर फसल, किस्मों, फसलों की सुरक्षा, इनके अलावा, कटाई, रेडियो निदान, कैंसर, पीने के पानी की प्रौद्योगिकी के लिए भी है, कई बार ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बिजली पर बात कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा जिन क्षेत्रों में उपयोगी है, उन बातों के लिए यह जरूरी था कि हमें इस काम को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मंत्री जी ने एक बात का उल्लेख किया है, लेकिन मैं 'भावनी' की एक रिपोर्ट से यह कहना चाहता हूं कि जब एक बार उनसे पूछा गया कि आपके इस नुकसान का क्या कारण है, यह वर्ष 2003-2004 की बात है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कच्चा ईंधन नहीं है। इसलिए ईंधन की कमी के कारण हम अपने विस्तार को भी नहीं बढ़ा पाये और दूसरी तरफ हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। इस संशोधन के बाद ईंधन की पूर्ति से लेकर तकनीक में आने वाली कमियों को दूर कर पाएंगे, मैंने एक न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 का उल्लेख किया था, इसकी सिविल देयता संबंधी जो धाराएं थीं उस कारण से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता थे उस पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस संशोधन से हम उसकी भरपाई कर पाएंगे। हमारे जितने भी पीएसयूज हैं चाहे वह रॉ मेटेरियल पैदा करते हों, चाहे तकनीक में शामिल होते हों, अब आगे आने वाले समय में इन उपक्रमों कितना बेहतर सहयोग कर सकते हैं यह इस संशोधन के बगैर ऐसा संभव नहीं था। दुनिया में अगर कोई छोटी-मोटी भी तकनीक हमें देता है और उसमें खराबी आने के बाद जब सरकार कहती है कि इसे बदलिए जब वह इस बात के लिए तैयार नहीं होती है और वे कहते हैं कि आप इसे अपने स्तर पर कीजिए, इस तरह से हमारी गति को रोकने का काम किया जाता है, इस बाधा को दूर कर हमारी सरकार ने सही काम किया है। मैं मोदी जी और डॉ. साहब को धन्यवाद देता हूं। यह काम 10-20 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। भावनी के अलावा दो सेक्टर हैं, जो ऊर्जा और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके बाय-प्रोडक्ट से हम सुरक्षा के संसाधन तैयार करते हैं। आपने दो बातों को बहुत स्पष्टता के साथ बताई है कि उसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स होंगे, जिसमें 51% से ज्यादा भारत सरकार का निवेश होगा, कोई कंपनी इसे अकेले करे या दो मिलकर कर सकते हैं। आपने रूल बनाया कि किसी भी कंपनी का लाइसेंस निरस्त करना या देना, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं। मैं भावनी के सेट-अप को देख रहा था, उसमें जो स्वतंत्र निर्देशक हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। हम सब जानते हैं कि जब कम्पनी बन जाती है और उसमें निर्देशक होते हैं, उनके फैसले लेने के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। दूसरी तरफ जो समझौते होते हैं, उनकी

कुछ खामियों को एक क्लोज के माध्यम से रोक दिया गया है। उनके चयन की प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ जो भी डॉयरेक्टर बनें, उन्हें संसद की समिति हो, सदन हो या सरकार हो, नियमों में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो इसे तत्काल सदन या सरकार की जानकारी में इसे तुरंत लाया जाना चाहिए। नियमों के प्रावधान में सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने थोरियम नीति के बारे में गलत फैसले किए, ऐसी कोई गलती हमसे न हो सके, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पीपीपी मॉडल में तीन बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया, भारतीय वायु सेना के लिए आकाश शस्त्र प्रणाली, जिसमें बीएएल के साथ बीडीएल, ईसीआईएल, एल एंडटी और टाटा ने पूरा किया। मैं जानता हूँ कि यहां पर प्राइवेट कंपनी की इंट्री नहीं है लेकिन एक भारत सरकार का ही पीएसयू है जो उनके सहयोग के बाद अपनी सफलता के मुकाम तक पहुंचाता है।

15.24 hours

(Dr. Ratna De (Nag) in the Chair)

रोहिणी में रडॉर प्रणाली को भारतीय कंपनी ने डेवलप किया है, वह भारतीय कंपनी है, उन्हीं के सहयोग से आगे बढ़ी है। हमने यहां पर किसी प्राइवेट कंपनी को अनुमति नहीं दी है। ईडब्ल्यू प्रणाली हैदराबाद के पास 40 केन्द्र चलाती है। मैंने तीन बातों का इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि जब हम संशोधन लेकर आते हैं तो वह संशोधन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपनी बात के शुरू में मैंने कहा था कि परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली पैदा नहीं करती, हमारे सुरक्षा के संस्थान, हमारी चिकित्सा पद्धति, आज जिस प्रकार से खेती में परिवर्तन आ रहे हैं उनके बोनी और कटनी से लेकर बीजों के संरक्षण तक की प्रणाली में परमाणु ऊर्जा का उपयोग है। मैंने आपसे एक बार सदन में रेयर मिनरल्स के बारे में पूछा था। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि तमिलनाडु की कोई सरकारी कम्पनी, जिसके पास 50 परसेंट शेयर्स हों, वह चाहे तो इसमें हिस्सेदार बन सकती है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि वर्ष 2003 में भवानी जैसा इतना अच्छा प्रोजैक्ट कहता है कि हमारे पास चूंकि कच्चा सामान नहीं था, इस कारण हमने घाटा उठाया और बिजली बनाने में असफल हुए। हमारे दो प्लांट्स आज उसी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बार्डर पर अधूरे पड़े हुए हैं। उसके बाद भी सरकारें दस-बारह सालों तक जागती नहीं हैं। मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि हम सब इन बातों पर भी चिंता कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मैंने यह बात भी कही थी कि रॉ मैटीरियल, यानी कच्चे ईंधन की कमी नहीं है। हमें उस कच्चे ईंधन को कैसे अपने पास सुरक्षित रखना है, यह देखना होगा। मैं दावा कर सकता हूँ कि हिन्दुस्तान के पास परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम की मात्रा इतनी है कि हम उसे आधी दुनिया को दे सकते हैं। हम अपने हित को तो स्वावलंबी बना ही सकते हैं, पूरी दुनिया को भी दे सकते हैं। उसके बाद भी

वर्ष 2003-04 की रिपोर्ट में कहा जाये की भवानी में बिजली के उत्पादन के लिए ईंधन की कमी थी, तो मैं समझता हूँ कि यह गलत नीतियों का परिणाम है। सरकारों की जो पोलिटिकल विल होनी चाहिए, वह न होने का कारण है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बिल में तकनीकी रूप से दो संशोधन दिखे, लेकिन देश के भविष्य के लिए चाहे हमारी रक्षा प्रणाली हो, बिजली के प्रति हमारा स्वावलंबन हो या फसलों पर आया हुआ संकट हो। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि किसानों के बीज के संरक्षण भर की बात नहीं है, कटाई से लेकर बाकी जो दुष्परिणाम हैं, उसमें भी परमाणु ऊर्जा का उपयोग है। शायद किसानों को यह पता नहीं है, क्योंकि यह अनुसंधान का क्षेत्र है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बिल बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो संशोधन बताये गये हैं, वे बेहद जरूरी हैं।

सभापति महोदया, सरकार ने लाइसेंस देने और कौंसिल करने का जो अधिकार सुरक्षित रखा है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। नियमों को बनाते समय जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जो डायरेक्टर लैवल पर होते हैं, उन पर भी कोई ऐसा प्रतिबंधात्मक प्रावधान रखना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी गलती न हो, जो थोरियम नीति के बारे में कुछ लोग कर बैठे हैं। उन गलतियों को भी रोकने का काम सरकार करेगी।

मैं मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री आदरणीय डॉ. साहब का हृदय से धन्यवाद करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Chairperson, I rise to support the Atomic Energy (Amendment) Bill, 2015. As the hon. Minister has himself pointed out that these are minor amendments. He was referring it mistakenly as the National Power Corporation. It is the Nuclear Power Corporation of India. He has mentioned it as National Power Corporation. The Amendment Bill allows the Nuclear Power Corporation to tie up with the public undertakings to form new energy producing units.

He has already mentioned two companies – the Indian Oil Corporation (IOC), a giant public sector undertaking and the National Thermal Power Corporation (NTPC) -- who have expressed willingness to go into and join such undertakings. I think, to that extent, it is a welcome step. Having said that, let me raise some basic matters about nuclear power in the country as a whole.

Madam, as you know that the story of nuclear power starts in 1939 when two German scientists, Hahn and Fritz, discovered nuclear fission. They discovered that if a heavy nucleus splits, it will release tremendous energy accordingly to Einstein's Formula of $E=mc^2$. After fission was discovered, the American scientists working under Enrico Fermi first built the controlled reactor below a football field in Chicago University. How terrible nuclear energy can become, was demonstrated first in Las Alamos where Robert Oppenheimer, the Chief of the project, called it brighter than a thousand Suns.

The atomic bombs were exploded on Hiroshima and Nagasaki on 6th August, 1945 and 9th August, 1945 leading to surrender of Japan in the 2nd World War. After the two nuclear explosions, we have discovered thermo nuclear bombs also. But there has been no open explosion of nuclear bombs because now humanity knows that we have the capacity to destroy this earth many times. But, whether you use it first or later, it is total annihilation. So, the attention has gone into peaceful uses of nuclear energy.

Now I must pay my regards, tributes to Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister who envisaged that nuclear energy can be used for peaceful

purposes. So, soon after we became independent, he set up the Atomic Energy Commission under Dr. Homi Jehangir Bhabha with the first unit at Trombay. There, controlled reaction was tried out in our first swimming pool reactor called, Apsara, and secondly in a zero energy reactor called 'Zerlina'. The thought of having nuclear power plants came much later in the late 50s' and early 60s' and then it was thought, when we were going to set up the first nuclear plant in Tarapur, that there should be a separate public sector organisation for manufacturing nuclear energy. Then, the Nuclear Power Corporation was established in 1962.

One by one, there have been many nuclear power plants which have been set up, starting with Tarapur in Maharashtra, going to Rana Pratap Sagar in Rajasthan, Kalpakkam in Tamil Nadu, Narora in Uttar Pradesh and Kaiga in Karnataka. Now there are a number of nuclear power plants throughout the country. Now this was not good enough. I remember when I was in Parliament in the 70s', every week we used to raise Call Attention Motion on whether the Americans supply us with enriched uranium because the fuel of the Tarapur nuclear plant was enriched uranium and the Americans used it as political leverage. Slowly, we have come out of that position where we do not have to depend on enriched uranium imported from America.

Madam, even you would be aware that now we have gone to the next stage. We have built a fast breeder reactor, called BHAVINI near Mahabalipuram temples. As Members of the Public Undertakings Committee, we went to see. It is almost ready. I do not know if it has started commercial production yet. But it is almost, entirely fabricated by Indians. Fast breeder reactor has the advantage that we produce our own fuel. The breeder itself creates plutonium. So, we will be less dependent on imported fuels.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): It has started commercial production. It has reached the criticality long back.

PROF. SAUGATA ROY: Last year we went to see it on behalf of the Committee.

The next step we have to take is to manufacture nuclear energy from thorium because we have large deposits. We do not have enough uranium in the small mines in Jharsuguda and in one or two other mines but we have enough thorium on the monazite sands of Kerala. If we can have a nuclear reactor based on thorium, then the problem of nuclear fuel would be solved for ever. Now that work is on. The scientists of the Atomic Energy Commission have proved extremely capable and they are a pride of the country. So, at this stage, we must pay our tribute to Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Homi Jehangir Bhabha.

Now we should discuss nuclear power. What are the advantages? The advantage is that it is clean energy. It spews nothing into the atmosphere. It is small and compact. There is a reactor core and there are cadmium rods to temper the fission reaction which takes place within. Its biggest advantage is that it is clean. But two problems remain. One is disposal of spent fuel. Whatever radioactive mass remains in the core, the problem is how to remove it and where to put it. They normally put it in lead containers and submerge them deep into the sea. So, there remains the problem of radioactivity spreading. But the biggest problem is with regard to accidents.

Madam, you would know that there have been three major nuclear power accidents in the world. The first accident took place at the Three Mile Island near New York. The second and the most horrible accident took place at a place called Chernobyl in Belarus which was under the Soviet Union and nobody knows how many people died. The latest one was in Japan when the tsunami entered into the nuclear power plant at Fukushima. Japan was totally dependent on nuclear power. Japan and France are two countries which are advanced in nuclear power. After the Fukushima accident, Japan closed down all its nuclear power plants and has not started all of them again.

Safety considerations are very important as far as nuclear power plants are concerned. The Minister must keep all these things in mind – secrecy of our technology and safety of the nuclear plants.

Madam, you would remember that in 2008, Dr. Manmohan Singh signed the Indo-US Nuclear Treaty. After Pokhran-II in 1998, there was a ban on countries to supply nuclear fuel to India. Dr. Manmohan Singh, in order to break that blanket ban, went in for that Indo-US Nuclear Treaty, but the problem remained that to enter into nuclear commerce – to buy nuclear reactors and nuclear materials from other countries – we had to have a Civil Nuclear Liabilities Act to clearly mention that in case of accident, who will take the liability. Such an Act was enacted in 2011.

If I may say, we have had some trading with Russians. Tarapore plant was built with American help. The Russians have built the power plant at Kudankulam in Tamil Nadu, near the southern tip of India at Kanyakumari. Now, Kudankulam has reached the critical mass and is producing electricity. All my friends from Tamil Nadu are very happy about it.

DR. JITENDRA SINGH: It is in Tirunelveli District.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, still we are not getting the sort of nuclear trade that we had expected. One of the impediments is the Civil Nuclear Liabilities Act. According to our Act, the main liability for the accident will have to be borne by the supplier, those who are supplying the equipment. They say that there are primary suppliers and secondary suppliers and unless we amend this Act, they shall not come and invest in nuclear technology in the country. I would like to know from the hon. Minister what progress our country has made in nuclear trade and commerce, and in enacting an amended version of the Civil Nuclear Liabilities Act.

Madam, the Minister is taking one further step. It was said that the Department of Atomic Energy controls all nuclear power, Nuclear Power Corporation Limited and BHAVINI – Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited which has the fast breeder reactor near Mahabalipuram. Now, he is trying to open it up to others so that Indian Oil Corporation which has a big surplus can invest in nuclear field, so that NPTC which is already into power generation can also

participate. There is nothing wrong, but I would like to know this from him. How much confident he is that there they will be able to offer maybe capital, but what expertise can NTPC or IOC offer to nuclear power? How are we going to do nuclear power in the future? Where would we buy our reactors? Where would we buy our nuclear raw materials? How would we ensure the safety of the new power plants, which are being built?

Madam, as I said, this is the 70th year of the destruction of Hiroshima and Nagasaki in a nuclear bomb. The country and the world have made long strides since then. Nuclear energy has seen its ups and downs. Now, after the Paris Summit where we have all promised that we will not let the temperature rise by more than 2°C, fresh thought is coming into non-coal ways of energy production. Definitely, nuclear energy can provide a big fillip to that. I would like to hear from the hon. Minister about the fresh steps that they are taking.

With this, I support the Bill along with my small amendments that I shall push later. Thank you, Madam.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Madam. The National Atomic Energy (Amendment) Bill 2015 is a small Bill and it seems innocuous enough, but it is actually very serious and needs a lot of thinking if one goes a little deeper, that is, beyond the one and a half or two pages that the Bill contains.

What I understand from it is that the Government is planning to allow only Government-owned companies, in other words, you have said that companies where the articles of association says that Government will appoint the complete Board of Directors. This means a company controlled by only the Central Government can invest in nuclear projects. This also implies that you will be investing vast sums of tax-payers money into production of energy through this source.

India is an energy-starved country and we are very aware of that. We are also aware that production of energy in a green manner is of prime importance. The sad part here is that you are going to invest these huge sums of money in a system where the developed world is moving away from that system and is moving away from production of atomic energy and we are moving into it. Even when the earlier UPA I & II Governments were there, especially, UPA – I towards the end, the BJP was one of the biggest opponents of the Indo-US Nuclear Treaty and we had also voted against it. It is interesting how fast and swiftly people make volte-face when they come to power. This is the magic of the seat. It has nothing to do with ideologies and it has nothing to do with national good or any beliefs. It is that side *versus* this side. We people, with sense and sensibilities, are left in the middle wondering what to do because where goes the country where do you go.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We are consistent.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Yes, absolutely, we are still consistent.

My earlier speaker, the hon. MP from West Bengal, mentioned that the western world is moving away from atomic energy. Germany, by the end of 2012,

has already shut down 11 nuclear power plants. France, Germany and even the US have not brought into effect any new nuclear plant in the last 20 years, and they are all stepping down from the production of nuclear energy. Therefore, we come into play because they want to hive off all their unused or under-used or non-usable nuclear power plants to certain other countries, where India becomes the prime mover.

The major problem that all these countries face, which we are going to face in a short while, is the disposal of radioactive material. This industry in India is non-transparent, unaccountable, and it works under a veil of secrecy. Funnily, it works directly under the directions of the Prime Minister's Office and it stonewalls any public or parliamentary over watch. And all this is done under the guise of national security, for which you do not even bring it under the gambit of the RTI Act.

For example, in the case of Kudankulam Power Plant in Tamil Nadu when certain people moved for data, the Department of Atomic Energy refused to send basic information, material such as Site Selection Report and Safety Assessment Reports, whereas these are publicly available in other countries. So, it is actually not a national security issue but you want to keep it stonewalled, you want to keep it under shrouds because you have doubts on your own ability.

As we know Madam, when it is government controlled safety regulations are the first thing that go for a toss. The issue in India is that the nuclear regulator, the Atomic Energy Regulatory Board, monitors the Commission. But the interesting part is that the Board is dependent on the Commission for both its funds and for its manpower. So, you can imagine the police being paid their salary by the robbers, the dacoits. What kind of policing will they do? Here the situation is exactly like that. And this obviously undermines the Board's authority since they are dependent on the same people they are required to supervise.

India has commissioned six European pressurised reactors to be established in the State of Maharashtra with the assistance of the French Government.

However, these archaic designs have come under scrutiny from the French regulators themselves in France. But we are going to implement them here and our regulators are incapable of even understanding what is happening. The Government has not thoroughly planned or trained the people on how to act during a crisis. Drills are conducted as a formality and the public is not educated on the threats of a nuclear crisis that could unfurl at any time.

One of the most serious nuclear accidents in India was the one in Narora in Uttar Pradesh on 31 March, 1993. It was a very simple incident but a very interesting incident that highlights how things happen here. Two blades of the turbine broke off because of fatigue. The proper maintenance was not being done. Through a chain of rapid events, this led to a major fire that engulfed the entire turbine building.

Among the systems that got burnt in this fire were four cables, simply four cables. And these cables carried wires and electricity to the secondary cooling unit which is very essential in case of the failure of the first cooling unit. And when the cables were burnt, obviously the second unit did not work. And then it was a huge accident and the rest is known to all of us.

Here, Madam, I will read a little bit from the book called *India's Risks* by Rafael Moore and M.V. Rajiv Gowda. The book talks about democratising the management of threats to environment, health and values. "A related and disturbing indication of the lacunae in India's risk management process is the frequent failure of safety devices. There are the mechanisms that seek to control the reactors under unanticipated circumstances. Therefore, if these do not work as expected, then it is more likely that a small event could cascade into a major accident".

Here, they narrate a very interesting story:

"Once in a while the callousness of the authorities come back to bite them as it were. On one occasion in the mid 1960s, an underground tank at the Trombay reprocessing plant which was used to store irradiated fuel rods became severely contaminated. The water was

pumped out into the sea and a very high level of radiation built up close to the shore. What happened after that is best described by someone who was part of the DAE at that point (this is quoting from that person):

“The next day the canteen waiters of the plutonium plant who usually used the shore for ablutions, were severely contaminated. Unaware of this, they served in the canteen and passed on the contamination to the technicians who carried it into the labs. Radiation monitors in the labs went haywire due to the very high levels of nuclear radiation they were exposed to. It was only after a great deal of effort that the problem was traced back to the plutonium plant. Thereafter, Health Physics safeguards inside, outside and around the plutonium plant were stepped up sharply. But [Homi] Sethna [who succeeded Bhabha as AEC Chairman] opposed this continuously. As a result, one of the last office orders [first AEC Chairman Homi] Bhabha wrote to A.S. Rao (who was in charge of the Health and Safety Division in BARC) directed him to reassign a certain engineer from the plutonium plant as the latter was being too tough about strict compliance ...”

So, this shows that even our officials are unwilling to take risks and are unwilling to take care of the basic safeguards.

To sum up, the NDA Government had planned a transparent process but even now the sector comes under the shroud of secrecy. The NDA Government had promised a higher cap on liability and non-dilution of supplier liability. However, this has been turned in favour of the corporations by having a lower amount cap and a five year limited period liability.

In September, 2013, one of their senior Ministers Shri Arun Jaitley in a statement on diluting nuclear suppliers' liability had very clearly stated on record under Civil Liability For Nuclear Damages how the UPA led Government step would prove detrimental to the country in case of a nuclear disaster. So, when their own Ministers agree that giving over this sort of a thing to exclusively government-run agencies could be detrimental to the interests of the people of this

country, I wonder why the Government is going ahead with this small but very dangerous Bill. Handing over the ownership and operations exclusively to government-controlled companies may help in keeping things under a shroud but history tells us that government operators function in a fashion that behaves a normal department which is behaving like a *tehsildar*, BDO or Collector whereas nuclear energy requires a kind of strict vigil which our government companies are incapable of. So, I would suggest the Government that they should take a rethink not only on this particular Bill but also on nuclear energy to be produced in this country in the future. We have to have a rethink on a national level and have a debate with experts and involve every quarter and rethink whether this is going to be good for India or it will be bad for India in the long run.

Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राजत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : सभापति महोदया, मैं परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, 2015 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, इस देश में बिजली का जितना उत्पादन है, उसमें न्युक्लियर एनर्जी के माध्यम से जो उत्पादन हो रहा है, वह बहुत ही मामूली है। खास कर सस्ती बिजली प्राप्त होने के लिए अणुऊर्जा को स्वीकार करने का एक कारण है। ऐसे ही सरकार के माध्यम से कई बार कहा जाता है। इसीलिए इस विधेयक के माध्यम से भविष्य में स्वदेश और परदेश के माध्यम से इस देश में कई जगहों पर अणु ऊर्जा का निर्माण करने का प्रयास सरकार के माध्यम से हो रहा है। इस बिल में स्पष्ट किया है, जो बिल के ऑब्जेक्ट्स और रिज़ंस हैं, उनमें सरकार ने लिखा है कि

“Formation of joint venture companies by NPCIL with other PSUs of India for civil nuclear power projects is under consideration.”

यानि एनपीसीआईएल और पीएसयूज़ के जो ज्वाइंट वेंचर करने वाले हैं, तो जो-जो, जहां-जहां इस न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले हैं, वहां के प्रोजेक्ट के लिए एडिशनल फंडिंग, requirements for expanding nuclear power programme and augmenting the nuclear power generation capacity of India. इसलिए इस ज्वांट वेंचर कंपनी का निर्माण करने के लिए सरकार ने सोचा है।

महोदया, न्युक्लियर पॉवर के बारे में आज कई भ्रम हैं। कई लोगों को शंका है, कई लोगों ने प्रश्न निर्माण किए हैं, कई जनों ने न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट का समर्थन किया है लेकिन बहुत से लोगों ने यह आशंका व्यक्त की है कि न्युक्लियर पॉवर मानवीय जीवन के लिए धोखादायक निर्माण हो सकता है, ऐसे बार-बार कहा है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने आज तक जनता के दिल में न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट के बारे में जो डर है, उस एरिया में डर जैसा जो वातावरण निर्माण हुआ है, उसके बारे में लोगों के समाधान कैसे हो सकते हैं, ऐसी अपनी भूमिका स्पष्ट करने में आज तक सरकार नाकामयाब हो चुकी है। यह दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूँ। महोदया, ग्लोबल वॉर्मिंग का तो अभी क्या हालत हो रहा है, यह सब लोग जानते हैं, लेकिन जिस न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट के बारे में, यानि सस्ती बिजली तैयार करने के लिए, जिस तरीके से भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ अभी जो एग्रीमेंट किए हैं, करार किए हैं, उनके साथ समझौते किए हैं, उससे साबित हो रहा है कि भविष्य में इस न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट में, ज्वांट वेंचर के माध्यम से कई अन्य देश वाले हैं। आने दो, लेकिन दुर्भाग्य से कई देशों की जो कंपनियां हैं, उनके बारे में कई प्रश्न निर्माण हो चुके हैं। जैसा कि हमारे महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांस के माध्यम से न्युक्लियर पॉवर प्लांट लगाने के

लिए शासन सोच रहा है। लेकिन फ्रांस की जो अरेवा कंपनी है, उसके बारे में कई प्रश्न अभी निर्माण हो चुके हैं। एक तो यह ब्लैकलिस्टिड कंपनी है। उसके जो ऑपरेशन हैं, उसके बारे में दुनिया के सारे लोगों ने कई प्रश्न निर्माण किए हैं। जहां-जहां अरेवा कंपनी गई है, असुरक्षित काम हुआ है, यह उस कंपनी की खासियत है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, माननीय तथागत जी ने अभी सही क्वेरीज़ खड़ी की हैं कि खास कर के न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट में सुरक्षा एक मेन प्रावधान होना चाहिए। जिस कंपनी ने सुरक्षा के बारे में कुछ सही तरीके से ध्यान नहीं दिया है, दो-दो यूनिट के बारे में जिस तरीके से ध्यान रख कर उसका ऑपरेशन सही तरीके से करने के लिए, जो कंपनी असफल हो चुकी है, उस कंपनी के माध्यम से वहां के लोगों के जीवन पर बुरा असर हो चुका है। मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जैतापुर में, जहां आप न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट पर हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जिस जगह पर आप लाना चाहते हैं और जिस कंपनी के माध्यम से आप लाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा विरोध जरूर है।

16.00 hours

क्योंकि जैतापुर जैसा एरिया, आज भी वहाँ अर्थक्वैक उसके आजू-बाजू में होते रहते हैं। अर्थक्वैक जोन 4 में जैतापुर एरिया है, ऐसी जगह पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लाना, यानी सस्ती बिजली और भविष्य में उसका महंगा परिणाम हो सकता है। आज शिवसेना ने जैतापुर का विरोध इसीलिए किया है। जैतापुर का माडबन हो, रत्नागिरि हो या राजापुर हो, वहाँ के लोग प्रश्न उठाते हैं, परसों 12 तारीख को लोगों ने विरोध भी किया। पहले तो लोगों को 70 हजार रूपए दे रहे थे, बाद में कई लोगों ने, शिवसेना ने भी आंदोलन किया, कई लोगों की जान गई, उसके बाद सरकार ने डॉयरेक्ट साढ़े 22 लाख रूपए देना शुरू किया, एक जान जाने के बाद, कई लोगों के जेल जाने के बाद, तो मेरा सवाल यह है कि अगर एक जान जाने के बाद अगर साढ़े 22 लाख रूपए वहाँ के लोगों को देने के लिए शासन तैयार हुआ तो शुरूआत में ही यह योजना क्यों सामने नहीं आ गई, वहाँ 70 हजार रूपए क्यों दे रहे थे? वहाँ के लोग अभी बोल रहे हैं कि जिनकी जमीन है, उसको आप पैसा देते हैं, लेकिन जिनका व्यवहार पूरे समुद्र के ऊपर चलता है, वहाँ हजारों की संख्या में जो मछुआरे हैं, उनका तो पूरा व्यवहार समुद्र के ऊपर है, उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? यह बात तो कई साथियों ने रखी है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के बाद जो पानी आप समुद्र में फेंकने वाले हैं, उससे समुद्र का टेम्परेचर तो बहुत हाई होने वाला है। उस टेम्परेचर के बढ़ने के बाद समुद्री जीवों के ऊपर विपरीत परिणाम होगा। ऐसे में जो मछुआरे वहाँ लाखों की संख्या में हैं, जिनके ऊपर उनके जीवन का व्यवहार चलता है, वह उनसे दूर हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मछुआरों के लिए आपने क्या सोचा है, क्या प्रावधान उसमें किया है, यह भी आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मेरी जो सबसे पहली

बात थी कि रत्नागिरी जैसे एरिया में आज भी 17 अलग-अलग विद्युत प्रोजेक्ट वहाँ काम कर रहे हैं। उसकी वजह से वहाँ के समुद्री जीवों के ऊपर परिणाम पड़ चुका है। वहाँ के आम उत्पादक जो किसान हैं, उनके प्रोडक्शन के ऊपर परिणाम हो चुका है। वहाँ के अन्य जो-जो फल हैं, उनके ऊपर परिणाम हो चुका है। जैतापुर में आप दस हजार मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जब खड़ा करेंगे, हम वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे सत्पथी साहब ने कहा कि अगर सुरक्षा के बारे में कम्पनी ने कोई ध्यान नहीं दिया, आखिर यह फ्राँस की अरेवा कम्पनी है, अगर इस अरेवा कम्पनी के डायरेक्ट बोर्ड में या कम्पनी के आपरेशन में अगर उनकी गलती हुई और गलती के कारण विपरीत परिणाम हुए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? मंत्री महोदय जी ने अपने निवेदन में कहा है अगर कम्पनी के माध्यम से कोई सही तरीके से रास्ता नहीं अपनाया गया तो सरकार ने अपना अधिकार रखा है, उनका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान उसमें रखा है, लेकिन उससे साफ नहीं हो रहा है। जो कम्पनी है, जैसे मैंने बताया कि फ्राँस की अरेवा कम्पनी, जो अच्छी कम्पनियाँ हैं, जिनका अच्छी तरह से व्यवहार चलता है, वह तो समझ सकते हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कम्पनी करके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्टेड हुई अरेवा कम्पनी के साथ अग्रीमेंट करके, ऐसी ब्लैक लिस्टेड कम्पनी के एक धोखा निर्माण करने के कारण भारत में, महाराष्ट्र में, जैतापुर में सरकार देती है तो मुझे लगता है कि सरकार को उसके ऊपर सोचने की जरूरत है।

महोदया, जैतापुर के अणु ऊर्जा के बारे में दो-तीन शास्त्रविज्ञों को छोड़कर बाकी के कई जाने-माने शास्त्रविज्ञों ने उसके विपरीत परिणाम सरकार के सामने रखे हैं और सरकार को कहा है कि इस जगह पर अणु ऊर्जा प्रकल्प लाना, जैसा मैंने पहले कहा कि अभी चार महीने पहले साढ़े पाँच रिएक्टर स्केल का भूकम्प सतारा में आया, गोवा में आया और उसके 100 किलोमीटर की परिधि में आ चुका है। यानि भविष्य में इस जैतापुर अणु ऊर्जा प्रकल्प लाने के पहले सरकार को एक बार और सोचना चाहिए, बार-बार सोचना चाहिए, लोगों के दिल में जो डर पैदा हुआ, उसके बारे में सोचना चाहिए। अनेक शास्त्रज्ञों ने जो जैतापुर के बारे में सरकार के सामने रिपोर्ट रखी है, उसके बारे में सोचना चाहिए। किसी भी हालत में अणु ऊर्जा निर्माण न करें, ऐसी हमारी भावना नहीं है, लेकिन रत्नागिरि के जैतापुर जैसे डेंजरस जोन में धोखादायक स्थिति में जो भाग है, वहां अणु ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, यह हमारी मांग है।

यही मांग मैं यहां रख कर मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I thank you for permitting me to speak on this Bill which will pave the way for meeting the energy mismatch in the country which is very crucial for inclusive growth and also helps in taking the country forward.

We all know that nuclear power has been the exclusive domain and monopoly of NPCIL since we became independent but this Bill breaks that shackle and permits other PSUs, particularly power PSUs such as the NTPC, NHPC and POWERGRID which are not subsidiaries of the Department of Atomic Energy, to invest in nuclear energy production in the country.

16.07 hours

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

I think, the genesis of this Bill emanates after the Government turned down the proposal worth Rs. 12,000 crore from NALCO which wants to be a partner of NPCIL in the construction and operation of one nuclear reactor. After the refusal, the situation has become ridiculous that even the Government itself cannot invest in its own company. It is all because of the highly restrictive laws surrounding the nuclear activity in the country.

Now, with the passage of this Bill, the Department of Atomic Energy achieves the twin objectives of not only opening doors for our PSUs to invest in atomic energy production but also gets investment for which it is screaming over the years.

But here, I have a question to ask. Why is the country still clinging to an archaic notion of secrecy on its nuclear activities? I feel that it will only dampen the entrepreneurial skills and spirit of private entrepreneurs who want to venture into this sector and contribute whatever little they can to boost an important component of infrastructure in particular and economy in general. Even after the passage of this Bill, the private sector is not permitted because the Government wants that all the talents of the country should come under its umbrella which, to my mind, stifles the growth needed in clean and safe nuclear technology that we

need. The 'umbrella' of the Government is so small and limited that it cannot accommodate India's nuclear talent in its fold. I am saying this because now the private sector is permitted to supply only components for nuclear reactors thereby putting brakes on opportunities, innovation, investment which, I think, is done with the sole objective to eliminate competition in this sector. It is happening only in India

If you look at other countries, you may find that there are many private companies which are involved from Uranium mining, processing and enrichment to actual operation of nuclear plants and its waste disposal.

I can give you some examples. You have Energy Resources of Australia. It produces 11 per cent of the world's Uranium production. Cameco from Canada produces 19 per cent of the world's Uranium production. You have Skoda Praha of Czech Republic which is working in EPC, nuclear engineering and construction of plants. Then, we have Areva from France and a host of companies in Germany, US, Russia, etc. This august House will be surprised to know that even Reliance Industries's Chief, Shri Mukesh Ambani, has a stake in Bill Gate's Terra Power and is a part of the Board of Directors. This was announced in the recent Paris Climate Conference and Terra Power has also gone on record to say that renewable energy like sun and wind cannot be the total solution for clean energy in this world because the world needs energy even when the sun does not shine and even when the wind does not blow.

So, nuclear energy cannot be wished away and it is the only other form, other than renewable energy, to derive a clean and relatively safe energy. Safety has been discussed a lot by many Member of this House till now. But I would like to just use an analogy between air travel and road travel. It is because if you take coal-based power plants and nuclear-based power plants, even on per unit basis, I would say that the number of lives lost due to nuclear energy is far lower than the number of lives lost due to coal-based power plants. It is something like air travel and road travel. Yes, we have air accidents. But the number of travellers that die

because of air accidents is far fewer, even as percentage, than that of the road accidents. We must remember that and we should not condemn nuclear energy just like that. It is a very important part of the energy security of this country.

The point that I am trying to drive at is the private sector in the country is interested to enter into this new and challenging sector. It can be permitted with appropriate regulatory framework which stimulates competition and harnesses large pool of capital which will help to achieve the goal set by the hon. Prime Minister for this sector. I would request the Government of India to revisit this whole approach and take a positive view on this.

Our nuclear power accounts for just 3.5 per cent of our current electricity generation. The present generation is about 5,800 megawatt. And even if we achieve the Prime Minister's goal of tripling nuclear power by 2024, nuclear power generation to the total power generation would be only around five per cent. If we look at some of the other major economies in the world, 16 per cent of Canada's power is nuclear; 73 per cent of France's power is nuclear; for Korea it is 27 per cent; for Russia it is 17 per cent; for Spain it is 19 per cent; for Sweden it is 42 per cent; and for Switzerland it is 36 per cent. If we look at U.S and Russia, where two of the major accidents have occurred, Russia accounts for 17.5 per cent and United States accounts for 19.4 per cent. So, I think it would be more pragmatic to look at a target of 20 per cent for nuclear power for India. I think that would be a practical approach and I would urge the Government to look at 20 per cent of total power coming from nuclear power as a target.

The next point that I wish to make is about nuclear liability. This very House passed the Nuclear Liability Bill in 2010. But due to some of its provisions relating to liability of the supplier, we are not getting the foreign reactors as we expected. We are given to understand that during the last year's visit of the US President to India, there was some agreement between India and the US. But, even after nearly one year, we do not know what transpired between the two Heads of

States. I would like to know from the hon. Minister what is going on and what we are going to do with the liability clauses in the Act.

I have one or two small points to make and then I am done.

Uranium is the primary source for nuclear power. Countries like Canada, Kazakhstan, Argentina, Namibia, Australia and Mongolia are the main suppliers of uranium. Recently the hon. Prime Minister has also visited Mongolia. We have entered into agreements with Canada, Kazakhstan and Australia. But no tangible quantity of uranium is coming from these countries. So, I want to know what the Government of India is doing to get uranium from these countries.

The next point is, domestically Andhra Pradesh is having the highest amount of uranium deposits in the country as per the Uranium Corporation of India. As per the preliminary estimates, there are deposits to the tune of 5,000 tonnes at Koppunuru in my Guntur District and nearly two lakh tonnes at Tummalapalle in Kadappa District. So, I would like to know from the hon. Minister what Atomic Minerals Directorate for Exploration is doing to explore uranium and how you are trying to allay the apprehensions in the minds of the local people about the health hazards that are attached to uranium exploration.

Finally I would like to know about the progress that is being made in setting up of Kovvada 3,000 megawatt nuclear power plant in Srikakulam, Andhra Pradesh. It has been five to six years since the plant has been announced. Much efforts have been made to convince the local people and everyone else about the safety and the necessity for such a plant. But no progress has been made and no information is available in terms of what is expected to be done here. Please explain whether the Ministry is going to set up the plant or not or it is going to be shelved.

With these words, I thank you once again for giving me this opportunity.
Thank you.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, thank you for this opportunity.

In Paris, the International Atomic Energy Agency presented a case, recently concluded at CoP 21 that atomic energy must be considered as a sustainable energy. Like my friend, Shri Jayadev Galla said, it is not only sustainable but it is also very safe energy.

The International Atomic Energy Agency expressed its willingness to promote nuclear energy in developing countries in Africa and Asia to improve energy efficiency and accessibility in these regions. Yes, Sir, we are an energy deficit nation and we cannot afford not to have nuclear energy. We welcome this Bill and we support this Bill.

The amendment of section (2) of the 1962 Act states that the 51 per cent of the paid up share capital of the company operating the power plant can be held by one or more Government agencies. Now, Sir, I seek some clarifications and put some questions also. Within this 51 per cent, all the 51 per cent or how much can the PSUs own or how much can the Central Government own directly? That is one question.

Secondly, since we are privatising the PSUs, can the private companies invest in the PSUs? Can foreign companies invest in the PSUs up to a limit of 49 per cent? Or, does it mean that we are limiting foreign and private investment to 49 per cent? Or is it 49 per cent direct investment and 49 per cent of 51 per cent indirect investment taking the overall private or foreign investment to 73 per cent? So, that is something on which we need clarification from the Ministry. We definitely need to facilitate investment. We need to facilitate even foreign investment but definitely, Sir, we should not facilitate foreign influence.

There are many reasons. It is very import to know this. In the backdrop of the Thorium-Uranium debate, India has much more Thorium than most of the countries and much more Thorium than Uranium. We feel there has been some influence on us. While our scientists are promoting Thorium and we have the

capacity for R&D, we feel we are being slowly nudged to Uranium based ones. The entire nuclear fuel for the country is produced in Hyderabad. We produce twice as much as what the country requires. Yet, we import Uranium probably because their reactors cannot use our fuel. It baffles me why we are buying Uranium from Australia, Belarus and so many other countries? It also assumes significance in the backdrop of our “Make in India” campaign. Why are we importing Uranium? More importantly, why are we being nudged in a direction where we have to import our power plants?

Dr. Homi J. Bhabha then itself predicted that we would have all the technology and expertise to make all the nuclear power plants whether it is fission or fusion or Fast Breeder or Thorium-Uranium. We do have the technologies. But they are different models. Some models use that type of fuel and some models use this type of fuel. So, we should accept foreign investment but we should not accept foreign influence.

Telangana and Andhra Pradesh both stand to gain, particularly Telangana. I say this because 50 per cent of the Uranium in this country is in two districts – Nalgonda and Cuddapah in Andhra Pradesh and, of course, some in Guntur. So, both the States stand to gain but Telangana will stand to gain much more because we are a power-deficit State and we need the power. We are in a seismically stable region. We have no tsunami or floods. We really look forward to the day when nuclear power plants come up and solve all the power problems of the country.

It was planned that there would be 62 mostly Thorium reactors by the year 2025. But, once again, as I said earlier, we are importing mostly Uranium. We made deals with Australia, Canada, France, Kazakhstan and Uzbekistan. But more surprisingly I have the WikiLeaks information which shows that we have the Nuclear Non-Proliferation Treaty in the past and getting nuclear fuel was very much difficult because Uranium can be enriched and converted to weapons grade and so on. But strangely, the very same people, according to WikiLeaks, who opposed this which is the United States, are now secretly promoting and

facilitating the deal between India and Australia. So, the eagerness of the United States seems to be more than our own Government! That eagerness raises certain suspicions and those suspicions are really these. We become fully dependent on them for nuclear technology, for nuclear fuel and our R &D is being compromised. Definitely, in the backdrop of 'Make in India' we know what is good for India.

Sir, I want to have one important clarification from the hon. Minister as to whether it is 49 per cent direct investment. I do not think any PSU, in the recent future, will sell 49 per cent of the stake. But theoretically, can they indirectly own 73 per cent? Now, the Board of Directors are appointed by the Central Government. Definitely whoever has the authority will be influenced by people who invest money. If I invest 49 per cent, I pressurize for a Board seat and if the Central Government approves, I also get a Board seat with the stamp and approval of the Central Government.

With these words, we support the Bill. But these are some of the things which we need to look into in detail. Thank you.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to speak on this important Bill. This Bill proposes to amend the Atomic Energy Act, 1962. It seems that the Government wants to promote nuclear plants and nuclear industry and it appears that the Government wants speedy clearances to nuclear power plants.

This Bill allows the formation of joint ventures between the Nuclear Power Corporation and other Government companies. The Minister has stated that the nuclear industry will continue to be in the domain of the Government. We insist that this should continue to remain in the domain of the Government and there should not be entry of private capital and FDI into this sector. That will compromise our national interest.

Sir, under this Act, a licence is required for acquisition, production, use, export and import of any plant design for the production and development of atomic energy or research. As explained by the hon. Minister, the Bill makes a consequential amendment to state that such licences will only be granted to entities such as a Government company or a department of Central Government. We expect that it will be an adequate safeguard. The Bill further states that any licence granted for matters such as producing atomic energy and acquiring and using substances or minerals from which atomic energy can be obtained will be cancelled if a licensee ceases to be a Government company. That means, there is a provision for cancellation of a licence in case the licensee ceases to be a Government company. These provisions are acceptable and, on behalf of our party CPI (M), I would welcome these provisions.

I would like to make it clear that we are not opposed to nuclear energy. Even when we oppose the Civil Nuclear Agreement between India and USA and even when we continue to oppose the new Civil Nuclear Agreement between India and Japan, we would like to make it clear that we are not opposing nuclear energy. We had opposed the 123 Agreement and the experience has shown that our

opposition was correct. The arguments which we had raised at the time of nuclear agreement with the United States, all those arguments have proved to be true. Our opposition was due to some political and economic reasons that have already been explained several times. I do not want to go into the details why we opposed the nuclear deal with the United States. But the issue is this. That does not mean that we are opposed to nuclear energy. As Communists, our position is that the advances of science and technology should be utilized to the common good of our society. That is our position. We should not turn a blind eye towards the advances of science and technology.

Sir, at the same time, we should acknowledge and recognize the global trends especially in the field of nuclear energy. Of course, we cannot avoid or we cannot completely ignore the potential of nuclear energy. But, at the same time, we should not be under the illusion that this can be the main source, the major source of our energy. Nuclear energy cannot be India's major source of energy and it should not be.

At the end of March, 2014, share of nuclear energy in India's total energy generation was only 1.68 per cent or 14.78 GW. This is the share of nuclear energy in India's total energy generation.

We should not ignore the world-wide trend. The World Nuclear Energy Status Report released on 15th July, 2015 states how Japan went without nuclear electricity for a full year. That Report states that for the first time in 50 years, since the first nuclear power plant started in the country 50 years ago, Japan was without nuclear electricity and no lights went out and, indeed, without any operating industrial nuclear facility or even research reactor. This is the experience of Japan. In 2010, Japan had 15 reactors. Now, in 2014, it has come down to just three. I am quoting this from the World Nuclear Energy Status Report, 2015. What is the French experience? The French draft Energy Bill, passed by the French National Assembly, stipulates reduction of the nuclear share from three quarters to about half by 2025. Share of nuclear power in global

electricity is less than 11 per cent for a third year in a row. So, these are clear indications.

Eight countries which include three of the world's four largest economies, China, Japan and Germany, generate more electricity from non-hydro renewables than from nuclear power. Three of the four major economies in the world produce more electricity from non-hydro renewables than from nuclear sources. UK's power generation from renewables overtook output from nuclear sources. After reaching peak production in 2007 in the United States, the US nuclear capacity has been undergoing constant reduction. This was the experience of the United States.

Compared to 1997, when the Kyoto Protocol was signed, in 2014 both wind and solar power exceeded the power added by nuclear sources. All these are clear indications of nuclear energy becoming a much lesser source of energy throughout the world. This was the experience of Japan, France, Germany, Spain, U.K. and even the United States.

Sweden started the initiative in 1980s to shift from nuclear sources to other sources and it was followed by Italy, Belgium, Germany, Austria and Spain. So, this was the global experience. So, we should not turn a blind eye towards this global experience of shifting from nuclear sources to other sources.

In such circumstances, the Government of India, I think, is investing heavily on nuclear energy and want to promote nuclear energy as a major source of our energy. That is a flawed policy, and I do not think that it is acceptable. We are not against nuclear energy and we do not want that we should completely ignore and neglect the potential of nuclear energy. That is not our position but the major source should not be nuclear energy. We should explore other sources especially in a country like India, where untapped hydro potential is enormous. So, we should explore such untapped hydro potential more.

I would like to insist again that this should continue to be in the domain of the Government, and there should not be FDI and private capital.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Hon. Chairperson, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity.

The Bill proposes to amend the Atomic Energy Act, 1962, which empowers the Central Government to produce, develop, control and use atomic energy.

Hitherto, a Government company was a company in which 51 per cent of the total paid-up share capital is held by the Union Government.

The first amendment proposes to expand the said definition to mean a company in which the whole of paid-up capital is held by one or more Government companies and whose Articles of Association empower the Central Government to constitute its Board of Directors.

I believe, this provision will allow for the formation of joint ventures between the Nuclear Power Corporation of India Limited and other Government companies.

The second amendment makes consequential amendments to provide that such licence will only be granted to a Government company or a Department of the Central Government, which effectively implies that only Government companies can enter the field of atomic energy.

With all the tall talk over the last fifty years, India hardly has reached 5,000 MW of nuclear power installed capacity, which is a pittance compared to our growing requirements. Even according to forecasts, we are going to, at best, add another 5,000 MW in the next five to six years. Well, there could be genuine reasons such as sanctions for over three decades. This was overcome with the signing of 123 Nuclear Agreement with the US in the year 2009.

However, the fundamental incompatibility between India's civil liability law and international conventions has been slowing down our efforts. The sooner we find a solution to this the better.

Sir, because of growing safety concerns, the capital cost per Mega Watt of installed capacity has been going up phenomenally. It is, if my information is correct, going to be Rs. 15 crore to Rs. 20 crore per MW for all upcoming power projects. The fuel charges are, of course, lower than that of coal and gas. It is time that the country took stock of where we stand vis-à-vis the nuclear power.

What is not understood, however, is the reason for not encouraging private sector in this field. India is one of the leaders of the thorium revolution. An international magazine has recently observed, and I quote:

“Given the importance climate change has assumed on the Indian agenda, it would be foolhardy not to find synergies between Indian interests and the several promising international private ventures. Collaboration on various research projects can improve upon India’s existing technology, save time developing proficiency in some aspects, and hasten the launch of India’s thorium reactor fleet.”

Clearly, there is interest among Indian big business leaders to enter into the new and challenging sector that holds a lot of opportunities. With appropriate regulatory framework, private participation in nuclear energy can stimulate completion and harness large pools of capital in service of national development goals. The first step, however, would be to stop the step-motherly treatment of private players in the nuclear sector.

Another area where the country has not fully exploited the potential is in nuclear medicine. We should encourage research in this important medical specialty involving application of radioactive substances in the diagnosis and treatment of many diseases like cancer.

I thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity as it helps me to raise an important issue concerning my Constituency. I am saying this because I had written a letter to the hon. Minister as to why the Government of India and the Government of Andhra Pradesh are deciding to shift 6000 MW of nuclear power plant from Haripur in West Bengal to an area in Prakasam-Nellore Districts in Andhra Pradesh. They are doing

this in view of the West Bengal Government's outright rejection of the nuclear plant there. The plant is proposed to be set up in collaboration with Russia's Rosatom in Andhra Pradesh. It was reported in the media that the Director of the Nuclear Power Corporation of India Limited and the Chief Engineer of the Nuclear Power Corporation of India Limited have inspected the site and the Nuclear Power Corporation of India is in the process of setting up of the Site Selection Committee also, which will inspect the proposed site and submit a Report to the Government. I had written a letter about this to the hon. Minister. Sir, kindly look into this and give some further information about this project.

With these few words, we support this Bill. Thank you.

श्री चिन्तामन नावाशा वांगा (पालघर): सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री जीतेन्द्र सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि देश के हिसाब से अति महत्वपूर्ण बिल को सदन में प्रस्तुत किया है। सदन में कहा गया कि यह छोटा अमेंडमेंट है लेकिन मुझे लगता है कि *this is a very important Amendment as far as this country is concerned.* तारापुर अणु शक्ति ऊर्जा केंद्र देश का पहला ऊर्जा केंद्र है और वह मेरे क्षेत्र में है।

16.39 hours

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

वर्ष 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथों से इसकी ओपनिंग हुई थी। इस आटोमिक पॉवर स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि अगर यह हमारे गांव में शुरू होगा और अगर लीकेज हो गई या कुछ और दुर्घटना घट गई तो हमारा क्या होगा। मैं एमपी होने के नाते, मैं पहले एमएलए भी था, कई बार तारापुर एटोमिक पॉवर स्टेशन पर विजिट किया। जब से यह संयंत्र लगा है तब से अभी तक एक भी एक भी कर्मचारी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहां आस-पास रहने वाले लोगों में से भी किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे डरने की बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद 1953 में एटोमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का निर्माण करना पड़ा। देश में कानून भी लाना पड़ा लेकिन देश में एटोमिक पावर से बिजली का उत्पादन वर्ष 1970 में शुरू करना पड़ा। आज भी हम देखते हैं तो देश में 21 एटोमिक पावर स्टेशन के रिएक्टर सैंटर्स हैं। अभी तक 7580 मेगावाट बिजली की पैदावार इनसे हो रही है। बिजली इतनी कम पैदा हो रही है, इसका अगर हम हिसाब देखेंगे तो देश में जो एटोमिक पॉवर स्टेशंस हैं जैसे काकरापार है इसकी टोटल एस्टीमेटिड कॉस्ट 12 हजार करोड़ रुपयों के ऊपर है और कुलोंदो एटोमिक पॉवर स्टेशन की प्राइज 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। राजस्थान के एटोमिक पॉवर स्टेशन की एस्टीमेटिड कॉस्ट 12 हजार करोड़ रुपए से ऊपर है।

अभी यह कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि एटोमिक पावर स्टेशन शुरू करना है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की बड़ी जरूरत है। इसमें नाम तो रहेगा गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन इसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट 51 पर्सेंट रहेगा और 49 पर्सेंट, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसका रहेगा। हमें बिजली तो चाहिए, लेकिन इसके लिए एटोमिक पावर स्टेशन बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और यह पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है।

आज मुझे याद आता है कि एटोमिक एनर्जी के गॉड फादर डॉ. होमी भाभा जी हैं, जिनका एक्सीडेंट के कारण निधन हो गया। यदि ये आज होते तो आज एटोमिक पावर के बारे में तस्वीर कुछ और होती, इसमें बहुत प्रोग्रेस होता। मैंने श्री काकोदकर जी के साथ तारापुर पावर स्टेशन में कई बार विजिट किया है।

इसे अभी हम नये ढंग से शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इसमें अनुसंधान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसमें बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस ओर कई कंपनियाँ आएँ, इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। लोगों को जो डर लगता है कि हमारे यहाँ एटोमिक पावर स्टेशन शुरू होगा, तो हमारा क्या होगा। मैं अपने नागरिकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि उनको डर लगता है, तो आप तारापुर में आकर देखिए। वहाँ के लोगों का जो एक्सपीरिंस है, वह भी लोगों को जानना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन देश के लिए एक एग्जाम्पल है। देश के लोगों को दिखाने के लिए यहाँ का जो एक्सपीरिंस है, उसे भी देखना चाहिए।

*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Deputy Speaker Sir, Vanakkam. I pay my regards and thank Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchithalaivi* Amma for allowing me to take part in this discussion on “The Atomic Energy (Amendment) Bill, 2015”.

Ancient Tamil Poet Avvaiyar praised the importance of Thirukkural several centuries ago. She said, “*Thirukkural is so compact with rich wisdom penetrating even the minute particle called atom and wide knowledge that can spread to seven seas.*” It is worthwhile to mention that even ancient Tamil poets had thorough knowledge of fission and fusion of atoms.

The government has brought several clauses for setting up of nuclear plants and entering into agreements relating to nuclear reactor in this Amendment Bill. The present Amendment Bill provides for financing mega nuclear power projects and allows joint venture projects between the Department of Atomic Energy and other Public Sector Undertakings aimed to carry forward the nuclear energy accomplishments. Most importantly huge investments are needed for these nuclear power projects. This Amendment Bill will help in implementing nuclear projects with investments from Public Sector Undertakings.

Hon. Deputy Speaker, Sir, In the year 1998, during the regime of former Prime Minister of India Shri Atal Bihari Vajpayee, after Pokhran II nuclear bomb test explosion, India got a unique place in the comity of nations which have conducted such nuclear bomb tests. Nations like America imposed economic sanctions against India. It is history filled with prideful moments carving India’s glorious path to growth after overcoming all those economic sanctions. The developed countries were affected so much due to the economic sanctions imposed on India.

The credit for this spectacular achievement by India goes to none other than the Hon. former President of India Dr.A.P.J.Abdul Kalam, who always remained

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

as an inspiration to the youth of our great country. India has made giant strides in the field of nuclear power generation. India had signed Civil Nuclear agreements with more than 10 countries including Vietnam, Australia, America and Russia. Besides power generation, there are ample opportunities for nuclear energy for extensive research in the field of medicine, food, agriculture and fertilizer production in India. Under the influence of foreign forces, some anti-national elements got involved in creating unnecessary obstacles to India's advancements in the field on nuclear energy. But the nation is aware of the fact that it was only because of the unwavering efforts of Hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Dr.Puratchithalaivi Amma*, Koodankulam Nuclear power plant started its operation in Tamil Nadu. Out of the 1000 MW of power generated from Koodankulam Nuclear power plant, only 562.50 MW is provided to Tamil Nadu. Karnataka gets 221 MW, Kerala gets 133 MW, Andhra Pradesh gets 50 MW and Puducherry gets 33.5 MW of power from Koodankulam. As demanded by Hon. *Puratchithalaivi Amma*, all the power generated through nuclear power stations in Tamil Nadu should be provided to Tamil Nadu. Besides, the power generated from Kalpakkam Plant is shared with Andhra Pradesh and Karnataka. But the neighbouring States do not follow similar consideration while sharing water with Tamil Nadu. Due to non-release of water for irrigation to Tamil Nadu by these neighbouring States, several lakhs of farmers of Tamil Nadu are affected. Their livelihood is at stake. Therefore, I urge upon the Union Government to immediately ensure sharing of water from neighbouring States to Tamil Nadu similar to the sharing of power generated from Tamil Nadu to its neighbouring States.

In Tamil Nadu there is a total power generation of 2940 MW through nuclear energy which includes 440 MW from Madras Atomic Production Station (MAPS) in Kalpakkam near Chennai; 1000 MW from Koodankulam nuclear power plant; 500 MW from BHAVINI of Kalpakkam and 1000 MW from Koodankulam Unit II. Besides, FRFCF (Fast Reactor Fuel Cycle Facility) – a

modern facility first of its kind in the world -is being setup in Kalpakkam, Tamil Nadu. Nuclear material to be produced through this facility will be utilized in all the three nuclear power projects on rotational basis. This can pave way for production of more power with less atomic fuel. Tamil Nadu remains a progressive State in the forefront in the field of renewable energy and atomic energy in India. Between 2001 to 2006 during the tenure of Hon. Chief Minister Tamil Nadu Dr. *Puratchithalaivi* Amma, several power projects were started in Tamil Nadu with a view to lead the State for self-sufficiency in power sector. But during the period 2006-2011, when the minority DMK Government was in power in Tamil Nadu, almost all the power projects commenced by Hon. *Puratchithalaivi* Amma were stalled. As a result of this, Tamil Nadu faced severe power crisis and the then Minister of Power in the DMK government in Tamil Nadu had even admitted this startling fact. When Hon. *Puratchithalaivi* Amma once again became the Chief Minister of Tamil Nadu in the year 2011, these power projects were fast-tracked leading to self- sufficiency in Tamil Nadu as regards power generation. During the Global Investors Meet held in Chennai on 9th and 10th September 2015, as many as 98 Memorandums of Understanding (MoUs) to the tune of Rs.2,42,160 Crore were signed in the presence of Hon. *Puratchithalaivi* Amma. This is a world record during the Hon. Amma's regime. Hon. Deputy Speaker Sir. During the visit of Hon. Prime Minister to France on 10th and 11th April 2015 a Pre-Engineering agreement was signed between NPCIL and AREVA which is a developmental initiative.

I welcome the Memorandum of Understanding (MoU) on Civil Nuclear sector signed between India and Japan after the summit level meetings between Hon. Prime Ministers of both the countries. There is a similar civil nuclear agreement between India and Russia besides India and America. India has entered into an agreement with Australia for supply of nuclear material. This is a spectacular achievement. Koodankulam Unit I has been shut down for maintenance since June due to which there is power shortage in Tamil Nadu. At

the 26th Southern Zonal Council Meet held recently in Vijayawada, Andhra Pradesh, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. *Puratchithalaivi* Amma has stressed a need for the Union Government to issue orders to Indian Atomic Energy Commission to recommence power generation in Koodankulam Unit I as soon as possible. I therefore urge that the power generation in Koodankulam Unit I should soon be recommenced since it remained shut down for the last six months. Hon. *Puratchithalaivi* Amma has requested the Union Government to intervene in this regard and make Atomic Energy Regulatory Commission to grant its approval. I urge that the Union Government should fulfill this genuine demand immediately. This Bill ensures joint ventures between Public Sector Undertakings and Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). The Union government should come forward to implement pilot schemes in Tamil Nadu which was devastated by incessant rains and heavy floods recently. The State should be provided with facilities for environment-friendly, safe and clean energy. Moreover, besides the present quota, additional power should be distributed to Tamil Nadu by the Union Government. This is very much necessary for the industrial development and expansion in the State of Tamil Nadu. I also request the Union Government to come forward to start the first Joint Venture project in the nuclear energy sector in Tamil Nadu. The paid up share capital of these Joint Venture projects should be with the Government Organizations and Public Sector Undertakings.

The private players shall never be given a role to play in the field of nuclear energy. As there is no threat to national security, we wholeheartedly support this Bill.

Hon. Deputy Speaker Sir,

“There cannot be any movement without **God**-Saying of the past.

There cannot be any movement without **Atom**- Saying of the present.

There cannot be any movement without **Atom** and **Amma**;

Koodankulam is a testimony to prove this fact.”

With this let me conclude. Thank you.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा लाए गए परमाणु ऊर्जा संशोधन बिल, 2015 के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं जितेंद्र बाबू से कहना चाहूंगा कि नैतिकतावादियों का अधिनायकवाद, आप इस बात को जानते हैं कि एक हमारे देश के वैज्ञानिक थे डॉ. अब्दुल कलाम जो कि हाई मोरल पर्सन थे और एक वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पाकिस्तान में थे, जिन पर कितना बड़ा आरोप लगा और बहुत सारे देशों में जहां ऊंचे मोरल वाले लोगों के हाथों में परमाणु ऊर्जा नहीं गयी, वहां उसकी क्या दुर्गति हुई है। मैं बहुत सारी चीजें यहां नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे सभी साथियों ने अपनी बात यहां रखी है, लेकिन मैं उनसे अलग कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी हाल ही में अमेरिका की सिलीकॉन वैली गए थे। वहां तीन हिस्सा भारत के लोग रहते हैं और तीन हिस्सा वैज्ञानिक भारत के हैं। दुनिया की पांच कंट्रीज का परमाणु ऊर्जा पर अधिपत्य था और हम आदरणीय पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ-साथ भाभा, अब्दुल कलाम और जेम्स की बात हो, हम देश के अतीत और वर्तमान को सामने रख कर ही किसी बात को कर सकते हैं। मानव सभ्यता का भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का जो अधिनियम है, इस विचार को कैसे सामने रखा जाए? बिना इन विचारों को सामने रखे, आप परमाणु ऊर्जा को किसी भी तरीके से आम आदमी के लिए नहीं बना सकते हैं। जिन डिमसन, जुलअन, प्रोफेसर हरार, पीटर हरकोस, नॉस्ट्रेदमस, जॉन सेवेज, प्रो. कीरो और एंडर्सन के साथ-साथ हजरत शाह नियामत अली, गुरु नानक देव जी, मालिका की रचना करने वाले प्रसिद्ध भक्त श्री चेतन्य महाप्रभु, मिस्त्र के पिरामिडों की भविष्यवाणी, महात्मा सूरदास, मोहम्मद साहब और बाइबिल में सन् 2000 ईस्वी के बाद युग परिवर्तन और महात्मा अरविंद घोष की वह भविष्यवाणी वर्ष 1836 के 175 वर्ष बाद विश्व गुरु स्तर पर युग परिवर्तन और भारत को विश्व गुरु की कल्पना। उस विश्व गुरु की परिकल्पना के प्रयास में आप दो कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मेरा इस संबंध में सबसे पहला आग्रह यह है, वैज्ञानिकों पर या न्युक्लियर एनर्जी पर नहीं, आखिर क्या कारण है कि एजुकेशन और रिसर्च पर सबसे बाद में ध्यान दिया जाता है। एक करोड़ रुपये आईआईटीएन पर खर्च के भी हम यहां उनको नहीं रख पाते हैं। लेकिन दुनिया में आप जहां जाएंगे भारत के लोगों को आप अपार संभावनाओं के साथ देखेंगे, लेकिन भारत में आईआईटीएन और अन्य रिसर्च सेन्टर्स की स्थिति इतनी बुरी है कि जिसके बारे में अगर मैं कहूं तो आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। मोरल एजुकेशन और रिसर्च को हिन्दुस्तान में किस प्रकार से प्राथमिकता दी जाए और कैसे इसको डेवलप किया जाए।

17.00 hours

महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बातें मंत्री जी से कहना चाहूंगा, अग्रह करना चाहूंगा कि यह जो 235, जहां पर यूरेनियम और इथोरियम जहां पर पाए जाएं, मेरा आग्रह होगा, जितेंद्र बाबू, कि आप परमाणु ऊर्जा

के अत्यधिक स्रोत वहीं पर ढूंढे, जहां पर स्रोत अत्यधिक है। झारखण्ड के पास यूरेनियम है, उड़ीसा के पास यूरेनियम है और आप स्रोत ढूंढ रहे हैं, पंजाब में तो यह शायद आपके लिए और किसी के लिए सही नहीं होगा। आप सस्ती बिजली उत्पादन या किसी भी चीज को कर के मंहगे दामों पर बेचना चाहेंगे तो इसी का सबसे कारण है, हम आपसे 235 यूरेनियम और 238, 99.03 प्रतिशत, 238 और 235.7, जो 0.7 प्रतिशत यूरेनियम है, उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, एक तो यह बिंदु सबसे बड़ा है और 238, जिसकी मात्रा 99.03 प्रतिशत है, उसको कैसे घटाएंगे, यह सबसे बड़ी बात है। इसको आप किस ओर ले जाएंगे? मेरे दो-तीन सम्मिशन थे, एक था रिसर्च और एजुकेशन और दूसरा था कि उसकी पूरी संभावना इस मानव सभ्यता से हो। आज के अखबारों में है, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है, लेकिन परमाणु ऊर्जा के बारे में मेरा आपसे आग्रह है कि मोरल वैल्यू को सामने रख कर के, व्यक्ति का मोरल कैसे निर्माण होगा, जब तक व्यक्ति का मोरल निर्माण नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा या अधिनियम आप करते रहें, तब तक आप किसी भी चीज में प्रगतिशील भाव नहीं ला सकते हैं। मेरा आग्रह है कि रिसर्च सेंटर पर, अत्यधिक खर्च हो, मोरल एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाए, मोरल व्यक्ति का निर्माण हो और साथ-साथ हम चाहेंगे कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्रोत भारत के पास है, इथोरियम हो या यूरेनियम हो, जो भी चीजें हैं। लेकिन वे जहां पर हैं, वहीं, उसी जगह से उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। ऐसा नहीं हो कि उड़ीसा के पास संसाधन हैं, झारखण्ड के पास संसाधन हैं और हम पंजाब में करें, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, परमाणु ऊर्जा के इस विधेयक पर बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि इसमें 49% एफडीआई है, विदेशी कंपनियों का हिस्सा होगा और 51% भारतीय सरकारी कंपनियों का हिस्सा रहेगा। हम मानते हैं कि न्यूक्लियर पॉवर प्लान्ट की एनर्जी है, प्लान्ट की पॉवर है। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के बारे में एक-दो बातें हम माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं। पिछले दिनों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो घटना हुई थी, जहां बाहर से मैडिकल यूज के लिए न्यूक्लियर आ रहा था, वह लीक हुआ तो उसके बाद जो जांच हुई, उसमें जो अधिकारी थे, उन्होंने यह कहा कि हमें इनको रखने और लीकेज को रोकने के तरीके नहीं पता हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से बार-बार आग्रह करूंगा कि आप इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो हमें स्पेशियलिस्ट और साइंटिस्टों को वहां सुरक्षा में रखना होगा। अगर सरकारी अधिकारियों को हम रखेंगे तो कलेक्टर, बी.डी.ओ., तहसीलदार तो आपको पता ही है कि वे तो इसको स्पेशियलिस्ट नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल गैस की त्रासदी भी अभी हम भूले नहीं हैं। इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो भारतीय कंपनी, मैं यह नहीं कहता कि जो भारतीय हिस्सा है 51% उसका प्राइवेटेशन कर दो, लेकिन कम से कम सुरक्षा पर, उनके रख-रखाव पर स्पेशियलिस्ट रखने चाहिए, साइंटिस्ट रखने चाहिए। मुझसे पहले बोलते हुए कई वक्ताओं ने कहा है कि हमारे पास साइंसदानों की कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या बहुत बड़ी है। अमरीका जाओ तो पता चलता है कि जितने भी डॉक्टर हैं, उनमें से 50 फीसदी से ज्यादा भारतीय हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं, इतने प्रतिशत से ज्यादा भारतीय हैं, क्योंकि उनको यहां शायद उतना स्कोप नहीं लगता है। उनको लगता है कि हमारी जो डिग्रियां हैं, उनको यहां इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, वे बाहर जाते हैं। ब्रेन ड्रेन को भी रोक कर हम वही दिमाग हमारे देश की तरक्की में हिस्सा डालें।

मैं एक-दो बातें और कहूंगा कि जो भूकम्प का एरिया है या जैसे हुदहुद आया था, अगर वहां कोई न्यूक्लियर प्लांट होता तो शायद आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहुत रेडिएशन होती। हमें यह देखना होगा कि जहां ऐसी प्राकृतिक आपदायें नहीं आतीं, वहाँ इनका निर्माण हो। जैसे कांगड़ा, हिमाचल, यह भूकम्प के खतरे का जोन माना जाता है। ऐसी चीजों को प्रायोरिटी पर रखें। जहां नेचुरल डिजास्टर होते हैं, वहां न्यूक्लियर प्लांट न लगाए जाएं। देश के नागरिकों की सुरक्षा और उनकी जानमाल की सुरक्षा को प्रायोरिटी

पर रखें। हमें तरक्की भी करनी है, लेकिन तरक्की करते-करते हम नेचर के साथ इतनी छेड़छाड़ न कर दें कि यह धरती हमारे जीवन के लिए और रहने के लायक न रहे।

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सुरक्षा, एजुकेशन और रिसर्च को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, 1962 का जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रावधान हमारे यहाँ है, इसमें संशोधन के लिए यह बिल लाया गया है। निश्चित तौर पर आज दुनिया एक गांव के समान है और दुनिया की जो प्रगति हुई है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी की बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय के बाद हमें न्यूक्लियर के क्षेत्र में जितनी प्रगति करनी चाहिए, उसके मुकाबले में हम नगण्य स्थान पर हैं और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

न्यूक्लियर एनर्जी आज सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी यह आवश्यक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी बहुत अहमियत है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रो प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी आज इसकी बड़ी भूमिका है। कल जो हमने देखा है, एनडीए फर्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, जार्ज फर्नांडीज जी के नेतृत्व में, अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में जो पोखरण परीक्षण हुआ और दुनिया की तमाम शक्तियां हमारे इस परीक्षण को दबाने में लगीं, लेकिन उसका सामने हमने किया। आज जो एक फंड क्रंच है, उसको मुख्य रूप से तोड़ने के लिए यह प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर से हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, वे इसमें शेयर होल्डर बनें और इसमें प्रगति हो। इसकी प्रगति में कुछ एक जो अवरोधक कानून हैं, उसमें सुधार के लिए यह बिल लाया गया है। हम इसका समर्थन करते हैं।

इसके साथ ही हम अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार के नवादा में दस साल पहले राजौली में चिन्हित हुआ, बगल में झारखंड में यूरेनियम का रॉ मैटेरियल है। उस जगह पर काम क्यों नहीं हुआ? माननीय मंत्री जी उस ओर भी ध्यान देंगे। वह बहुत ही सुरक्षित जगह है। बिहार में बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्कोप वहां बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार के इस प्रगतिशील डायनमिक कदम का हम समर्थन करते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे एटामिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी लोकसभा से टर्चिंग गोरखपुर के अन्दर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से दो ही सवालों के जवाब चाहूँगा। क्या न्यूक्लियर पावर सेफ है और क्या न्यूक्लियर पावर कॉस्ट इफेक्टिव है? आज अगर हम दुनिया की बात करें तो शायद न्यूक्लियर पावर प्लांट के अन्दर कहीं डिफेक्ट के कारण या जिस तरफ फुकुशिमा के अन्दर इंसीडेंट हुआ। बड़ी संक्षिप्त सी हमारे पास ऐसी जानकारी है, जहाँ पर ऐसे इंसीडेंट हुए, जहाँ हम सेफ्टी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मगर चरनोबल जो यू.एस.एस.आर. का जब एक पार्ट था, उसके इंसीडेंट की बात करें तो लगभग सवा पाँच लाख से ऊपर लोग उस समय प्रभावित हुए थे और ओवर दी पीरियड चार हजार लोगों की वहाँ पर मौत हुई, जिसका ल्यूकेमिया और कैंसर एक बड़ा कारण था। आज जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हमें यह ऐस्पेक्ट देखने पड़ेंगे कि क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट हम ऐसी जगह पर लगा रहे हैं, जहाँ पॉपुलेटिड एरिया हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट हम ऐसी जगह पर ला रहे हैं, जो नेचुरल डिजास्टर से प्रोन हो।

गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अर्थक्वैक प्रोन बेल्ट है कांगड़ा की, उससे 100 किलोमीटर की रेडियस के अन्दर है। अगर किसी समय भी कांगड़ा में अर्थक्वैक आएगा, क्योंकि एक एक्टिव अर्थक्वैक बेल्ट है तो सबसे पहले अगर उसका कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा तो वह गोरखपुर की धरती पर बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट पर देखने को मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस पर भी आप स्टडी करवाइये कि क्या फ्यूचर में जब हम वह पावर प्लाण्ट बनाएंगे तो क्या वह सेफ रहेगा। जहाँ हम फुकुशिमा की बात करते हैं, 2011 में सुनामी आई, पर आज तक वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन के हमें आस्पैक्ट्स दिख रहे हैं और चेरनोबिल में भी अब लोग जाते हैं तो वहाँ भी आज तक हमें न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट के, जो उस समय ब्लास्ट हुआ था, उसका रेडिएशन हमें देखने को मिलता है। जहाँ हम इस बिल के माध्यम से बात कर रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूँ कि आपने टाइ-अप्स की बात की, जोइंट वैंचर्स की बात की कि जो 51 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर रहेगा, वहाँ पैसे की कमी के कारण हमें जोइंट वैंचर करने पड़ेंगे। पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्या जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लि. है, क्या मारुति के साथ टाइ अप करके सिर्फ पैसे के लिए हम न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा दे पाएंगे? इससे अच्छा जो प्रोफेशनल कम्पनीज़ हैं, जो न्यूक्लियर पर स्टडी करती हैं, जैसे फ्रांस है, आज 73 परसेंट उनकी पावर जैनरेशन न्यूक्लियर पर है, क्या हम वहाँ से प्रोफेशनल हैल्प नहीं ला सकते? कैलिफोर्निया में जब मैं पढ़ता था, वहाँ अनेकों न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट्स थे, मगर दुख के साथ बताना पड़ता है कि 33 परसेंट लोग उन न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट्स में भारतीय ओरिजिन

के थे। क्या हम ऐसे प्रोफेशनल लोगों को लेकर हमारे देश के अन्दर न्यूक्लियर पावर को और सेफ बनाने के लिए और अच्छी तरह यूटीलाइज़ करने के लिए उन लोगों को हम अपने देश में नहीं ला सकते? जहां आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री पेरिस में जाकर रिन्युएबल एनर्जी पर बात करके आये हैं, क्या हम न्यूक्लियर से ज्यादा रिन्युएबल एनर्जी की ओर नहीं देख सकते? हमें एक एरिया बांधना पड़ेगा, एक परसेंटेज बांधनी पड़ेगी, उससे ज्यादा हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन न हो और सबसे बड़ा जो आस्पैक्ट न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन का है, हम विदेशों से यूरेनियम को इम्पोर्ट करेंगे। जैसे मेरे से पूर्व मेरे साथी जयदेव गाला जी ने बोला कि थोरियम हमारे देश में अबंडेंस में है। जब हम न्यूक्लियर रिसर्च की बात करते हैं तो क्या हम थोरियम के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं? क्या हम आस्पैक्ट देख रहे हैं कि थोरियम को हम यूटीलाइज़ कर पायें कि हमें विदेशों के ऊपर निर्भर न होना पड़े। इंडिया इंडीपेंडेंटली अपने देश के अन्दर एनर्जी को प्रोड्यूस करे, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि गोरखपुर हरियाणा प्रदेश का एक अहम हिस्सा है, उसके पड़ोस में हिसार भी है और फतेहाबाद भी है और दोनों बहुत पोपुलेटिड सिटीज़ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि उसकी साइट रिवीज़न की भी चर्चा की जाये। आज हमारे देश के अन्दर...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे देश के अन्दर गुजरात और राजस्थान जैसे इलाके हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोकरण के अन्दर एक ब्लास्ट किया था तो विदेशों ने हम पर उंगली उठाई थी, पर वह पोपुलेटिड एरिया नहीं था। अगर हमें हमारे देश के अन्दर कहीं न्यूक्लियर पावर प्लाण्ट बनाने भी हैं तो हमें उनकी लोकेशन को महत्वपूर्ण और लोगों की सेफ्टी को प्राइम फोकस रखकर बनाना पड़ेगा।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैं समर्थन देने के लिए खड़ा हूँ। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने इस बिल के बारे में संसद को, संसद के सदस्यों को जानकारी दी है। मैं मानता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा निर्मिति के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक योगदान देश को आने वाले दिनों में मिलेगा।

जैसे किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए हवा और पानी की आवश्यकता है, वैसे ही आने वाले दिनों ऊर्जा भी अनिवार्य होने वाली है। हमारे देश में 40 से भी अधिक प्रतिशत बच्चे जब पढ़कर तैयार होंगे तो हमको उनको आने वाले दिनों में काम देने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हमें उनको काम देना है तो इण्डस्ट्री डैवलप करनी पड़ेगी और कोई भी इण्डस्ट्री एनर्जी के बगैर चलेगी नहीं। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगभग सभी लोगों ने इस बिल को समर्थन दिया है। इससे देश को यह भी संकेत प्राप्त होता है कि जी.एस.टी. बिल को भी कांग्रेस के अलावा बाकी सभी राजनैतिक दल के लोगों का समर्थन है। वह भी हमें इस बिल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। देश में ऊर्जा निर्मिति की जब हम बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र में डैवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स का विरोध सो कॉल्ड एक्टिविस्ट्स के माध्यम से होता है। सभी राजनीतिक दलों के माध्यम से विरोध होता है और राजनीतिक दलों में भी राज्य और विभिन्न संघों को ध्यान में रखकर विरोध किया जाता है। यह आज देश की मानसिकता है। जब हम विकास की बात करते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हमें इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। विपक्ष इसका विरोध संसद में करते हैं, और मुझे लगता है कि यह जो विरोध है, यह कुछ प्रोग्रेसिव देशों से भी आता है, क्योंकि कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि भारत देश आने वाले दिनों में आगे बढ़े। भारत देश एक शक्तिमान देश बने, यह कोई भी देश नहीं चाहेगा। इसलिए हमें आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काफी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश के सभी लोगों में एक विश्वास के वातावरण का निर्माण करते हुए अगर हम सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को भी साथ में लेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सभी क्षेत्रों में विकास कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष जी, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो फिर वह चाहे पानी के माध्यम से हो, चाहे ग्रीन इनर्जी हो, सौर ऊर्जा हो, या फिर वह यूरेनियम के माध्यम से हो, जहां पर भी हमें स्कोप मिलता है, वहां पर हमें इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम करना होगा। इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसे तय कौन करेगा? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग उसे तय करेंगे? क्या उस राजनीतिक पार्टी के पढ़े-लिखे लोग उसे तय करेंगे या फिर हम रिसर्च के माध्यम से, चाहे वह डॉ. होमी भाभा जी हों, डॉ. कलाम साहब हों, या डॉ. काकोडकर जैसे जो स्पेशलिस्ट हैं, इनकी बात हम सुनेंगे? आगे आने वाले

दिनों में देश के लोगों को इसके लिए भी मानस बनाकर इसे तय करना पड़ेगा, अन्यथा देश को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष जी, तारापुर संयंत्र के बारे में हमारे चिन्तामन वांगा जी यहां पर बात कर रहे थे। वहां पर एटॉमिक इनर्जी के बारे में बहुत बड़ा विरोध खड़ा हुआ था। लेकिन, वे आज यहां भाषण दे रहे थे कि वहां पर बहुत अच्छी तरह से एटॉमिक इनर्जी संयंत्र चल रहा है और किसी का भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि जो लोग उसके कारण विस्थापित हुए हैं, वे आज भी दुःखी हैं, वे आज भी हैरान-परेशान हैं। जिस लोक सभा संसदीय क्षेत्र का मैं नेतृत्व करता हूं, वहां के हमारे राम नाइक जी इस विषय को लेकर बहुत लड़ाई लड़े। जो विस्थापित हुए हैं, उनको घर मिलना चाहिए। उनकी जो ज़मीनें गयी हैं, इसके लिए उन्हें पैसा मिलना चाहिए। इसके लिए वे स्वयं कोर्ट में वकील के तौर पर उनका केस लड़ते थे। आज उनके गवर्नर बनने के बाद उस केस को अन्य लोग लड़ेंगे। लेकिन, वहां के लोगों को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। मैं चाहूंगा कि जो विस्थापित लोग हैं, उनकी जान-माल की रक्षा सरकार को करनी चाहिए। वहां के लोगों को हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। जब हम किसी लार्जर इंटेरेस्ट में काम करते हैं, तो वहां के जो थोड़े-से पीड़ित लोग हैं, उन्हें हमें आने वाले दिनों में थोड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा। अगर हम यह वातावरण देश में तैयार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध करेगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारा देश सुपरपावर तो बनेगा ही, लेकिन हमें अपने देश के नौजवानों को नौकरी देने के लिए, उन्हें काम-काज देने के लिए ऊर्जा एक बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है। इसलिए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदया को इसके लिए एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, इसका नॉन पॉलिटिकल तो विरोध होता ही है, लेकिन पॉलिटिकली किस तरह से विरोध होता है, उसे हम लोगों ने नर्मदा के विषय में देखा कि एक्टिविस्ट लोगों ने कितने दिनों तक उस प्रोजेक्ट को स्टॉल किया था। उस प्रोजेक्ट के बनने के बाद सिर्फ उस डैम की ऊंचाई बढ़ाने की परमिशन देने में आठ साल लग गए। उस डैम की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी वहां की सरकार को बदलना पड़ा और फिर सरकार के बदलते ही मात्र आठ दिनों में उस डैम की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी मिली। यह देश की वास्तविकता है। इसलिए इस वास्तविकता को समझते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना पड़ेगा। इस बिल के माध्यम से यही भावना मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं।

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Deputy-Speaker, Sir, with your kind permission, I would like to reply to the discussion on the Bill.

The discussion started from Prof. Saugata Roy. He gave a very elaborate presentation and very rightly, he began with a tribute to late Homi Bhabha. Rightly so, a lot of much which is being witnessed in the form of achievements in the nuclear programme of India is ode to the vision and also the original aptitude of Dr. Homi Bhabha. Sometimes, it also makes me wonder as to how daring it would have been for him and his colleagues to have envisaged a nuclear programme as Prof. Saugata Roy was saying. Hiroshima had just happened. When he was talking that, it occurred to me that when Homi Bhabha set out to establish the Bhabha Atomic Centre, Hiroshima had just happened, about seven or eight years ago, in 1955.

The BARC was set up in 1955 and the Hiroshima incident happened in 1945. Therefore, the gap is ten years. ... (*Interruptions*) I am coming to that. Not only that, he also had the courage to say – I am saying this because there was a lot of prejudice against any nuclear programme being initiated anywhere in the world at that time – that he was going to set out a nuclear programme for peaceful purposes.

I am glad that in this 60th year, this happens to be the diamond jubilee year of the establishment of the Bhabha Atomic Research Centre, we have adequately vindicated Homi Bhabha's commitment to the nation of having achieved a nuclear programme which has been essentially dedicated to peaceful purposes.

Prof. Saugata Roy was also referring to the other Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He thought I would shirk away from naming him. Certainly 2015 would not have happened if 1955 had not happened. Therefore, this is an on-going process over the last sixty years. But I think this is a matter of great satisfaction that the nuclear programme has progressively been on the ascent. We have, to a large extent, succeeded in achieving the goals that we have set out for ourselves.

As was rightly mentioned by Prof. Saugata Roy, this NPCIL was set up in 1962 and, that was also the year when the Atomic Energy Act was enacted. You would appreciate that over the last few years there has been a very fast paced development in the nuclear programme. You would allow me to say that in the last 17 or 18 months, under the leadership of the present Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, there have been a number of agreements and MoUs with a number of countries. In fact, whichever he has visited abroad, he has always come back with something related to nuclear energy so much so that even day before yesterday, on the 12th, when the Japanese Prime Minister was here, there was an MoU signed in atomic energy.

You would also realize that to keep pace with this fast track, we need to have certain modifications which would facilitate the desire to move faster, and as you rightly said, move in the direction of India becoming a world power in every sphere, including the production of nuclear energy. Also because in the years to come, we hope to and we plan to use nuclear energy as one of the major sources of electricity and not only as nuclear power but also as nuclear energy.

You referred to thorium. You would be reassured to say that, yes India is the major store-house of thorium today. In fact, it is the world's biggest store-house of thorium. I would also agree with you that we still need to exploit the fullest potential of thorium in India. We are certainly moving in that direction. Thorium Programme III Stage will progress on the basis of the II Stage, which we are into it. I am sure very soon we would be into an era of Fast Breeders using thorium. When that happens, as you rightly mentioned, we would be on the top of the world.

You mentioned about the apprehensions about the accidents. Fukushima disaster, that happened in Japan in the year 2011, is the latest and the most dreadful one. I would just like to put the records straight. Fukushima was, of course, dreadful. But there were certain inherent defects in that plant when it happened. It was, at the first place, wrongly located in seismic zone. When the earthquake took place, there was a huge inflow of water into the plant and this water choked everything else, even the outlets. That consequentially led to disaster. But we in India, under the leadership of eminent scientists, like Homi Bhabha, Satish Dhawan, and their successors up to this date, have had some of the best scientific teams, who have taken care of this part also. Most of our plants are located or set up after taking care of all these possible risk factors. Also the seismic zone close to India is located in Indonesia which is more than about 300 kms. away. So, we do not actually suffer that kind of a risk magnitude.

The Civil Nuclear Liability Damage Act of 2010 was mentioned by Prof. Saugata Roy. Yes, the Act was accomplished. But, let me use this opportunity to share with this august House that there are three or four major points which would sum up all the concerns as far as this Act is concerned. First, there is absolutely no compromise on the priority given to the victim. So, the victim's interest is not compromised by any chance. Second, the liability of the operator to the supplier has been kept in tact so that the operator can also claim it. Three, we have now instituted the National Nuclear Insurance Pool which was coming in the way of

compensation. So, the maximum liability payable is about Rs.2600 crore or so. The NPCIL has a limit of about Rs.1100 crore and the remaining amount is put by the Government. If you go beyond that, then since we are also the member of the Civil Nuclear Commission, an international body, we can also claim that. There is also the time-line left. You can claim property damages up to 10 years; personal injury damages up to 20 years. So, what I am trying to say is that part has actually been adequately taken care of. At the same time, I do admit and appreciate your concern. It is well taken.

The disposal of spent fuel was referred to. Of course, it is a major concern. But, in the area of atomic energy, that is something which is done in a very scientific way. It is a great ceremony doing it. You have to store it under the ground for several years. Even after 100 years it comes out. So, it is not so simple a thing that you throw it into the sea and you allow fish and fishermen to bear the damage of it. There is a proper scientific methodology of dealing with the spent fuel.

प्रहलाद सिंह पटेल जी ने बिल का समर्थन भी किया है और एक-दो बिन्दु हमारे ध्यान में लाये हैं। As I said, in order to meet this expansion, we are now entering into a phase of joint venture in atomic energy which was earlier confined only to NPCIL, Bhabha Atomic Energy units.

उन्होंने एक और बात की ओर ध्यान दिलाया है कि शायद इससे यह भी होगा। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु का कोई कारपोरेशन है, कल यह भी संभावना बन सकती है कि वह भी इसमें आ सकता है। जिस प्रकार एआईडीएमके के आदरणीय सदस्यों ने कहा है कि the manner in which Amma is taking keen interest in the establishment of nuclear programme in Tamil Nadu, tomorrow this will pave the way to participate even by the public sector units there. साथ ही साथ, प्रहलाद जी ने डायरेक्टर्स के सेलेक्शन की बात कही है, जो भी इस तरह का होगा, certainly that is a procedure which is followed in letter and spirit and there is no compromise. The other properties of the nuclear energy like medicine, therapeutic value have been referred to.

प्रहलाद जी का कहना था कि उसकी ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि इसको केवल न्यूक्लीयर प्लांट्स के ही उपयोग में लाया जा रहा है। आज भी भाभा एटॉमिक सेन्टर में मेडिसिन न्यूक्लीयर साइंस को लेकर शोध करने वाले, पीएचडी करने वाले अनेक छात्र हैं। We have in place proper Ph.D Degrees and also proper research courses also. In fact, many years ago, when this has just started, I myself had used the isotopes procured from the Bhabha Atomic Energy Centre somewhere in the 1980s. I used to tag red blood cells and find out the life of red blood cells in different diseases. So, that was chromium. It was lifted from the airport with a big fanfare because everybody ran out of the airport thinking that they would get exposed. I am coming to that also. That is not the hazard, that is the hazard fear which is there. It is the hazard fear which is actually to be taken care of through the awareness programme and other programmes... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: You can also use it in thyroid treatment.

DR. JITENDRA SINGH: That is done by using iodine. That is one of the procedures in treating thyroid cases. I appreciate his versatile knowledge. That is one of the treatments for thyroid but that is only when you have actually developed it on account of radiation. Anyway, Mr. Satpathy has made a very interesting political observation that when this side was opposing, sometimes this side was not happy and when the sides changed, there is a *volte face*. But I think Mr. Satpathy has the advantage of sitting in the middle. He was saying that he has been witnessing some *volte face*. So, from a position of advantage he can give us good advice.

Regarding RTI, I wish to bring a small fact to your notice. Although, by and large, the atomic energy programmes are kept out of the purview of RTI for reasons known to all of us, that is, for security and other reasons. But even then the Nuclear Power Corporation of India Limited is under the purview of RTI. The most important unit of the atomic energy programme is covered by RTI and in fact all the data is also put on the website.

He has rightly expressed apprehensions about the Atomic Energy Regulatory Board being dependent on the Commission and, therefore, its authority is likely to get undermined. I would just beg to differ with him because I felt that the Atomic Energy Regulatory Board has been given full autonomy. It is an autonomous board. For reasons of salary and other things it has to be linked to somebody. So it has been linked to the Government and so that is for obvious reasons. All the autonomous units in the country have to draw their salary from some exchequer. Therefore, it does not necessarily mean that they are subjected to the Government's whims and fancies.

As far as the risk of accident is concerned, a reactor is designed after full technical and cost viability tests. As regards hazard, I think it is more an apprehension of the hazard about which we need to create awareness through public awareness programmes rather than the hazard *per se*. If it was actually hazardous, you would agree with me that over the last 60 years not a single scientist has been affected by nuclear radiation. Many scientists have spent most of their lifetime inside the Bhabha Atomic Research Centre, but nothing happened to them. In fact, I was checking the data. There have been hardly about 20 and odd unnatural deaths and most of them have happened because of accidents, suicides, poisoning etc., but none of them due to nuclear radiation. In fact, in some foreign countries, now-a-days they have got into the practice of bringing up nuclear plants even in the residential areas. So, what I am trying to say is that with each passing day there is an improvement even in the safety safeguards and, therefore, that is being adequately taken care of. There has not been single evidence – and we live in an evidence-based era – of any hazard having taken place to the residents around or to those working inside the plants.

विनायक राऊत जी ने जैतापुर की बात की, उन्होंने कहा कि शायद साइट सुरक्षित नहीं है। मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि it does not fall in the seismic zone. इस तरह के सारे परीक्षण के उपरांत ही इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला गया था कि यह सेफ साइट है। चूंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आपसे भी आग्रह है कि जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को समझाने का प्रयास करें कि इससे कितना अधिक लाभ होने वाला है। So, apprehensions, sometimes, occurring spontaneously and sometimes motivated by extraneous considerations can be overcome by the collective effort of all of us.

Sir, Mr. Jayadev Galla from TDP gave an elaborate presentation. He said that the NALCO's proposal had come. Certainly one of the reasons which have inspired us to go in for this joint venture initiative is that we had actually offers from some of the public sector units and some of the Government companies, including NALCO, Indian Oil Corporation Limited which wanted to enter into a joint venture with the Nuclear Power Corporation of India Limited. But the Atomic Energy Act, 1962 came in the way and, therefore, we have brought in this amendment.

As far as entry of the private sector is concerned, that has not yet been granted for reasons known to all of us. Mr. Jayadev wanted to know about the uranium coming in from the other countries. We have regular import of uranium happening from a number of countries including Canada, Kazakhstan and Russia. As I said, even day before yesterday, when the Japanese Prime Minister was here, the Prime Minister entered into an MoU with regard to uranium. Wherever the Prime Minister has been in the last 18 months, there has been some or the other kind of agreement or understanding as far as the uranium or the nuclear programme supplementation is concerned.

Mr. Reddy was referring to the break-up of 51 per cent. Yes, earlier, regarding the Government company, the Act, by definition, placed an embargo of 51 per cent. Now, when we enter into the joint venture, we would have the other company also. We are not going to have any private company or foreign company.

I would just like to clarify Mr. M.B. Rajesh that there is certainly no FDI clause included in this amendment. I do not know how it transpired. The nuclear power generation which he was a little pessimistic about, I would like to clarify that the nuclear power generation quantum is progressively on the increase. By 2020, we would be having as much as 13,500 MW of nuclear power which would become a major source of electricity and energy in this country. In West Bengal, the Haripur site is already well placed.

About nuclear medicine, thorium, I have already talked. So, I would not like to repeat; I would just sum up in two minutes.

One word of gratitude and acknowledgement to Mr. P.R. Sundaram of AIADMK. He referred to the hon. Chief Minister Amma taking keen interest in the nuclear power establishments in Tamil Nadu. I must admit that of course Tamil Nadu is one of our most precious storehouses of nuclear programme. He also made a query which needs to be responded. Yes, Kudankulam Phase I has two units. You rightly mentioned that the first unit is under shutdown. It is under shutdown on regular basis for checks and other things, but we are sure by January we will start it. So, you can convey this good news to hon. Amma as well. As far as the second unit of Phase II is concerned, that also would be made functional by March or April of 2016. Of course, with the repeated reminders from hon. Amma and our efforts, we have tried to live up to her expectations.

You asked for a greater share of energy. That is another issue which is bothering many of the hon. Members because the policy, as it exists, enables us to allow 50 per cent of the energy share for the State. Tamil Nadu is asking for a larger share because 35 per cent goes to the surrounding region and 15 per cent to the Central Pool. I would just beg to bring to your notice, and you can take it up accordingly, that this is not within the purview of the Department of Atomic Energy. Basically, this is called Gadgil Formula which was originated from the Ministry of Power. So, it is the Power Ministry actually which is determining how

much share to go somewhere, and we follow the same. So, accordingly, it can be taken.

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister, that is not the point. Some States are not willing to have the atomic energy. Then, what is the condition? If you are giving share from here to that State, those States having atomic energy electricity generation, let them share.

DR. JITENDRA SINGH: Sir, that is well taken. That can be a mutual arrangement. That is also right. But, what I was telling is the general which is followed and some of the States have some reservations about that. But, of course, what you are referring to, Sir, is a general rule.

Bhagwant Mann *ji* talked about safety of scientists. But, there is no FDI. He also expressed concern about brain drain which is lightly out of this. I have to sum up because I have been asked to do that.

दुष्यंत जी ने कहा कि क्या मारुति के साथ टाईअप होगा? I must confess with all the honesty at my command that this amendment will not debar Maruti from entering into a joint venture, if it does so, just as the Indian Oil Corporation has done. But, I think that was not the major concern. The major concern was that it would ultimately lead to a win-win situation for both the sides. They would also make some equity because, otherwise, we do not have enough means and we also suffer from financial constraints in our expansion programme. Maybe the equity which is generated for them would be put to use by them for their own purposes.

As far as expertise is concerted – it is well taken – NPCIL will make up for that. For example, if NPCIL is a partner for Maruti or any other concern which, of course, as you rightly said, may not be having the kind of expertise in atomic energy which is required, then NPCIL will be the main leader.

So, they would be rather the investors and would be the beneficiaries by way of equity. We will not allow them to make cars in the atomic energy plant. So, we will not do that. ... (*Interruptions*)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: You please address Gorakhpur ... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: The work has already started. All the adequate precautions have been taken. I think, it is a matter of pride that we are getting the first nuclear installation in this part of the country. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. He has not yet completed his speech.

DR. JITENDRA SINGH: Sir, there are two amendments to Clause 2 – one by Prof. Saugata Roy and another by Shri N.K. Premachandran and one amendment to Clause 2 by Prof. Saugata Roy. I would request them to reconsider whether we can ask them to take those back. ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Sir, I am not moving my amendments. ... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: All right. Your advice is well taken and we have considered it.

Shri N.K. Premachandran is not here now. His concern has already been incorporated; maybe it was not adequately conveyed to him by us and, therefore, he has given this amendment.

Sir, with these words, I would request the House to pass this Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Atomic Energy Act, 1962, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 2

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you have already said that you are not moving your amendment.

Shri N.K. Premachandran. He is not present now.

The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Amendment of Section 14

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you have already said that you are not moving your amendment.

The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

DR. JITENDRA SINGH: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved.

“That the Bill be passed.”

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, please allow me to speak for half a minute. I would request the hon. Minister to tell one thing. Is there any proposal to separate the both from the Commission? ... (*Interruptions*)

श्री दुष्यंत चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि जहाँ पर भी न्यूक्लीयर टैस्टिंग लैब्स हैं, वहाँ पर रेडिएशन के कारण कोई अन-नैचुरल डेथ नहीं हुई है। पीएमओ का रिप्लाय है कि 70 पर्सेंट डेथ, जो इन सेन्टर्स पर हुए हैं, उनकी संख्या 3,887 है, जो कैंसर से हुई हैं और न्यूक्लीयर रेडिएशन के कारण होने वाला कैंसर एक पार्ट है। मेरे दूसरी क्वेरी है कि आपने गोरखपुर की लोकेशन पर चर्चा की। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you reply to only one of his queries.

... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Sir, in half a minute I will give answer to both. ... (*Interruptions*)

As far as the first query by the hon. Member, Shri Satpathy, is concerned, as of now there is no plan or proposal to separate the two. But, as I said, it is absolutely an autonomous body, and there is no control exercised extraneously on it.

As far as the query by the hon. Member, Shri Dushyant Chautala, is concerned, एकचुअली दोनों ही सच हैं। होता यह है कि, cancer and radiation have a prospective effect, may not have a retrospective effect. In other words, all the cancers are not caused because of radiation but all the radiations do not lead to cancer. So, the hon. Member is right that these deaths or these figures of cancer

happening among the staff of the Atomic Centre are true but they are not related to nuclear radiation as such because there are certain categories of cancer which are directly related to it.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

17.45 hours**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL) - 2015-16
AND
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL) - 2012-13**

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item Nos. 15 and 16 together. Hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): May I speak at the end while answering the debate?

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay. All right.

Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1, 3, 4, 6 to 10, 12 to 20, 22, 28 to 35, 37, 43, 47 to 51, 53 to 56, 58 to 63, 66, 68, 69, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 88, 89, 91 to 94, 96 to 98, 102 and 104 to 109.”

**Supplementary Demands for Grants -Second Batch (General)
for 2015-2016 submitted to the Vote of the Lok Sabha**

HON. DEPUTY SPEAKER : Motion moved:

“That the respective excess sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2013, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 13, 21 and 40.”

**Demands for Excess Grants (General) for 2012-2013 submitted
to the Vote of Lok Sabha**

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, *Vanakam*. I wholeheartedly thank our beloved hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma for this opportunity to speak on Second Batch of Supplementary Demands for Grants pertaining to Budget (General) for the year 2015-16 and Demands for Excess Grants for the year 2012-13.

The Second Batch of Supplementary Demands for Grants for 2015-16, presented to Lok Sabha on 10th December, 2015, includes 68 Grants and three Appropriations.

The approval of Lok Sabha has been sought to authorize gross additional expenditure of Rs. 56,256.32 crore. Of this, there would be proposals involving a net cash outgo aggregate of Rs. 18,195.40 crore. The gross additional expenditure matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregate to Rs. 38,059.78 crore.

Besides a token provision of Rs. 114 lakh is being sought, Rs. 1 lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Services or New Instrument of Service. Earlier the First Batch of Supplementary Demands for the year 2015-16 stood at Rs. 40,821.68 crore. The hon. Finance Minister has also sought the approval of Lok Sabha for Demand for Excess Grants amounting to Rs. 4,921.06 crore for the year 2012-13.

A technical supplementary of Rs. 10,000 crore is sought for providing ways and means advance to the Food Corporation of India to meet the cash flow requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System. This will not entail any additional cash outgo, and the amount should be repaid within the current financial year itself.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, I support the Demand to meet the expenditure of Rs. 5,092.20 crore towards National Cleanliness Fund, Swachh Bharat Abhiyan and National Rural Drinking Water Programme.

Under Demand No. 37, Transfer of Funds to State and Union Territory Governments, the Supplementary will entail a cash outgo of Rs. 2,155.20 crore. I

would urge that the Government should ensure impartial distribution of funds to all the States including Tamil Nadu.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, the world is seized of the matter relating to climate change and ways and means to minimize its effects. Recent Climate Change Conference held in Paris is in the positive direction. But our spending on Climate Change Action Plan is so meager.

Sir, I sincerely request that more funds should be allocated, in future, for early warning systems and research; and in order to protect Mother India from, the effects of environmental degradation.

Hon. Deputy Speaker, Sir, while extending support to the Rs.200 crore Supplementary Demand sought for AIIMS, New Delhi, I wish to urge the Union Government to expedite the setting up of AIIMS in Tamil Nadu in the place selected for the same. I also request the Government to provide more grants for the procurement of drugs and equipments for lab testing and also for providing funds for Tamil Nadu State AIDS Control Society.

While supporting the Supplementary Demand for Rs.1 crore each to the establishment of three National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh, I demand that a similar institute should also be set up in Tamil Nadu.

Hon. Deputy Speaker, Sir, under the Department of Telecommunications, the demand for grant of Rs.344.02 crore towards revival of ITI Limited and payment of salary to its staff is a welcome initiative.

Tamil Nadu generates more engineering graduates in the country. It requires a Centre of Excellence and Skill Development to improve the skill sets of fresh engineering graduates and make them suitable for IT jobs. This requires additional support from the Union Government.

We need more financial support to facilitate the Department of Ex-Servicemen Welfare, Government of Tamil Nadu for the benefit of thousands of

ex-servicemen through Rajya Sainik Board office and Zilla Sainik Welfare Offices in Tamil Nadu.

Hon. Deputy Speaker, Sir, we need additional funds for the development of airports in Tamil Nadu. Apart from Chennai, Coimbatore, Madurai and Tiruchirapalli Airports, we need funds for the development and expansion projects as these airports generate huge revenue from both passenger and cargo transport.

The Election Commission of India, with immense expertise of holding elections in large scale, is the reason that we are the largest vibrant democracy of the world. A supplementary grant is required for meeting additional expenditure of Rs.5 crore towards construction of India International Institute of Democracy and Election Management campus. I hope this will prove to be a purposeful expenditure.

We are always a trusted partner in the global scenario. India always continues to extend all possible assistance to the friendly neighbouring countries. The schemes to provide aid to Nepal, Myanmar, Afghanistan and African countries are all exemplary acts of generosity by India in the international arena, which is very much appreciated.

Hon. Deputy Speaker, Sir, as regards the Prime Minister Rural Roads Programme, Supplementary Demand is there for a cash outgo of Rs.2,700 crore. Although I support this demand, I request the hon. Finance Minister to be more sympathetic in allocating funds for restoration of infrastructure facilities, including highways and roads in the flood-affected State of Tamil Nadu.

In Tamil Nadu, the State Highways for a length of 5694 kms have been damaged due to heavy rains. As per initial estimates, a sum of Rs.1,426.53 crore is required for permanent restoration of the damaged roads in the State of Tamil Nadu.

Under the Non-Plan expenditure under the Ministry of Finance for providing additional funds as assistance to States affected by natural calamities like hailstorm, unseasonal rain, etc., from the National Disaster Response Fund

(NDRF), an amount of Rs.2,989 crore has been sought by the Union Government in the second Supplementary Demand.

Hon. Deputy Speaker, Sir, the recent north east monsoon rains in Tamil Nadu have played havoc causing widespread, unprecedented and huge devastation. Though the loss of life was minimised due to the immediate and timely relief efforts of the Tamil Nadu State Government, Defence Forces and NDRF, the loss of property and belongings in the national calamity is enormous and it requires huge money for the rehabilitation and restoration works.

\ The hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchi Thalaivi* Amma has requested the hon. Prime Minister *vide* letter dated 23rd November, 2015 for immediate release of Rs.2,000 crore and demanded Rs.8,480.93 crore from the National Disaster Response Fund.

The inter-ministerial Central team had visited different places affected by floods in the State and are expected to submit a report. Hon. Prime Minister, after visiting the flood ravaged State of Tamil Nadu, announced a financial assistance of Rs.1000 crore to Tamil Nadu in addition to Rs.939.63 crore released earlier. I sincerely pray and hope that the Union Government would be more considerate in this regard.

As this has been declared as a calamity of severe nature, in view of its large scale devastation, I urge upon the Union Government that the entire demanded amount of Rs.8480.93 crore from the National Disaster Response Fund should be released to Tamil Nadu, as per the Memorandum submitted by the Tamil Nadu Government on 23rd November, 2015.

I would like to state that the timely release of adequate funds by the Union Government will help Tamil Nadu to undertake temporary and permanent restoration of infrastructure and other utilities on war footing basis.

But for the leadership provided by hon. Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchi Thalaivi* Amma and the timely action taken by the State administration, the State would have witnessed untold miseries and unprecedented destructions.

When rains that should have been realised in three months pour within a few days, any number of preventive measures will not suffice as stagnation and resulting damage are unavoidable.

The Government machinery at the State under the able leadership Puratchi Thalaivi Amma has been working day and night to ensure normalcy. It is pertinent to mention that main agricultural seasons like *Samba*, *Thaladi* and *Navarai* depend entirely on the North East Monsoon. Thus agricultural economy of the State has got a severe hit by the recent floods. Tamil Nadu suffered a huge loss to crops, livestock, fisheries and infrastructure.

The calamity is so severe that it should be treated as a natural calamity and the entire expenditure towards relief and restoration over and above the State Disaster Response Fund should be borne by the Government of India. The civic infrastructure, including drains, roads and buildings, needs to be strengthened to withstand the rains and resulting flooding. This also calls for changes and improvements in urban planning methods and norms.

Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma in a letter addressed to hon. Prime Minister on 9th December, 2015 requested to declare this unprecedented event a National Calamity. There has been extensive destruction and damage to infrastructure as well as to the private property of thousands of families in the flood affected areas. The Government of Tamil Nadu will submit a supplementary memorandum on the extent of damages in the most recent rounds of floods.

Many of these households in the flood affected areas may have insured their homes, personal effects, domestic durable assets and personal vehicles. I request that the insurance companies may be directed to take up the survey and settlement of the claims on a campaign mode, following a summary procedure and with a liberal application of the norms so that such households could receive insurance payments early which would enable them to restart their normal lives.

The banks may be directed to provide a limited moratorium on repayment, as well as a rescheduling of the home loans taken by flood affected households. Many of the affected families have lost their personal vehicles and almost all their durable domestic assets.

As suggested by our Puratchi Thalaivi Amma, as a special case, all such flood affected families may be liberally extended soft loans by the banks for purchase of vehicles, educational loans to continue to fund the education of children and personal loans of an amount up to Rs.5 lakh to finance essential domestic durable assets.

18.00 hours

The limits on the total eligible loan for these Jan Dhan accountholders may be appropriately relaxed. We request that for white goods and kitchen equipment to be sold in the flood affected districts, excise duty exemption may be provided till 31st March, 2016. Given the extraordinarily heavy devastation caused by the floods, hon. Minister of Finance should immediately order formulation of a liberal scheme with necessary guidelines, aimed at rebuilding the lives of the flood-affected families.

Besides all these welfare measures, as demanded by Dr. Puratchi Thalaivi Amma, I sincerely pray to the Central Government for immediate release of sufficient funds for the flood-affected Tamil Nadu.

Once again, with a sincere prayer for being considerate to Tamil Nadu State, I support the second Supplementary Demands for Grants for the year 2015-16.

Thank you.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is 6 o'clock. Should we extend the time of the House? What is the sense of the House?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, it is already 6 o'clock and it is a cold evening. So, please do not extend the time of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, we do not want to sit late. Please adjourn the House till tomorrow.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

The House stands adjourned to meet tomorrow, the 15th December, 2015 at 11 a.m.

18.01 hours

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, December 15, 2015/Agrahayana 24, 1937(Saka)*
